सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र-III)

अर्थव्यवस्था

2024

प्रश्न : भारत में सुधारों के उपरान्त की अवधि में, सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिये। किस सीमा तक यह समावेशी संवृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है? (150 शब्द, 10 अंक)

Examine the pattern and trend of public expenditure on social services in the post-reforms period in India. To what extent this has been in consonance with achieving the objectice of inclusive growth?

उत्तर : सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2023 तक 5.9% CAGR की दर से बढ़ा, जो समावेशी संवृद्धि के लिये वर्ष 1991 के सुधारों के पश्चात् से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास पर बढ़ते दृष्टिकोण को दर्शाता है।

सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय का पैटर्न और प्रवृत्ति (सुधारोत्तर अवधि)

- **आवंटन में वृद्धि:** शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2000-01 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.3% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 8.3% हो गया।
  - **शिक्षा क्षेत्र:** वर्ष 2022-23 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% से बढ़ाकर 3.1% किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 1.12 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
  - **स्वास्थ्य क्षेत्र:** वर्ष 2022-23 तक सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% से बढ़कर 2.1% हो जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिये आवंटन 89,155 करोड़ रुपए है।
- **सामाजिक कल्याण कार्यक्रम:** निर्धनता उन्मूलन के लिये मनरेगा का वित्तपोषण वर्ष 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 86,000 करोड़ रुपए हो गया।
- **कौशल और डिजिटल समावेशन:** डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया (5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा- बजट 2024-25) जैसे कार्यक्रमों को डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने, डिजिटल विभाजन को खत्म करने और कौशल विकास पहलों के माध्यम से रोज़गार प्रदान करने के लिये अधिक धनराशि प्राप्त हो रही है।

समावेशी संवृद्धि प्राप्त करने के साथ सामंजस्य

सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के बावजूद, जनसंख्या की आवश्यकताओं के लिये आवंटन बहुत न्यून है।

- **शिक्षा:** पहुँच का विस्तार हुआ है, लेकिन गुणवत्ता और समानता में चुनौतियाँ बनी हुई हैं (भारत में 18-23 वर्ष आयु वर्ग के लिये GIR 28.4% है)।
- **स्वास्थ्य:** व्यय में वृद्धि हुई है, फिर भी भारत ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा और हाशिये पर पड़े समूहों तक पहुँच के मामले में पीछे है।
- **निर्धनता और असमानता:** कल्याणकारी कार्यक्रम निर्धनता को कम करने में सहायक हैं, लेकिन धन के न्यून उपयोग और कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं के कारण समावेशी संवृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है।

निष्कर्ष: सुधार के पश्चात् के भारत में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय समावेशी संवृद्धि को समर्थन देने में बढ़ोत्तरी हुई है। वास्तविक समावेशी संवृद्धि को प्राप्त करने के लिये बेहतर संसाधन दक्षता और लक्षित लाभार्थी समर्थन की आवश्यकता होती है। सामाजिक क्षेत्रों में निवेश को बनाए रखते हुए इन मुद्दों के समाधान करने हेतु प्रयास जारी रखना आवश्यक है।

प्रश्न : भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं? इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में RBI की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What are the cause of persistent high food inflation in India? Comment on the effecticeness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.

उत्तर : CPI के अनुसार, अगस्त 2024 में खाद्य मुद्रास्फीति 5.66% थी, जिसमें ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति क्रमशः 6.02% और 4.99% थी। भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति आर्थिक चुनौतियों का सामना करती है तथा इसके कारणों को समझना भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिये आवश्यक है।

भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्पफीति के कारण

- उत्पादन लागत में वृद्धि- उच्च इनपुट लागतें
- तापमान और मौसम संबंधी चुनौतियाँ- प्रतिकूल मौसम
- आपूर्ति शृंखला में व्यवधान
- भू-राजनीतिक तनाव- रूस-यूक्रेन युद्ध

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में RBI की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता

RBI द्वारा लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचे के माध्यम से 4% मुद्रास्फीति का लक्ष्य रखा गया है, परंतु इसके उपायों के बावजूद खाद्य मुद्रास्फीति एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

- FIT दृष्टिकोण का लक्ष्य मूल्य स्थिरता और विकास है, लेकिन आपूर्ति पक्ष अघात से निरंतर खाद्य मुद्रास्फीति इसे जटिल बना देती है।
- RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये दरों को समायोजित करता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और वैश्विक कीमतों जैसे कारकों के कारण खाद्य कीमतें स्थिर नहीं रहती हैं।
- मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों को अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने में 2-3 तिमाहियों का समय लगता है, जिससे अल्पकालिक खाद्य मूल्य अघात के लिये उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।

निष्कर्ष: जबकि RBI की मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है, भारत में निरंतर खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के लिये एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लक्षित राजकोषीय नीतियों, संरचनात्मक सुधारों, बेहतर कृषि पद्धतियों और बेहतर आपूर्ति श्रृंखलाओं के अनुरूप दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होगी, जिससे उपभोक्ताओं तथा अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

प्रश्न : देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी कारक क्या थे? स्पष्ट कीजिये।

(150 शब्द , 10 अंक)

What were the factors responsible for the successful implementation of land reforms in some parts of the country? Elaborate.

उत्तर : भूमि स्वामित्व या प्रबंधन में परिवर्तन कृषि सुधार का एक रूप है, जिसमें आमतौर पर गरीब भूमिहीन किसानों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकारी उपाय शामिल होते हैं। काश्तकारी सुधार, भूमि चकबंदी, भूमि हदबंदी एवं बिचौलियों का उन्मूलन, सभी को भूमि सुधारों में शामिल किया गया।

देश के कुछ क्षेत्रों जैसे पश्चिम बंगाल और केरल में, निम्नलिखित कारकों के कारण भूमि सुधार सफलतापूर्वक लागू किये गए:

- **दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और विधान:** राज्य सरकारों ने भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया। बिहार भूमि सुधार अधिनियम (1950) और बॉम्बे टेनेंसी एक्ट (1948) जैसे कानूनों ने भूमि सुधारों को आसान बनाया।
- **किसान आंदोलन:** पश्चिम बंगाल में बटाईदारी में परिवर्तन ऑपरेशन बर्गा के दौरान लामबंदी के परिणामस्वरूप हुआ।
- **आधारभूत भूमि सुधार:** तेलंगाना में भूदान और ग्रामदान समूहों द्वारा पुनर्वितरण के लिये स्वैच्छिक भूमि समर्पण को बढ़ावा दिया गया था।
- **भूमि अभिलेखों का प्रभावी प्रबंधन:** कर्नाटक जैसे स्थानों में डिजिटलीकरण से संघर्ष और भ्रष्टाचार में कमी आई है।
- **राजनीतिक जागरूकता:** स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कृषि संबंधी मुद्दों ने भूमि सुधारों की स्वीकार्यता को बढ़ा दिया।

अन्य भागों में भूमि सुधारों के खराब क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी कारक

- खराब भू-अभिलेखों के कारण संपत्ति विवरण और सीमाओं में विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- नौकरशाही एवं राजनीतिक उदासीनता के कारण विलंब होता है।
- भूमि सुधारों में वृक्षारोपण को शामिल न करने के कारण असफल परिणाम सामने आए।
- भूमि की अधिकतम सीमा बहुत ऊँची निर्धारित की गई थी, परिणामस्वरूप लोगों को अधिकतम सीमा कानून से बचने में सहायता प्राप्त हुई।

निष्कर्ष: डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP), सहकारी एवं सामूहिक खेती को बढ़ावा देना तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (स्वामित्व योजना) का लाभ उठाकर भूमि सुधार कार्यान्वयन को सफल बनाया जा सकता है।

प्रश्न : भारत में श्रम बाज़ार सुधारों के संदर्भ में चार 'श्रम संहिताओं' के गुण व दोषों की विवेचना कीजिये। इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है? **(250 शब्द , 15 अंक)**

Discuss the merits and demerits of the four 'Labour Codes' in the context of labour market reforms in India. What has been the progress so far in this regard?

उत्तर : भारत में चार श्रम संहिताएँ- मज़दूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा - देश के श्रम कानूनों में महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती हैं।

गुण

- **कानूनों को आसान बनाना:** 40 से अधिक श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित करने से व्यवसायों के लिये अनुपालन आसान हो जाएगा, जिससे विधिक जटिलताएँ कम हो जाएँगी।
- **नियोक्ताओं के लिये बेहतर लचीलापन:** औद्योगिक संबंध संहिता ने शासकीय अनुमोदन के बगैर कार्य करने वाली कंपनियों के लिये छंटनी की सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारी तक कर दिया है।
- **उन्नत श्रमिक सुरक्षा:** सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को लाभ प्रदान करती है।
- **व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य:** व्यावसायिक सुरक्षा संहिता कार्यस्थल पर सुरक्षा के कड़े मानकों को अनिवार्य बनाती है। इसमें स्वास्थ्य अन्वेषण, सुरक्षा समितियाँ और श्रमिकों के लिये बेहतर सुविधाएँ शामिल हैं।

दोष

- **परिभाषाओं में अस्पष्टता:** श्रमिकों और गिग श्रमिकों की अस्पष्ट परिभाषा से शोषण तथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **कमज़ोर श्रमिकों का बहिष्कार:** व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियां संहिता धर्मार्थ संगठनों या गैर सरकारी संगठनों को शामिल नहीं करती है, जिससे सामाजिक सेवा क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण भाग असुरक्षित महसूस करता है।

- **राज्यों से विरोध:** कुछ राज्य कार्यान्वयन में पिछड़ रहे हैं, जिससे श्रम कानूनों में असंगतता का खतरा है।
- **सामूहिक सौदेबाजी में कमी:** यूनियन मान्यता के लिये 75% श्रमिक समर्थन की आवश्यकता से प्रतिनिधित्व खंडित हो सकता है तथा सामूहिक सौदेबाजी में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **शोषण की संभावना:** निश्चित अवधि के अनुबंधों के परिणामस्वरूप श्रमिकों का शोषण हो सकता है तथा उनके अधिकारों में कमी आ सकती है।

अभी तक हुई प्रगति

- **विधायी अनुमोदन:** सभी चार श्रम संहिताओं को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है।
- **जो अभी तक लागू नहीं हुआ:** वर्ष 2019 और 2020 में पारित इन संहिताओं को अभी तक लागू नहीं किया गया है।
  - जून 2024 तक भारत में 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) ने सभी चार नए श्रम संहिताओं के तहत नियम बनाए गए हैं।

निष्कर्ष: इन संहिताओं के कार्यान्वयन से भारत के श्रम बाज़ार में महत्त्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल और आधुनिक बनाना है, हालाँकि अंतिम क्रियान्वयन अभी भी प्रतीक्षित है।

प्रश्न : भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिये सुरक्षित भंडार (बफर स्टॉक) के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? विवेचना कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Elucidate the importance of buffer stocks for stabilizing agricultural prices in India. What are the challenges associated with the storage of buffer stock? Discuss.

उत्तर : बफर स्टॉक वस्तुओं का एक भंडार है जिसका उद्देश्य मूल्य में उतार-चढ़ाव और आपात स्थितियों को संतुलित करना है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया, यह कृषि मूल्यों को स्थिर करता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और किसानों के आय की गारंटी देता है।

भारत में कृषि मूल्यों को स्थिर रखने के लिये बफर स्टॉक का महत्त्व

- **खाद्य सुरक्षा:** सूखे/अनावृष्टि या बाढ़ जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान कमज़ोर आबादी के लिये खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- **सार्वजनिक वितरण:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (OWS) के माध्यम से खाद्यान्न का मासिक वितरण सुनिश्चित करता है।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया:** फसल विफलता, प्राकृतिक आपदाओं आदि से उत्पन्न अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने में सहायता करता है।
- **मूल्य स्थिरीकरण:** आपूर्ति को विनियमित करके आवश्यक अनाज की स्थिर कीमतों को बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिये, सत्र 2022-23 में, FCI ने 34.82 लाख टन गेहूँ विमोचित किया, जिससे अनाज में खुदरा मुद्रास्फीति कम हुई।
- **किसानों को सहायता:** उपज के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी, किसानों की आय को स्थिर करना और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।
- **आपदा प्रबंधन:** प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्काल खाद्य राहत प्रदान करता है, जिसका उदाहरण कोविड-19 के दौरान निशुल्क राशन की आपूर्ति करना है।

चुनौतियाँ

- **भंडारण संबंधी समस्याएँ:** अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण अधिक मात्रा में खाद्यान्न बर्बाद होता है और भारत में प्रतिवर्ष लगभग 74 मिलियन टन (खाद्यान्न उत्पादन का 22%) खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है।
- **क्रय असंतुलन:** चावल और गेहूँ की अत्यधिक खरीद से बफर स्टॉक अधिक हो जाता है, जिससे अन्य अनाजों की उपेक्षा होती है तथा फसल विविधीकरण बाधित होता है।
- **वित्तीय बोझ:** बफर स्टॉक की वृहद् खरीद, भंडारण और वितरण में उच्च लागत आती है, पारगमन घाटे के कारण FCI को सालाना लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान होता है।
- **वितरण अकुशलताएँ:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में लीकेज, चोरी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ हैं, 2022-23 NSS सर्वेक्षण के अनुसार लीकेज 22% है।
- **गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ:** खाद्यान्नों की गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष: भारत में कीमतों को स्थिर रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये बफर स्टॉक बहुत ज़रूरी है। भंडारण और खरीद के मुद्दों को हल करने के साथ-साथ बुनियादी अवसंरचना तथा वितरण में सुधार करने से यह प्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी तथा किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा।

प्रश्न: भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है? इस संदर्भ में सरकार की 'उड़ान' योजना तथा इसकी उपलब्धियों पर चर्चा कीजिये।

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये)

What is the need to expand regional air connectivity in India? In this context, discuss the government's 'Udaan' scheme and its achievements.

उत्तर: भारत में व्यापक और समावेशी संवृद्धि हासिल करने के लिये क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार करना महत्त्वपूर्ण है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना- उड़े देश का आम नागरिक (RCS-उड़ान) योजना प्रारंभ की है।

क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी एक आवश्यकता

- उन्नत कनेक्टिविटी दूर-दराज के क्षेत्रों में व्यापार, पर्यटन और निवेश को सुविधाजनक बनाकर स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करती है।
- बेहतर हवाई संपर्क से वंचित क्षेत्रों में लोगों के लिये आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित होती है।
- हवाई यातायात में वृद्धि से विमानन, आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों को लाभ होगा।
- बेहतर कनेक्टिविटी से दूर-दराज और दर्शनीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, साथ ही शहरी-ग्रामीण विभाजन कम होता है तथा समान विकास को बढ़ावा मिलता है।

RCS-उड़ान

उड़ान योजना राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति, 2016 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत में विशेष रूप से दूर-दराज और वंचित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे तथा कनेक्टिविटी में सुधार करने के साथ आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना है।

उपलब्धियाँ

- अपनी शुरुआत के बाद से, उड़ान योजना के विभिन्न संस्करण लॉन्च किये गए हैं, जिनमें सबसे हालिया संस्करण उड़ान 5.1, 5.2 और 5.3 है, जो अंतिम मील कनेक्टिविटी और छोटे विमानों के माध्यम से पर्यटन पर केंद्रित हैं।
- इस योजना से 1 करोड़ से अधिक यात्री लाभान्वित हुए हैं और 2.5 लाख से अधिक उड़ानें संचालित हुई हैं, जिससे हवाईअड्डों के विकास में वृद्धि हुई है साथ ही हवाई यात्रा भी अधिक सुलभ तथा सस्ती हुई है, जिसके साथ रोज़गार के अवसर भी उत्पन्न हुए हैं।
  - अप्रैल 2024 तक इस योजना के तहत 85 हवाई अड्डों का संचालन आरंभ कर दिया गया है।
- RCS-उड़ान देश भर में 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जोड़ रहा है (जैसे- मुंद्रा (गुजरात) से अरुणाचल प्रदेश के तेजू से लेकर कर्नाटक के हुबली तक) तथा कम सुविधा वाले हवाई अड्डों, हेलीपोर्टस और वाटर एयरपोर्ट्स की शुरुआत कर रहा है।

निष्कर्ष: निरंतर प्रयासों के बावजूद, परिचालन मार्गों की अपूर्ण कार्यक्षमता के कारण चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो प्राय: न्यून अधिभोग दरों और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे से उत्पन्न होती हैं। हालाँकि RCS-उड़ान ने दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़कर और निम्न मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिये हवाई यात्रा को अधिक किफायती बनाकर विमानन परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया है।

प्रश्न: हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं? कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिये सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को बताइये।

What are the major challenges facing the Indian irrigation system in recent times? Explain the measures adopted by the government for efficient irrigation management.

उत्तर: भारत में कृषि के लिये देश के वार्षिक ताजे जल का लगभग 80% उपयोग किया जाता है, जो 700 बिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्ष 2022-23 तक कुल बोए गए 141 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 52% को सिंचाई की सुविधा मिल गई है, जो वर्ष 2016 में 41% से उल्लेखनीय वृद्धि है, जो मौजूदा चुनौतियों के बीच कुशल सिंचाई प्रबंधन के महत्त्व को दर्शाता है।

भारतीय सिंचाई प्रणाली के समक्ष चुनौतियाँ

- **जल की कमी:** भूजल के अत्यधिक उपयोग के कारण भारत के 64% ज़िलों में जल स्तर में कमी आई है।
- **जलवायु परिवर्तन:** नदियों के मार्ग में परिवर्तन तथा फसलों के लिये जल की बढ़ती मांग के कारण जल एक सीमित संसाधन बन रहा है।
- **पुरानी अवसंरचना:** सिंचाई की अवसंरचना पुरानी हो चुकी है, इसमें महत्त्वपूर्ण उन्नयन की आवश्यकता है।
- **खराब रखरखाव:** नहरों का रखरखाव अपर्याप्त रूप से किया जाता है, जिसके कारण अकुशलताएँ उत्पन्न होती हैं; सहभागितापूर्ण प्रबंधन का अभाव समस्या को और बढ़ा देता है।
- **भूमि उपयोग में परिवर्तन:** भूमि उपयोग पैटर्न और फसल पद्धतियों में परिवर्तन, जैसे जल की कमी वाले क्षेत्रों में अधिक जल वाली फसलें उगाना, मूल कृषि योजनाओं से दूर करती हैं।
- **धन की कमी:** सब्सिडी स्थापना के लिये अपर्याप्त धन; विभिन्न योजनाओं में धन का गलत आवंटन और कम उपयोग।

कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिये सरकारी उपाय

- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):** कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ सिंचाई वितरण नेटवर्क में सुधार और सिंचाई कवरेज का विस्तार करने के लिये शुरू की गई।
- **जल शक्ति अभियान (JSA):** वर्ष 2019 में आरंभ किया गया एक वार्षिक कार्यक्रम, जो संपूर्ण भारत में 256 जल-संकटग्रस्त ज़िलों में जल संरक्षण और प्रबंधन पर केंद्रित है।
- **कैच द रेन (Catch the Rain):** सभी ज़िलों के सभी ब्लॉकों को कवर करने के लिये वर्ष 2021 में आरंभ किया गया, जिसमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पहलों पर बल दिया गया है।
- **जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (BWUE):** कृषि और सिंचाई समेत विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2022 में स्थापित किया जाएगा।
- **पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC):** वर्ष 2015-16 से क्रियान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों जैसी सूक्ष्म सिंचाई विधियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है।

निष्कर्ष: जल की कमी और पुराने बुनियादी ढाँचे से निपटने के लिये, भारत को सतत् सिंचाई पद्धतियों को अपनाना चाहिये, प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना चाहिये तथा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना चाहिये। जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिये कुशल निधि उपयोग एवं भागीदारी प्रबंधन आवश्यक है।

2023

प्रश्न : जी.डी.पी. में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एम.एस.एम.ई. की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज़ आर्थिक संवृद्धि के लिये आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.

उत्तर : विकसित राज्यों की श्रेणी में आने वाले अधिकांश देश किसी-न-किसी समय विनिर्माण के केंद्र रहे हैं। राष्ट्रों की तेज़ आर्थिक संवृद्धि हेतु विनिर्माण क्षेत्रक निर्णायक होता है। हमारे निर्यात में 40% से अधिक और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% की हिस्सेदारी के आलोक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) आर्थिक संवृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।

विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु सरकारी नीतियाँ

- **मेक इन इंडिया पहल:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने के साथ विनिर्माण संबंधी बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- **औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम:** इसे ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिये राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है।
- **ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस:** इसका उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी के लिये प्रक्रियाओं के सरलीकरण करने, कानूनी प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने एवं सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना है।
- **राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली:** यह निवेशकों को वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म और सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसमें निवेश पूर्व सलाह, ऋण प्रदान बैंकों से संबंधित जानकारी प्रदान करना तथा केंद्र एवं राज्य स्तर पर व्यवसाय को मंज़ूरी देना शामिल है।
- **पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) :** इसका उद्देश्य मल्टीमॉडल बुनियादी ढाँचे के एकीकरण से डेटा-आधारित निर्णयों को सुविधाजनक बनाना है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम हो सके।

MSMEs के लिये विशेष नीतियाँ

- **उद्यमी मित्र पोर्टल:** यह क्रेडिट और हैंडहोल्डिंग सेवाओं की पहुँच में सुधार पर केंद्रित है।
- **MSME संबंध:** केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा MSMEs से की जाने वाली सार्वजनिक खरीद की निगरानी करना।
- **MSME समाधान:** यह सरकारी संगठनों द्वारा विलंब से भुगतान देने के संदर्भ में समाधान प्रदान करता है।
- **डिजिटल MSME योजना:** यह MSME के लिये क्लाउड-आधारित बुनियादी ढाँचे की सुविधा प्रदान करती है।

यह क्षेत्र लगभग 110 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार देता है और इसकी निर्यात एवं विनिर्माण में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी है। इसलिये यह भारत के समग्र आर्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में MSMEs क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। भविष्य में इसके रुझानों एवं अनुकूल नीतियों के आलोक में ऐसी प्रवृत्ति बनी रहेगी।

प्रश्न : भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है? इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिये और सुधार के लिये सुझाव दीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What is the status of digitalization in the Indian economy? Examine the problems faced in this regard and suggest improvements.

उत्तर : डिजिटलीकरण विभिन्न कार्यों को करने के लिये इंटरनेट-आधारित ढाँचे की ओर उन्मुख होने की प्रक्रिया है जो सामान्य तौर पर किसी व्यवसाय में आर्थिक और प्रबंधन संबंधी दक्षता में वृद्धि करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की पर्याप्त संभावनाएँ व क्षमताएँ हैं क्योंकि भारत में लगभग 77% आबादी के पास सक्रिय सेल्यूलर कनेक्शन हैं और यहाँ की एक-तिहाई आबादी सोशल मीडिया का उपयोग करती है। वर्ष 2023 की शुरुआत 48.7% की कवरेज दर के साथ भारत में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या लगभग 700 मिलियन है।

डिजिटलीकरण में समस्याएँ

- **लागत:** डिजिटलीकरण से व्यवसाय के परिचालन लागत को कम करने में मदद मिलती है, किंतु बुनियादी ढाँचे की स्थापना करना एक उच्च लागत वाला कार्य है।
- **बुनियादी ढाँचा:** बुनियादी ढाँचागत रूप से कम विकास वाले क्षेत्रों में इंटरनेट और इसकी नियमित सेवाओं की अनुपलब्धता एक अन्य समस्या है।
- **गोपनीयता:** डिजिटलीकरण से संबंधित एक गंभीर चिंता सुरक्षा उल्लंघन और डेटा के साथ छेड़छाड़ की संभावना है।
- **डिजिटल साक्षरता:** भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की काफी कमी है। महिलाओं में डिजिटल साक्षरता तुलनात्मक रूप से बहुत कम है।

संभावित सुधार

- **व्यापक नीति निर्माण:** गोपनीयता, सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढाँचे के विकास की वर्तमान समस्याओं का निपटान करने वाली नीतियाँ आवश्यक हैं।
- **निवेश:** डिजिटल बुनियादी ढाँचे के निर्माण तथा डिजिटल साक्षरता की दिशा में काम करने के लिये महत्त्वपूर्ण निवेश करने की आवश्यकता है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटलीकरण में तेज़ी आई है जिससे सकल वर्द्धित मूल्य (GVA) में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान वर्ष 2014 के 5.4% से बढ़कर वर्ष 2019 में 8.5% हो गया है, किंतु अभी भी डिजिटलीकरण की दिशा में काफी काम करने की ज़रूरत है।

प्रश्न : कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में ई-तकनीक किसानों की किस प्रकार मदद करती है? इसे समझाइये। (150 शब्द, 10 अंक)

How does e-Technology help farmers in production and marketing of agricultural produce? Explain it.

उत्तर : ई-प्रौद्योगिकियों में डिजिटल सूचना-आधारित ऐसी प्रणालियाँ शामिल हैं, जिनका पिछले कुछ वर्षों में हमारे जीवन के सभी आयामों में तेज़ी से प्रसार बढ़ा है। इससे कृषि क्षेत्र को भी लाभ प्राप्त हुआ है।

कृषि में लाभ

- **सिंचाई:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रणाली से जल के कुशल उपयोग के साथ सिंचाई करना सुलभ हो जाता है।
- **जलवायु भविष्यवाणी:** सेंसर से एकत्र किये गए डेटा के प्रसंस्करण के माध्यम से जलवायु की भविष्यवाणी करने से किसानों को फसल चक्र एवं फसल प्रतिरूप के संदर्भ में निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है।
- **फसल सुरक्षा:** सेंसर एवं एकीकृत प्रणालियों का उपयोग करके, फसलों की कीटों से सुरक्षा की जा सकती है।
- **वित्तपोषण की सुलभता:** इंटरनेट एवं डेटाबेस पर बढ़ते बैंकिंग नेटवर्क के कारण ऋणों तक लोगों की पहुँच का विस्तार हुआ है।
- **वैकल्पिक तरीके:** आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को स्वचालित तरीके से नियंत्रित एवं निष्पादित करने हेतु एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स जैसे तरीकों को ई-प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

विपणन में लाभ

- **ऑनलाइन बाज़ार:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कृषि उत्पाद बेचना बहुत सुलभ हो गया है।
- **आपूर्ति शृंखला को मज़बूत बनाना:** सूचना के प्रसार में वृद्धि के कारण परिवहन एवं भंडारण प्रक्रिया को और अनुकूल बनाया जाना संभव हो गया है।
- **कृषि उत्पादों के अद्यतन मूल्य से परिचित रहना:** इससे पारदर्शिता में वृद्धि होने के साथ किसान एवं उपभोक्ता दोनों ही कृषि उत्पादों के अद्यतन मूल्य से परिचित रह सकते हैं।

ई-प्रौद्योगिकी ने न केवल कृषि क्षेत्र को अधिक दक्ष बनाया है बल्कि किसानों को कुशल फसल उत्पादन उपकरण मिलने से उत्पादकता एवं लाभ को बढ़ावा मिला है।

प्रश्न : भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों को बताइये। आर्थिक मानदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

State the objectives and measures of land reforms in India. Discuss how land ceiling policy on landholding can be considered as an effective reform under economic criteria.

उत्तर : कुमारप्पा समिति की सिफारिश पर शुरू की गई भूमि जोत नीति के कारण भारत के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आयामों में काफी बदलाव आया है।

भूमि सुधार के उद्देश्य

- **किसानों को उनके अधिकार प्रदान करना:** निर्दिष्ट सुधारों की शुरुआत के माध्यम से छोटे किसानों को उनके अधिकार प्रदान किये गए जो परंपरागत रूप से अपनी भूमि के मालिक थे।
- **अभिलेख:** नागरिकों के बीच विवादों को कम करने के लिये अभिलेखों को अद्यतन किया गया है।
- **सशक्तीकरण:** चूँकि वंचित वाले समुदायों के पास अक्सर छोटी आकार की भूमि होती है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति निम्न होती है, ऐसे में इन सुधारों ने वंचित समुदायों के सशक्तीकरण में काफी अहम भूमिका निभाई है।
- **सामाजिक समानता:** संसाधनों का समान वितरण सामाजिक असमानताओं को दूर करने में मदद करता है।

लागू किये गए उपाय

- **भूमि सीमा:** सरकार ने किसी व्यक्ति अथवा परिवार के स्वामित्व के अंतर्गत रखी जा सकने वाली भूमि की मात्रा पर एक सीमा निर्धारित कर दी है।
- **ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन:** राज्यों ने विभिन्न कानूनों को पारित कर इस प्रथा का उन्मूलन किया, उदाहरण के लिये; ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश)।
- **सहकारी खेती:** कृषक वर्गों को एक समुदाय के रूप में मिलकर काम करने और अपने संसाधनों को संयोजित करने के लिये प्रोत्साहित किया गया।
- भूमि जोत नीति किसी व्यक्ति अथवा परिवार के पास अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित करती है। भूमि स्वामित्व को सीमित करते हुये भूमि जोत नीतियों का उद्देश्य कुछ धनी भूस्वामियों के पास मौजूद भूमि की सघनता को कम करना है।

एक प्रभावी सुधार के रूप में भूमि जोत नीति

- समतापूर्ण भूमि वितरण में वृद्धि से एक बड़ी जनसंख्या को मदद मिलती है, जो देश की आर्थिक वृद्धि में काफी योगदान दे सकता है।
- व्यापक आबादी के आर्थिक विकास के साथ यह लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा एवं व्यक्तियों व उनके संतानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायता करती है।

- अपनी भूमि से उपार्जन अर्जित करने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि के साथ व्यापक टैक्स बेस (कर प्राधिकरण द्वारा कराधान के अधीन आय, संपत्ति, परिसंपत्ति, उपभोग, लेनदेन अथवा अन्य आर्थिक गतिविधि का कुल मूल्य) तैयार होता है, जिससे कर संग्रह में भी सुधार होता है।

भारत में भूमि सुधारों ने न केवल भूमिहीनों को संसाधन उपलब्ध कराने में मदद की है बल्कि लंबे समय से हो रहे अन्यायों को दूर करने और अधिक समावेशी भविष्य के निर्माण में भी मदद की है।

प्रश्न: भारत में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोज़गारी की गणना के लिये अपनाई गई पद्धतियों का परीक्षण कीजिये और सुधार के सुझाव दीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Most of the unemployment in India is structural in nature. Examine the methodology adopted to compute unemployment in the country and suggest improvements

उत्तर: संरचनात्मक बेरोज़गारी मूल रूप से एक अनैच्छिक बेरोज़गारी है जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण होती है, जैसे कि एक नई तकनीक या उद्योग का विकास या जनसंख्या के पास मौजूद कौशल और बाज़ार में उपलब्ध नौकरी में सुमेलन के अभाव के कारण। भारत में संरचनात्मक बेरोज़गारी के प्रमुख कारणों में श्रम बाज़ार की कठोरता, भौगोलिक कारण, कृषि पर निर्भरता, अवसंरचनात्मक बाधाएँ एवं नियामक चुनौतियाँ शामिल हैं।

देश में बेरोज़गारी की गणना के लिये अपनाई गई पद्धतियाँ

NSSO द्वारा गणना

- **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS):** इसके अंतर्गत एक सप्ताह की अल्प संदर्भ अवधि को अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को नियोजित माना जाता है जिन्होंने पिछले सात दिनों में कम-से-कम एक दिन न्यूनतम एक घंटा कार्य किया हो। उदाहरण के लिये, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिये शहरी क्षेत्रों में CWS में श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2022 की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में बढ़कर 48.2 प्रतिशत हो गई।
- **सामान्य सिद्धांत स्थिति और सहायक स्थिति (UPSS):** यह प्रधान स्थिति दृष्टिकोण का एक विस्तार है। यदि किसी व्यक्ति ने पूर्ववर्ती 365 दिनों के दौरान 30 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिये किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न रहा है तो एक व्यक्ति को इस दृष्टिकोण के तहत नियोजित माना जाता है।
- **वर्तमान दैनिक स्थिति:** यह उन लोगों की संख्या को इंगित करता है जिन्हें सप्ताह में एक या अधिक दिनों तक कार्य नहीं मिला।
- **श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण:** श्रम ब्यूरो भारत में बेरोज़गारी और रोज़गार संबंधी आँकड़े प्राप्त करने के लिये सर्वेक्षण का कार्य करता है। उदाहरण के लिये, अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना-आधारित रोज़गार सर्वेक्षण (AQEES)।

आगे की राह

- **सर्वेक्षणों की आवृत्ति में वृद्धि:** सर्वेक्षणों की समयबद्धता और अद्यतनीकरण सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि बढ़ी हुई आवृत्ति बदलते रोज़गार रुझानों को बेहतर समझ प्रदान करती है।
- **कृषि का आधुनिकीकरण:** कृषि के निवेश में वृद्धि, अग्रवर्ती एवं पश्चवर्ती शृंखलाओं के माध्यम से कई गुना प्रभाव छोड़ सकती है, उदाहरण के लिये, शीत भंडारण को बढ़ावा देना।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का समावेश:** 80 प्रतिशत से अधिक श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जिसे औपचारिक क्षेत्र में शामिल करने की आवश्यकता है।
- **मौसमी समायोजन:** कृषि और अन्य मौसमी रोज़गार प्रवृत्तियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुये मौसमी समायोजन तकनीकों में सुधार की आवश्यकता है।

निष्कर्षत: अब समय आ गया है कि भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने एवं कुछ चुनौतियों तथा बेरोज़गारी बाधाओं के साथ समृद्ध जनसांख्यिकीय लाभांश का पोषण करने के लिये अपनाई गई पद्धतियों के अद्यतनीकृत करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: 'देखभाल अर्थव्यवस्था' और 'मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था' के बीच अंतर कीजिये। महिला सशक्तीकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है? (250 शब्द, 15 अंक)

Distinguish between 'care economy' and 'monetized economy'. How can care economy be brought into monetized economy through women empowerment?

उत्तर: 'देखभाल अर्थव्यवस्था' और 'मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था' कार्य की प्रकृति एवं मूल्य से संबंधित है तथा ये आर्थिक गतिविधियों के दो अलग-अलग पहलू हैं।

- देखभाल अर्थव्यवस्था के तहत देखभाल और सामाजिक सहायता प्रदान करने से संबंधित अवैतनिक या कम भुगतान वाले कार्यों को संदर्भित किया जाता है, जो अक्सर घरों के अंदर किये जाते हैं, उदाहरण के लिये; बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, घरेलू कार्य आदि। कुछ हद तक इसमें सीमित भुगतान वाली नर्सों की देखभाल, सेवाएँ (अक्सर महिलाओं की) शामिल होती हैं। ऐसी गतिविधियों के लिये भुगतान आमतौर पर बिल्कुल नहीं या बहुत कम मिलता है। मानव विकास एवं सामाजिक एकजुटता में महत्त्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद इसे बहुत कम महत्त्व दिया गया है।
- मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में ऐसी सभी आर्थिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जिन्हें मौद्रिक मूल्य के संदर्भ में संबोधित किया जाता है। इसमें वस्तुओं के उत्पादन के साथ वित्त, व्यापार आदि शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। इसमें प्रतिकर मौद्रिक मूल्य के रूप में प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था में होने वाले कार्य एवं उत्पादित वस्तुओं का भुगतान वेतन आदि के रूप में किया जाता है। इसका आकलन सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान से किया जाता है और इसे अक्सर आर्थिक विकास के मापन के रूप में उपयोग किया जाता है।

महिला सशक्तीकरण के माध्यम से देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के तरीके

- सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, जो देखभाल संबंधी भूमिकाओं में महिलाओं के लिये आय सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिये, ऐसी भूमिकाओं में संलग्न महिलाओं के लिये पेंशन बीमा।
- बेहतर परिवर्तन के लिये कौशल विकास और औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को शामिल करने पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।
- देखभाल वाली अर्थव्यवस्था में सरकार एवं नागरिक समाज संगठनों के मध्य लैंगिक रूप से तटस्थ सुधारों और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिये सहायक सरकारी नीतियों की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिये, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राष्ट्रीय क्रेच योजना आदि।
- देखभाल क्षेत्र के लिये तकनीकी समाधानों पर विचार किया जा सकता है जो समय की बचत और महिलाओं को औपचारिक क्षेत्र के रोज़गार के लिये समुचित परिस्थितियों का निर्माण करे।

देखभाल अर्थव्यवस्था का मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में एकीकरण न केवल महिलाओं के लिये आर्थिक अवसरों में वृद्धि करेगा बल्कि एक अधिक समावेशी तथा न्यायसंगत समाज के निर्माण में अहम भूमिका अदा करेगा।

प्रश्न : खपत पैटर्न और विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में, भारत में फसल प्रारूप (क्रॉपिंग पैटर्न) में हुये परिवर्तनों की व्याख्या कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Explain the changes in cropping pattern in India in the context of changes in consumption pattern and marketing conditions.

उत्तर : फसल प्रारूप में परिवर्तन उपभोक्ताओं की उभरती मांग, विपणन गतिशीलता और आर्थिक कारकों को दर्शाते हैं, साथ ही ये खपत पैटर्न तथा विपणन गतिशीलता के साथ निकटता से संबंधित हैं।

विपणन दशाओं में परिवर्तन का फसल प्रारूप पर प्रभाव

- बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से किसानों का बेहतर बाज़ार तक पहुँच में विस्तार हुआ है और इससे कुछ फसलों की कृषि को प्रोत्साहन भी मिला है।
- अल्फांसो आम, बासमती चावल जैसी कुछ फसलों के लिये अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच होने से उनकी कृषि में वृद्धि हुई है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तंत्र जैसी सरकारी पहल किसानों को इसके अंतर्गत आने वाली फसलें उगाने के लिये प्रोत्साहित करती है।
- राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-NAM) का उद्देश्य फसल उत्पादकों को बेहतर मूल्य के साथ बाज़ार तक आसान पहुँच प्रदान करना है।

खपत पैटर्न में परिवर्तन का फसल प्रारूप पर प्रभाव

- आय में वृद्धि और शहरीकरण के साथ प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों, फलों, सब्ज़ियों, डेयरी, पोल्ट्री आदि की मांग में भी वृद्धि हुई है।
- स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण जैविक और पोषक तत्त्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी है।
- रसायन-मुक्त भोजन की मांग में वृद्धि के साथ, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स फसलों में वृद्धि के कारण विदेशी भोजन की मांग में भी वृद्धि देखी जा सकती है।

उपभोक्ता की प्राथमिकता, विपणन दशाएँ, सरकारी नीतियाँ, तकनीकी प्रगति सहित अन्य कई कारक फसल प्रारूप में परिवर्तन को आकार देते हैं।

प्रश्न : भारत में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है? विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधी मुद्दों की विवेचना कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

What are the direct and indirect subsidies provided to farm sector in India? Discuss the issues raised by the World Trade Organization (WTO) in relation to agricultural subsidies.

उत्तर : सब्सिडी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों अथवा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का एक रूप है। सब्सिडी का प्राथमिक उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की लागत को कम करना तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।

भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी

- किसानों के लिये उर्वरकों को किफायती बनाने के लिये सरकार NPK उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करती है।
- HYV और आनुवंशिक रूप से उन्नत किस्मों के बीजों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये प्रमाणित बीजों पर सब्सिडी प्रदान करती है।
- पी.एम.-किसान योजना के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष ₹6,000 का सीधा नकद अंतरण करती है।
- किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिये भी सब्सिडी प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिये, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) योजना।
- भारत सरकार कुछ प्रमुख फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करती है, इसके तहत किसानों को विभिन्न फसलों के लिये गारंटीकृत मूल्य प्रदान किया जाता है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधी मुद्दे

- WTO के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र व्यापार को विकृत करता है, विशेष रूप से चावल के संदर्भ में, जिसमें सब्सिडी निर्धारित सीमा से काफी अधिक है।

- WTO भारत की कृषि पद्धतियों को पर्यावरण के लिये हानिकारक मानता है क्योंकि कृषि उपयोगों के लिये भू-जल का अत्यधिक दोहन तथा उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग चिंता का विषय बना हुआ है।
- कृषि संबंधी वस्तुओं की निर्यात मात्रा बढ़ाने के लिये घरेलू कृषि निर्यातकों को प्रदान किया जाने वाला सरकारी समर्थन भी चिंता का एक अन्य विषय रहा है।

कृषि भारत की लगभग आधी आबादी के लिये रोज़गार का स्रोत है और खाद्य असुरक्षा तथा बेरोज़गारी को कम करने में सब्सिडी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैश्विक व्यापार प्रथाएँ इस प्रकार होनी चाहिये, जिससे विकासशील देशों को अपनी आबादी के बड़े हिस्से को निर्धनता से बाहर निकालने के लिये पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके।

2022

प्रश्न : भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्त्व का सविस्तार वर्णन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Elaborate the scope and significance of the food processing industry in India.

उत्तर : भारत में खाद्य क्षेत्र विशेष रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के भीतर मूल्यवर्धन की अपार संभावनाओं के कारण एक उच्च विकास और उच्च लाभ वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्य क्षेत्र

- भारतीय खाद्य और किराना बाज़ार दुनिया का छठा सबसे बड़ा बाज़ार है।
- यह उद्योग देश के कुल खाद्य बाज़ार में 32% हिस्सा रखता है और उत्पादन, खपत, निर्यात और अपेक्षित वृद्धि के मामले में 5वाँ स्थान रखता है।
- भारतीय खाद्य बाज़ार का मूल्य वर्तमान में 1.3B$ है और 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है।

IFPI के महत्त्व

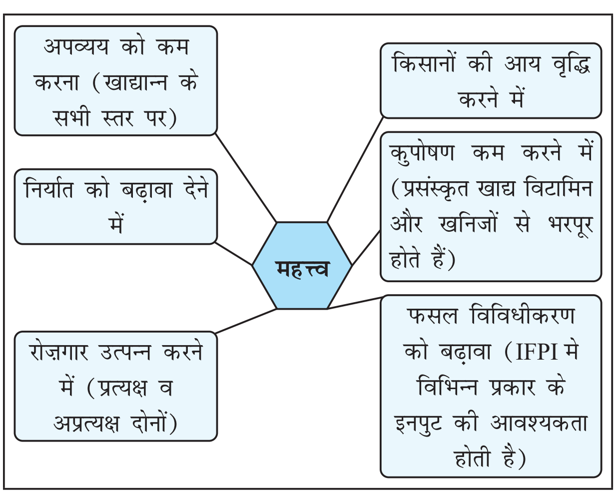

IFPI की सीमाएँ

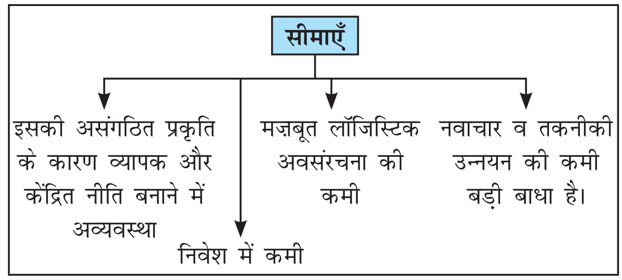

आगे की राह

- इस क्षेत्र का औपचारिकीकरण करके वास्तविक दोहन करना;
- अधिक निवेश और लाजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट से नौकरी के अवसर पैदा करना;
- ग्रीन फील्ड्स परियोजनाओं के लिये विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वय की आवश्यकता है।
- वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक 7 साल के लिये 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ FPI के लिये उत्पादन से जुड़ी "प्रोत्साहन योजना" को मंजूरी दी गई।
- मेगा फूड पार्क योजना गेम-चेंजर साबित हो सकती है।

प्रश्न : भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है? (150 शब्द, 10 अंक)

What are the major challenges of Public Distribution System (PDS) in India? How can it be made effective and transparent?

उत्तर : सार्वजनिक वितरण प्रणाली (P.D.S) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। इसे केंद्र व राज्य द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है।

भारत में P.D.S प्रणाली की प्रमुख चुनौतियाँ–

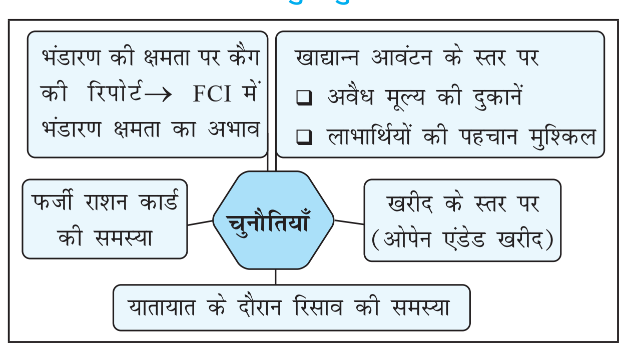

हालाँकि, इसे प्रभावी और पादर्शी बनाने के लिये विभिन्न उपाय किये जा सकते हैं;

- आधार लिंक्ड और डिजिटलाइज्ड राशन कार्ड

- कंप्यूटरीकृत उचित मूल्य की दुकानें; (प्वाइंट ऑफ सेल की स्थापना)
- DBT को बढ़ावा (इससे हर साल 30 हजार करोड़ सरकारी बचत होगी)
- PDS के लिये वाधवा समिति की सिफारिश (2011) (एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण की सिफारिश)
- GPS तकनीक का प्रयोग (डायवर्जन रोकने के लिये)
- SMS प्रणाली से निगरानी (उचित स्थान खाद्यान्न की पहुँच)

P.D.S सरकार के सबसे बड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक है। मौजूदा T.P.D.S प्रणाली को क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन अधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ लीकेज को बंद करने जैसे प्रयासों के साथ और मजबूत और सार्वजनिक किया जा सकता है।

प्रश्न : देश में आयु संभाविता में आई वृद्धि से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। यह नई चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं और उनके समाधान हेतु क्या-क्या कदम उठाए जाने आवश्यक हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

The increase in life expectancy in the country has led to newer health challenges in the community. What are those challenges and what steps need to be taken to meet them?

उत्तर : जीवन प्रत्याशा एक दी गई आयु के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या है। भारत में 1970 के दशक में 49.7 से 2015 के बाद के वर्षों में 69.7 तक हो गई। चिकित्सा देखभाल में प्रगति, सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज, स्वच्छता इत्यादि के कारण इसमें वृद्धि हुई है।

जीवन प्रत्याशा में वृद्धि ने कई नई चुनौतियों को जन्म दिया है।

चुनौतियाँ

- भारत औसत आयु-28.4 वर्ष होने के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश से लाभान्वित होने के साथ वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई जो 2001 में 7.5% से 2021 में 12.5% हो गई।
- भारत में जरा चिकित्सा देखभाल विशेषज्ञता का अभाव पाया जाना।
- बुजुर्गों के लिये जीवन गुणवत्ता सूचकांक में वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात 2011 में 14.2% था, जो 2021 में 15.7% हो गया, जो जटिल स्वास्थ्य समस्या पैदा करता है।
- बढ़ती उम्र की आबादी की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण परिवार पर वित्तीय बोझ यथा बीमा कवरेज अभाव।
- वृद्धों में आपदा खतरा अधिक होता है। जोखिम में रहने वालों में 33% वृद्ध होते हैं।

चुनौतियों के निपटान के लिये उठाए जाने वाले कदम

कदम

- WHO द्वारा 2020 से 2030 दशक को "स्वस्थ उम्र बढ़ने के दशक" रूप में घोषित किया गया। अत: एम्स जैसे संगठनों/संस्था को जागरूकता बढ़ाने जाने की आवश्यकता।
- 'आयुष्मान भारत' जैसे प्रयासों से सरकार को आक्रामक रूप से स्वास्थ्य देखभाल पहुँच, गैर-संचारी रोग प्रबंधन, जीवन शैली में बदलाव इत्यादि का प्रयास।
- CSR कार्यक्रमों से बुजुर्गों की ज़रूरतों के लिये प्रत्यक्ष योगदान के लिये एक ढाँचा स्थापित किया जाना।
- सक्रिय देखभाल-पेशेवर कारणों से बच्चे माता-पिता से दूरी बना लेते हैं। अत: बुजुर्गों को प्रक्रियात्मक देखभाल पर ज़ोर।
- PPP प्रणाली प्रयोग, बीमा वृद्धि इत्यादि के माध्यम से बुजुर्गों के लिये मुफ्त चिकित्सा प्रदान किया जा सकता है।

निष्कर्षत : बुजुर्गों को समुदायों में शामिल करने के लिये उचित प्रबंधन के साथ थोड़ा निवेश करने से उनके स्वास्थ्य और बुजुर्गों की भलाई में सुधार होने के साथ-साथ समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण में वृद्धि होगी।

प्रश्न : बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं में सार्वजानिक निजी साझेदारी (PPP) की आवश्यकता क्यों? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पी.पी.पी. मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Why is Public Private Partnership (PPP) required in infrastructural projects? Examine the role of PPP model in the redevelopment of Railway Station in India.

उत्तर : किसी परियोजना के लिये सरकार या उसकी वैधानिक संस्था और निजी क्षेत्र के बीच हुआ एक समझौता जिसके तहत शुल्क लेकर ढाँचागत सेवाएँ प्रदान की जाती है। इसमें दोनों पक्ष एक SPV (स्पेशल परपज व्हीकल) गठित कर परियोजना पर अमल करते हैं–

ढाँचागत परियोजनाओं के लिये PPP की आवश्यकता क्यों

- तकनीक हस्तांतरण एवं सरकार पर वित्तीय बोझ कम
- समय खपत कम, निगरानी में सुधार
- निजी क्षेत्र के साथ जोखिम बंटवारा
- निवेश को बढ़ावा एवं इंफ्रा विकास
- लोचदार सेवाएँ प्रदान करना एवं लागत प्रभावी
- नवाचार, रचनात्मकता, पारदर्शिता को बढ़ावा
- सार्वजनिक, निजी साझेदारी के लाभ

अवसंरचना क्षेत्र के लिये PPP मॉडल उदाहरण

PPP

अवसरंचना विकास में तीव्रता	प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा,	पूंजी तक
उदा. PPP द्वारा ही NHAI सड़क निर्माण में 29.81 Km/Day पहुँचा, जो 2014-15 में 16.61 km/day	बंदरगाहों को विश्व स्तरीय बनाने हेतु PPP द्वारा समाधान, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट	बेहतर पहुँच उदा. हैदराबाद मेट्रो परियोजना बना

भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में PPP मॉडल की भूमिका

- **बेहतर निवेश:** भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आई.आर.एस.डी.सी.) 2012 से PPP माध्यम से स्टेशनों के पुनर्विकास एवं नए निर्माण के लिये SPV को बनाया गया।
- **अधिकतम उपयोग:** रेलवे के पास अनुमानित सरकारी भूमि 4.77 लाख हेक्टेयर। अत: भूमि का अधिकतम उपयोग संभव।
- **रोज़गार सृजन:** रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा PPP मॉडल द्वारा भूमि विकास के लिये निजी इक्विटी मॉडल अपनाना, जो रोज़गार में वृद्धि करेगा।
- **रेलवे का आधुनिकीकरण:** रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प एवं विकास उदा. गांधीनगर पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएँ दी गई, साथ ही स्टेशन के ऊपर होटल लीला गांधीनगर बनाया गया।
- **पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन निवेश के केंद्र:** यह नए बने रेलवे स्टेशन, पर्यटन क्षमता को बढ़ावा, अचल संपत्ति का बेहतर प्रयोग कर रोज़गार सृजन प्रोत्साहन, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालेंगे।
- **आर्थिक गतिविधियों का केंद्र:** नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में 2024-25 के लिये भारतीय रेलवे में 11.43 लाख करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई।

निष्कर्षत: भारतीय रेलवे के अनुमानित पुनर्निर्माण पर विवेक देवरॉय समिति द्वारा प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिये निजी क्षेत्र के कार्य निवेश एवं मुक्त नियंत्रक की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है। अत: भारतीय रेलवे के ढाँचागत विकास में तेजी के लिये PPP के लाभों को साकार करने का एक उदाहरण मात्र है नवाचार बढ़ावा इत्यादि को शामिल कर इसके ढेर सारे लाभों को प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न: समेकित कृषि प्रणाली क्या है? भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिये यह कैसे लाभदायक हो सकती है? **(250 शब्द, 15 अंक)**

What is Integrated Farming System? How is it helpful to small and marginal farmers in India?

उत्तर: समेकित कृषि प्रणाली एक अन्योन्याश्रित उत्पादन प्रणाली है। जिसमें फसलों, कृषि वानिकी, पशुधन, मत्स्य, मवेशी पालन, इत्यादि को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि वे एक-दूसरे के पूरक हों, जिससे संसाधनों की दक्षता, उत्पादकता, लाभ प्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुये वृद्धि की जा सके।

समेकित कृषि प्रणाली घटक

- जलीय कृषि एवं जल छाजन
- जैविक उर्वरक एवं कृत्रिम खाद
- पशुधन प्रवर्द्धन

समेकित कृषि प्रणाली छोटे एवं सीमांत किसानों के लिये सहायक

- **आर्थिक संवृद्धि:** IFS छोटे, सीमांत किसानों के लिये फसल और संबद्ध उद्यमों की गहनता के आधार पर प्रति इकाई क्षेत्र में आर्थिक उपज बढ़ावा प्रदान करती है।
- **निवेश की लागत कम:** रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम एवं मवेशियों का गोबर, फसल अवशेष इत्यादि को वर्मी कंपोस्ट में बदलकर पोषक तत्त्वों का उपयोग कर लागत प्रभावी।
- **पर्यावरणीय रूप में टिकाऊ:** IFS में एक उप-उत्पाद का सब सिस्टम एक-दूसरे सबसिस्टम के लिये इनपुट के रूप में कार्य करता है, जो पर्यावरणीय रूप में अनुकूल है।
- **आय स्थिरता:** IFS प्रणाली से छोटे एवं सीमांत किसानों को आय के स्रोतों में विविधता (पशु पालन, मत्स्य पालन, जलीय कृषि इत्यादि) से किसान फसल की विफलता, मूल्य उतार-चढ़ाव इत्यादि जोखिमों का सामना करने में सक्षम।

IFS प्रणाली के मध्य चुनौतियाँ

- वित्त संबंधी समस्याएँ उदा. तालाब निर्माण, मत्स्य पालन इत्यादि के लिये वित्त की कमी।
- रूढ़िवादिता एवं धार्मिक अवधारणाओं के कारण यथा- सूअर पालन, मुर्गी पालन इत्यादि अपनाने में हिचकिचाहट।
- MSP प्रणाली, कमियाँ उदा. मधुमक्खी पालन, मशरूम खेती इत्यादि MSP में शामिल नहीं।
- विपणन संबंधी समस्याएँ, उदा. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों एवं होटलों के साथ बेहतर एकीकरण का अभाव।
- जागरूकता अभाव यथा नई कृषि प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी अपनाने में झिझक।

निष्कर्षत: IFS प्रणाली कई लाभ प्रदान कर "जलवायु स्मार्ट कृषि" का मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन किसानों को आत्मनिर्भर बनाने एवं आय स्थिरता दोगुनी करने के लिये टिकाऊ कृषि प्रणालियों और अच्छी तरह से डिज़ाइन समेकित कृषि प्रणाली की आवश्यकता है।

प्रश्न: भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की उर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएँ क्या हैं? **(250 शब्द, 15 अंक)**

What are the main bottlenecks in upstream and downstream process of marketing of agricultural products in India?

उत्तर: कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएँ सम्मिलित की जाती है जो कृषि उत्पाद/उपज को खेत से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के दौरान करनी पड़ती है भारत में कृषि उत्पादकता प्रभावित होने का एक

कारण विकृत कृषि विपणन प्रणाली है, विपणन की ऊर्ध्वप्रवाह प्रक्रिया में बीज, उर्वरक, उपकरण इत्यादि शामिल हैं, वहीं अनुप्रवाह प्रक्रिया में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संवर्द्धित सेवाएँ शामिल हैं। विपणन की बाधाओं को निम्न प्रकार से देखते हैं–

ऊर्ध्वमुखी बाधाएँ

- **नीतिगत कमियाँ:** सिर्फ कुछ राज्यों द्वारा APLMA अधिनियम अपनाना
- **अनुबंध कृषि अनुमति नहीं:** APMC में अनुबंध कृषि की अनुमति नहीं दी गई
- **वित्त एवं निवेश का अभाव:** कृषि में वित्त की कमी के कारण उच्च किस्म के बीज, उर्वरक इत्यादि उपलब्ध नहीं।
- किसानों की बाज़ार तक सीमित पहुँच, जो उत्पाद गुणवत्ता एवं उपज को प्रभावित करता है।

अधोमुखी बाधाएँ

- **दोषपूर्ण MSP:** यह निजी व्यापारियों MSP पर या अधिक मूल्य पर उत्पादन खरीदने को मजबूर करती है।
- **अवसंरचना अभाव:** डबलिंग फार्मर्स इनकम रिपोर्ट के अनुसार APMC के तहत मौजूदा-6676 प्रमुख बाज़ारों तथा उपबाज़ारों में अवसंरचना का अभाव
- **भंडार क्षमता अभाव:** उत्पादन की बर्बादी ज्यादा एवं गुणवत्ता प्रभावित
- **ग्राहक सेवा अभाव:** यह उत्पाद एवं अंतिम उपयोगकर्त्ता के बीच सेतु का कार्य करता है जो "फार्म टू फार्क" में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आगे की राह

- विपणन में FPC को बढ़ावा देना
- एकीकृत बाज़ार बनाना उदा. eNAM इत्यादि
- बाज़ार एवं किसानों के बीच की दूरी कम करना, उदाहरण: GRAM's (ग्रामीण रूरल एग्रीकल्चर मार्किट) का निर्माण
- कानूनी सुधार-APMC विसंगतियों को दूर करना

निष्कर्षत: विपणन की बाधाओं से निपटना जटिल है, असंभव नहीं। अत: किसानों की आय दोगुना करने हेतु विपणन सुधार (कृषि उत्पादन से लेकर कृषि विपणन तक) किया जा सकता है।

प्रश्न : क्या बाज़ार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिये वित्तीय समावेशन के महत्त्व का उल्लेख कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Is inclusive growth possible under market economy? State the significance of financial inclusion in achieving economic growth in India.

उत्तर : आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) समावेशी विकास को आर्थिक विकास के रूप में परिभाषित करता है, जो समाज में उचित रूप से संसाधनों को वितरित कर सभी को समान अवसर उपलब्ध कराता है।

बाज़ार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास

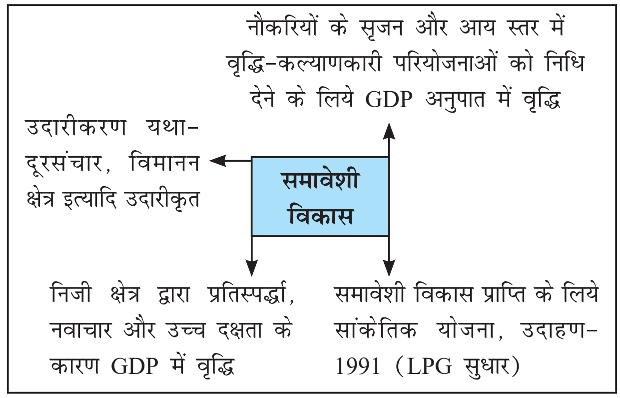

हालाँकि समावेशी विकास और बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ विरोधाभासी हो सकती हैं–

- शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं की डिलिवरी में निजी क्षेत्र का सीमित फोकस
- निजी क्षेत्र द्वारा ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों की उपेक्षा, जो असमानताओं को बढ़ाती है।
- धन का संकेंद्रण
- सब्सिडी वाली कीमतों का अभाव, जो कमज़ोर तबके को प्रभावित करता है।

भारत के आर्थिक विकास के लिये वित्तीय समावेशन का महत्त्व

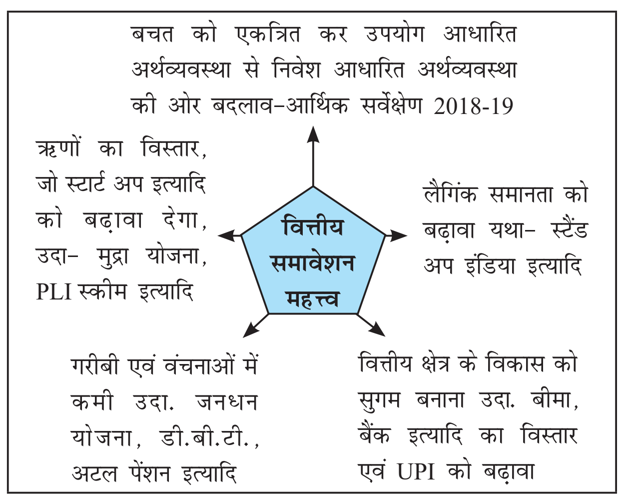

निष्कर्ष

बाज़ार अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप में कुशल होने के बावजूद समावेशी विकास के क्रियान्वयन के लिये आदर्श प्रणाली नहीं है। अत: सरकार को बैंकिंग, बीमा, पेंशन, रोज़गार इत्यादि तक सार्वभौमिक पहुँच में और तीव्र गति से विस्तार की आवश्यकता है जो भारत को 7-SDG's (सतत् विकास प्राप्ति पर प्रकाश डालते हैं) को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।

प्रश्न: हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन को समझाइये, ऐसे संवृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिये, जो श्रम उत्पादकता से समझौता किये बिना अधिक रोज़गार उत्पत्ति में सहायक हो। (250 शब्द, 15 अंक)

Economic growth in the recent past has been led by increase in labour productivity. Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labour productivity.

उत्तर: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा श्रम उत्पादकता एक निश्चित समय अवधि के दौरान श्रम की प्रति इकाई (नियोजित व्यक्तियों की संख्या या काम के घंटों के संदर्भ में मापा जाता हैं) उत्पादित उत्पादन की कुल मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है।

श्रम उत्पादकता मे वृद्धि के कारण आर्थिक विकास

आर्थिक विकास
- 1991 सुधारों के बाद पूंजी सघनता, प्रौद्योगिकी में सुधार श्रम गुणवत्ता सुधार के कारण श्रम उत्पादकता बढ़ाना जिसने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया।
- 1991 के सुधारों से भारत की GDP में सेवा क्षेत्र हिस्सेदारी को बढ़ावा 55% तक
- ग्रामीण भारत की उत्पादकता में वृद्धि विनिर्माण, उत्पादन में ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान 25% (1970-71) से 50% (2011-12) हो गया।
- Covid-19 के बाद वर्कफ्रॉम होम के प्रचलन ने लोगों को अपने संबंधित आर्थिक कार्यो और व्यवसायों के लिये अधिक समय देने का मौका दिया, जिससे श्रम गतिविधियाँ बढ़ी एवं उत्पादकता वृद्धि भी।
- सरकार द्वारा योजनाएँ कौशल विकास, मेक इन इंडिया द्वारा बेहतर कुशल कार्य बल का निर्माण

आगे की रणनीतियाँ

- श्रम उत्पादकता से समझौता न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त संख्या में रोज़गार का सृजन आश्वस्त करने हेतु विनिर्माण-गहन उद्योगों, MSME क्षेत्र और स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- पूंजीगत व्यय के माध्यम से सरकार रोज़गार सृजित कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रम उत्पादकता से समझौता न किया जाए।
- इसके अलावा, यह कार्यबल को बढ़ाने के साथ-साथ वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण तरीकों को अपनाकर सरकारी नियुक्तियों में वृद्धि के उद्देश्य से कार्यक्रम भी शुरू कर सकता है।
- ऑटोमेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई तथा कुशल प्रौद्योगिकियों की शुरुआत श्रम उत्पादकता को बनाए रखने और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने का एक और तरीका है।
- आबादी के उन वर्गों को कार्यबल की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिये, जो अब तक श्रम गतिविधि में सक्रिय योगदान देने में सक्षम नहीं हैं।

निष्कर्ष

इन रणनीतियों से भारत को अधिक रोज़गार सृजन एवं जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में सक्षम बनाएगा।

2021

प्रश्न: देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये किस प्रकार सहायता की है। (150 शब्द, 10 अंक)

How did land reforms in some parts of the country help to improve the socio-economic conditions of marginal and small farmers?

उत्तर: भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना अर्थात् भू-धारिता को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि जिसका अधिकतम उपयोग संभव हो, 'भूमि सुधार' कहलाता है।

भारत में भूमि सुधारों द्वारा सीमांत एवं लघु किसानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार

- **बिचौलियों का उन्मूलन:** ज़मींदारी, महालवारी, रैयतवारी व्यवस्था समाप्त करना, कर्ज के जाल को रोकना एवं सीमांत एवं लघु किसानों की बेदखली शामिल था।
- **काश्तकारी सुधार:** इसमें काश्तकारों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान करना शामिल था। इसमें खाद्य सुरक्षा, सिंचाई, बीजों की उपलब्धता इत्यादि में मदद मिली, उदा. ऑपरेशन बरगा (पश्चिम बंगाल)
- **चकबंदी:** ज़मीनों की पूलिंग में मदद, तकनीक आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर अधिक उत्पादन में मदद।
- **सीलिंग:** इसमें कानूनों के द्वारा बड़े ज़मींदारों से भूमिहीन मजदूरों, किसानों को भूमि पुनर्वितरण सुनिश्चित किया।
- **भूमि अभिलेखीकरण:** भूमि अभिलेखीकरण, अपडेशन, डिजिटलीकरण द्वारा मुकदमेबाजी में कमी एवं छोटे लघु किसानों को ऋण उपलब्ध एवं नीति बनाने में मदद मिली।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि भूमि सुधार ने लघु, सीमांत किसानों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति सुधार किया है, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

चुनौतियाँ
- सीलिंग के तहत बेनामी लेनदेन ने ज़मींदारों का नियंत्रण सुनिश्चित किया
- बड़े पैमाने पर कानूनी मुकदमेबाज़ी को बढ़ावा दिया।
- काश्तकारी की स्पष्ट परिभाषा का अभाव
- विरासत कानूनों, भूमि विभाजन एवं विखंडन को जन्म
- भूमि सुधार उपायों की गति धीमी एवं बोझिल क्रिया

निष्कर्षत: अत: भूमि सुधार उपायों के क्रियान्वयन की धीमी गति रही है, परंतु प्रति व्यक्ति कृषि भूमि उपलब्धता 1951 में 0.34 हेक्टेयर से घटकर वर्तमान में 0.24 हेक्टेयर रह गई है। अत: अब भारत को दूसरी पीढ़ी के भूमि सुधारों की ओर बढ़ने के साथ-साथ डिजिटलीकरण, वित्तीय समावेशन और महिलाओं एवं वंचित समुदायों के स्वामित्व पर केंद्रित कर आगे कदम बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

प्रश्न: पूंजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये। इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइये। (150 शब्द, 10 अंक)

Distinguish between Capital Budget and Revenue Budget. Explain the components of both these Budgets.

उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार को वार्षिक अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का वार्षिक विवरण प्राप्त होता है, जो वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग 'बजट प्रभाग' द्वारा तैयार किया जाता है–

पूंजी बजट और राजस्व बजट में अंतर

पूंजी बजट	राजस्व बजट
पूंजी बजट में सरकार को अनुमानित पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्यय का विवरण होता है।	राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियों और इस प्राप्ति से किये जाने वाले व्यय शामिल होते हैं।
पूंजीगत बजट में देश की आधारभूत संरचना पर निवेश कर दीर्घकालिक विकास पर बल दिया जाता है।	राजस्व बजट में देश के दिन-प्रतिदिन के खर्चों, योजनाओं पर ध्यान दिया जाता है।
अर्थव्यवस्था में पूंजी बजट में आधिक्य की स्थिति है तो यह अर्थव्यवस्था के पिछड़ने को दर्शाता है।	यदि राजस्व बजट आधिक्य की स्थिति में है तो यह वृद्धिशील अर्थव्यवस्था को दिखाता है।

दोनों बजटों के संघटक

पूंजी बजट संघटक	राजस्व बजट संघटक
पूंजीगत प्राप्तियाँ: वे प्राप्तियाँ जो या तो देनदारियों का सृजन करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है।	**राजस्व प्राप्तियाँ:** इसमें कर राजस्व (जैसे- आयकर, उत्पाद शुल्क इत्यादि।) और गैर-कर राजस्व (जैसे- ब्याज, लाभ इत्यादि) शामिल होते हैं।
पूंजीगत व्यय: सरकार का वह व्यय है जो या तो संपत्ति का निर्माण करता है या देयता को कम करता है।	**राजस्व व्यय:** वे व्यय जो न तो कोई संपत्ति बनाते हैं और न ही सरकार के दायित्व में कमी बताते हैं। उदा. पेंशन, वेतन, अनुदान इत्यादि।

निष्कर्षत: उपर्युक्त विवरण के आधार पर दोनों बजटों के मध्य अंतर एवं उसके संघटकों को समझ सकते हैं।

प्रश्न: भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात् परिकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिये? (150 शब्द, 10 अंक)

Explain the difference between computing methodology of India's Gross Domestic Product (GDP) before the year 2015 and after the year 2015.

उत्तर: किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि (आमतौर पर 1 वर्ष) में उत्पादित सभी अंतिम प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य ही GDP है, जो राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधियों का व्यापक माप है।

- 2015 में संयुक्त राष्ट्र के मानकों को पूरा करने के लिये नए डेटा स्रोतों के साथ कार्य प्रणाली उन्नत करके GDP की गणना के लिये नई श्रृंखला की घोषणा की।
- अत: 2015 से पूर्व एवं 2015 के पश्चात् परिकलन विधि में अंतर निम्न है–

2015 से पूर्व	2015 के पश्चात्
पहले आधार वर्ष-2004-05	**अब आधार वर्ष 2011-12**
मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के प्रदर्शन का मूल्यांकन पहले 11P और वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) के डाटा का उपयोग कर किया जाता था।	अब मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर प्रदर्शन मूल्यांकन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MNC) के साथ फाइल किये गए फर्मों के वार्षिक खातों का उपयोग कर किया जाता है।
पहले GDP की गणना में कारक लागत (factor cost) का उपयोग होता था।	अब GDP की गणना में GVA (सकल मूल्यवर्द्धन) का उपयोग होता है।
पहले कृषि में मूल्यवर्द्धन उपज तक ही सीमित था।	अब (2015 के पश्चात्) कृषि में मूल्यवर्द्धन कृषि उपज से परे ले जाया गया। अत: पशुधन डाटा अब नई पद्धति में महत्त्वपूर्ण है।

अत: उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नई विधि (2015 के पश्चात्) सांख्यिकी रूप में अधिक मज़बूत एवं प्रभावी है जो खपत, उद्योगों के प्रदर्शन, रोज़गार, इत्यादि जैसे अधिक संकेतों का अनुमान लगाती है और उन कारकों को भी शामिल करती है, जो वर्तमान परिवर्तनों के प्रति अधिक उत्तरदायी है।

प्रश्न: क्या आप सहमत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये? (250 शब्द, 15 अंक)

Do you agree that the Indian economy has recently experienced V-shaped recovery? Give reasons in support of your answer.

उत्तर: V शेप रिकवरी एक प्रकार की आर्थिक मंदी और पुनर्बहाली प्रक्रिया है, जो V आकार जैसी दिखती है, जो तेज आर्थिक गिरावट के बाद आर्थिक प्रदर्शन के उपायों में एक त्वरित और निरंतर सुधार की विशेषता दिखाती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल में "V" आकार रिकवरी अनुभव किया गया।

"V" आकार रिकवरी

- वित्त मंत्रालय आँकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही की तुलना में FY 2021-22 की पहली तिमाही में, देश की GDP में 20% की वृद्धि।

- आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2022 में 11% की वृद्धि के साथ "V" आकार रिकवरी का अनुमान लगाया।
- कोविड-19 के दौरान पिछली चार तिमाहियों की संख्या में भारत एकमात्र देश, जहाँ लगातार दो तिमाहियों में वृद्धि दर्ज की गई।

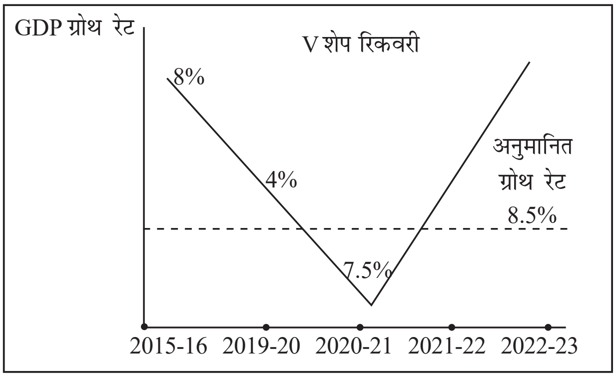

विदित है कि "V" शेप रिकवरी का कारण सरकार द्वारा शुरू किये गए मज़बूत सुधार है।

कारण

- सेवा क्षेत्र में मज़बूत सुधार एवं उपभोग, निवेश में वृद्धि की संभावनाओं के साथ-साथ मेगा टीकाकरण अभियान
- बिजली खपत, रेल किराया ई-वे बिल, GST संग्रह आदि का पुनरुत्थान
- सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान, RBI मौद्रिक नीति, मेक-इन इंडिया इत्यादि योजनाओं को बढ़ावा।
- अर्थव्यवस्था को मज़बूती के साथ पुनर्जीवित करने वाली योजनाएँ, जैसे- उत्पादन प्रोत्साहन योजना, तकनीक वस्त्र मिशन इत्यादि को बढ़ावा।

निष्कर्षत: उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि महामारी के संक्रमण से अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूदा चुनौतियों का समाधान कर देश की आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देते हुये "V" शेप रिकवरी महसूस की गई।

2020

प्रश्न: समावेशी संवृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में आंतर्पीढ़ी एवं अंतर्पीढ़ी साम्य के विषयों की व्याख्या कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Explain intra-generational and inter-generational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development.

उत्तर: आंतर्पीढ़ी और अंतर्पीढ़ी साम्या सतत् साम्या के सिद्धांत के दो पहल हैं- समावेशी संवृद्धि आंतर्पीढ़ी के स्तर पर लैंगिक वर्गीय, क्षेत्रीय या अन्य आधार पर कोई भेदभाव के तहत नहीं होता है। संपोषणीय विकास में अंतर्पीढ़ी के स्तर पर स्वास्थ्य, जीवन स्तर सुधार जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाता है।

आंतर्पीढ़ी साम्यता एवं समावेशी संवृद्धि

समावेशी संवृद्धि के तहत आंतर्पीढ़ी साम्य की अवधारणा एक ही पीढ़ी के व्यक्तियों के मध्य संसाधनों का उपयोग और देखभाल करने का अधिकार और कर्त्तव्य से संबंधित है। यह समावेशी संवृद्धि

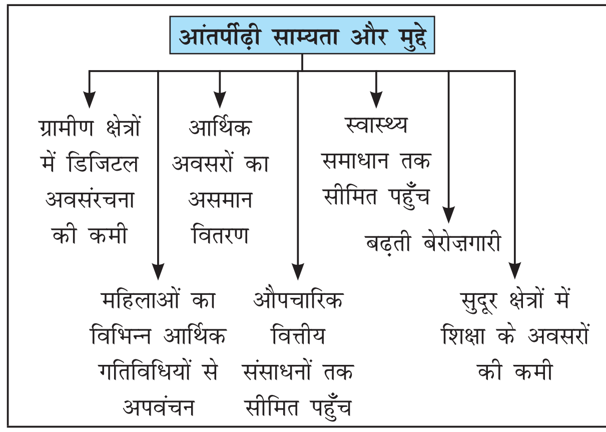

अंतर्पीढ़ी साम्यता एवं संपोषीय विकास

सपोषीय विकास में अंतर्पीढ़ी साम्य के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक भावी पीढ़ी के लिये आर्थिक स्थिरता बढ़ाने हेतु वर्तमान पीढ़ी द्वारा संसाधनों का विकास किया जाना है।

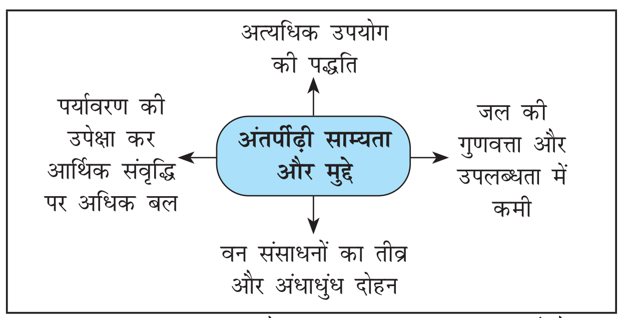

अत: समावेशी विकास और सतत् विकास की अवधारणाएँ वैश्विक कल्याण के प्रमुख स्तंभ हैं, जिन्हें आंतर्पीढी और अंतर्पीढ़ी साम्यता सुनिश्चित कर प्रेरित किया जा सकता है।

प्रश्न: संभाव्य स.घ.उ. (जी.डी.पी.) को परिभाषित कीजिये तथा उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिये। वे कौन-से कारक हैं, जो भारत को अपने संभाव्य स.घ.उ. (जी.डी.पी.) को साकार करने से रोकते रहे हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

Define potential GDP and explain its determinants. What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP.

उत्तर: संभाव्य जी.डी.पी. से आशय किसी देश के उत्पादन के कारकों के पूरी तरह से नियोजित होने पर उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य से है। इसका उपयोग अक्सर किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के वास्तविक स्तर को मापने हेतु एक बेंचमार्क के रूप में किया जाता है।

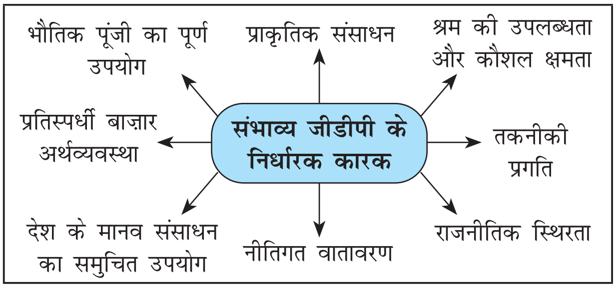

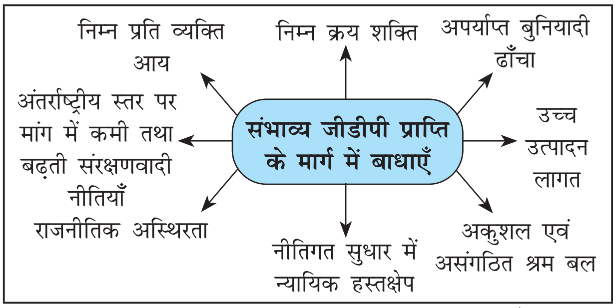

निष्कर्षतः संभाव्य स.घ.उ. उपलब्ध संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता, तकनीकी प्रगति एवं उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता से निर्धारित होता है। इसका सटीक अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है और इसमें अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग परिणाम मिल सकते हैं। हालाँकि इससे व्यापक रूप से किसी अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित प्रवृत्तियों और गतिशीलता को समझने के साथ समाज के समग्र कल्याण को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है।

प्रश्न: एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिये। उन कारकों की विवेचना कीजिये, जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रियायत अनुबंध (कॉन्सेशन एग्रिमेंट) तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Explain the meaning of investment in an economy in terms of capital formation. Discuss the factors to be considered while designing a concession agreement between a public entity and a private entity.

उत्तर: अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निवेश से आशय उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं के कुल मूल्य और पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात और आयात के शुद्ध मूल्य के योग से है। पूंजी निर्माण के लिये निवेश महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अधिक पूंजी संचय होता है, जिससे राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन में वृद्धि होती है।

एक अर्थव्यवस्था में निवेश का निधि अर्थव्यवस्था के आकार, संवृद्धि की लक्षित बचत की सीमांत प्रवृत्ति, तकनीक इत्यादि पर निर्भर करता है।

सरकार एक निश्चित परियोजना का पीपीपी मॉडल से संचालन करने के लिये एक निजी पार्टी का चयन करके, उसके साथ एक रियायती समझौता करती है। एक रियायत समझौता एक बातचीत का अनुबंध है जो किसी सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य कानूनी इकाई द्वारा किसी कंपनी को अधिकार प्रदान करता है।

रियायत समझौते को डिज़ाइन करते समय निम्न कारकों पर विचार किया जाना चाहिये

- परियोजना के शुल्क और समय अवधि आदि के बारे में स्पष्ट प्रावधान होना चाहिये।
- वायबिलिटी गैप फंडिंग सहित समय पर वित्त पोषण में समझौता स्पष्ट होना चाहिये।
- परियोजना की अवधि में संभावित जोखिम का आकलन करना तथा इन जोखिमों के प्रति दायित्व निर्धारण करना।
- इस समझौते में अप्रत्याशित घटनाओं, जैसे कोविड-19, युद्ध, भूकंप और अन्य मानवीय आपदाओं आदि का उल्लेख होना चाहिये।
- यह समझौता उस प्राधिकरण के संदर्भ में स्पष्ट होना चाहिये, जो समयबद्ध तरीके से परियोजना का प्रबंधन, रखरखाव और मरम्मत करनी चाहिये।
- परियोजना में विलंब होने पर भविष्य की रणनीति स्पष्ट होनी चाहिये।

अतः रियायत समझौते देश के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये मौलिक है। अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया रियायत समझौता न केवल परियोजना प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करेगा बल्कि अनुबंध विवादों को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

प्रश्न: वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति; अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिये। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि (जी.एस.टी. कॉम्पेंसेशन फंड) को प्रभावित और नए संघीय तनावों को उत्पन्न किया है? (250 शब्द, 15 अंक)

Explain the rationale behind the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act of 2017. How has COVID-19 impacted the GST compensation fund and created new federal tensions?

उत्तर: वस्तु एवं सेवा कर एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर हैं। यह एक एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है, जिसने भारत में सेवा कर, वैट आदि कई अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर लिया है। माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवज़ा) अधिनियम, 2017 नुकसान के कारण राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिये एक तंत्र प्रदान करता है।

इस अधिनियम के पीछे तर्काधार

- **नए राजस्व स्रोत जुटानाः** जी.एस.टी की शुरुआत के बाद, राज्यों के पास बहुत सीमित कराधान अधिकार है, क्योंकि पेट्रोलियम, शराब, और स्टांप ड्यूटी को छोड़कर अधिकांश करों को जीएसटी के तहत शामिल किया गया था। इस कमी की पूर्ति संघ द्वारा उनकी भरपाई करके की जाती है।
- **निश्चित राजस्व वृद्धिः** वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र और राज्य का संयुक्त रूप से मासिक जीएसटी संग्रह लगभग ₹1.21 लाख करोड़ होने का अनुमान था।
- **गारंटीकृत मुआवज़ाः** जीएसटी (राज्यों की मुआवज़ा) अधिनियम, 2017 के तहत, राज्यों को 2017 और 2022 के बीच पाँच साल की संक्रमण अवधि के लिये जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व की हानि के लिये मुआवजे की गारंटी दी जाती है।

GST मुआवज़ा कोष पर COVID-19 का प्रभाव और नए संघीय तनाव का निर्माण

- अर्थव्यवस्था में मंदी, Covid-19 लॉकडाउन से GST का लाभ तेज़ी से कम होना शुरू हो गया, जिसने राजस्व गणनाओं को हवा में उठा दिया।
- जीएसटी के तहत कर संग्रह में भारी कमी के कारण केंद्र और राज्य सरकारों में तनाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि केंद्र ने जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत राज्यों को मुआवजा देने में अक्षमता दिखाई।
- सरकार की अक्षमता और अधिनियम में बाध्यकारी खंड संविधान के तहत संघीय विचारों के बीच संघर्ष का कारण बना।
- कई राज्यों ने ज़रूरत की इस घड़ी में मुआवज़े को लेकर चिंता जताई और केंद्र से अपने संघीय समझौते को तोड़ने पर सवाल उठाया है।

इस तनाव के संबंध में लंबी वार्ता के बाद तय हुआ है कि केंद्र सरकार ₹1.1 लाख करोड़ ऋण लेगी तथा 'बैक-टू-बैक ऋण' के आधार पर राज्यों को सौपेंगी। इस व्यवस्था से यह ऋण केंद्र के वित्तीय घाटा में शामिल नहीं होगा तथा राज्यों के खाते में पूंजी प्राप्तियों के रूप में दर्शाया जाएगा।

इस ऋण का ब्याज और मूलधन को जून 2022 के बाद जीएसटी उपकर संग्रह के माध्यम से चुकाना होगा। इससे राज्यों सरकारों में केंद्र के प्रति विश्वास बढ़ा है, जो आगामी समय बड़े आर्थिक सुधारों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा।

प्रश्न: भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में मुख्य बाधाएँ क्या हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

What are the main constraints in transport and marketing of agricultural produce in India?

उत्तर: हरित क्रांति के पश्चात् भारत ने खाद्य सुरक्षा की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। इसके बाद भी कृषि आपूर्ति शृंखलाओं में बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण किसानों की आय कम है।

भारत में कृषि विपणन कानूनों की प्रकृति कुछ ऐसी है कि यह कृषि उत्पादों के विपणन को उनके उत्पादन से अधिक मुश्किल बनाता है।

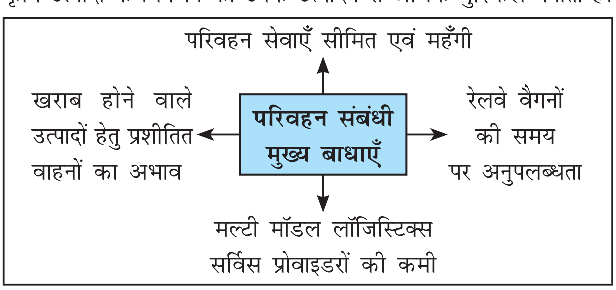

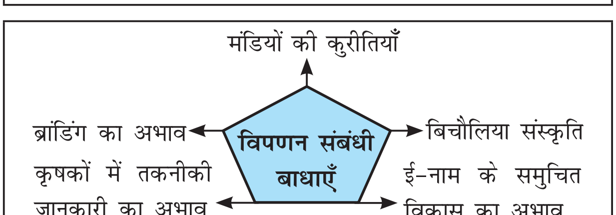

केंद्र सरकार ने विपणन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये कृषि सुधार से संबंधित तीन कानून पारित किये हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में निजी निवेश में वृद्धि होगी। इसके साथ ही परिवहन की समस्या के निदान हेतु 100 किसान रेल का संचालन और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास किया जा रहा है।

प्रश्न: देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियाँ एवं अवसर क्या हैं? खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है? (150 शब्द, 10 अंक)

What are the challenges and opportunities of food processing sector in the country? How can income of the farmers be substantially increased by encouraging food processing?

उत्तर: खाद्य प्रसंस्करण में आमतौर पर खाद्य पदार्थों को तैयार करना, खाद्य उत्पाद का परिवर्तन संरक्षण और पैकेजिंग तकनीक शामिल है। एक कृषि अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (FPI) के संदर्भ में प्राकृतिक लाभ मिल सकता है। कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि के साथ ही किसानों को भुगतान की जाने वाली राशि में वृद्धि होगा, जिससे स्वाभाविक रूप से उनकी आय बढ़ेगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में चुनौतियाँ

- आपूर्ति शृंखला अवसंरचना अंतर (आरंभिक प्रसंस्करण भंडारण और वितरण सुविधाओं की कमी।)
- प्रसंस्करण योग्य किस्मों की कमी।
- प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान की कमी।
- कुशल जनशक्ति की कमी।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अनौपचारिकरण।
- नियामक पर्यावरण की कमी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में संभावनाएँ

- रोज़गार सृजन क्षेत्र
- पोषण सुरक्षा
- व्यापार को बढ़ावा एवं विदेशी मुद्रा का स्रोत
- खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और किसानों की आय के मध्य सह-संबंध

- कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग
- ग्रामीण बेरोज़गारी पर अंकुश
- फसल विविधीकरण
- कृषि उत्पादों के अपव्यय में कमी

इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था में खाद्य आपूर्ति शृंखला का एक अभिन्न अंग बन गया है। भारत को एक कृषि प्रधान देश होने के नाते खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अपनी क्षमता का लाभ उठाना चाहिये।

प्रश्न: रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिये जल भंडारण एवं सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाइये। (250 शब्द, 15 अंक)

Suggest measures to improve water storage and irrigation system to make its judicious use under depleting scenario.

उत्तर: 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिव्यक्ति पानी की उपलब्धता 1951 के 5177 क्यूबिक मीटर से घटकर 1545 हो गई है। इसका मतलब है कि 60 वर्षों में लगभग 70% की गिरावट आई है। वहीं भारत सरकार के अनुसार प्रतिव्यक्ति 1700 क्यूबिक मीटर से कम की उपलब्धता जल तनाव और 1000 क्यूबिक मीटर की स्थिति को 'जल की कमी' माना जाता है। एक अन्य रिपोर्ट-एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस में सर्वाधिक जल संकट का सामना कर रहे 17 देशों की लिस्ट में भारत को 13वाँ स्थान दिया गया है। ये सभी आँकड़े देश में बढ़ते जल संकट को दर्शाते हैं।

विवेकी जल उपयोग के लिये जलभंडारण एवं सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपाय

- सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा।
- जल भंडारण क्षमता बढ़ाने और जल-प्रवाह को विनियमित करने के लिये अधिक जलाशयों, चेक-डैम और टैंकों का निर्माण, उदाहरण-मनरेगा आदि की योजनाओं द्वारा
- पानी की बर्बादी को कम करने के लिये मौजूदा सिंचाई बुनियादी ढाँचे की मरम्मत और रखरखाव करें।
- मौसम की स्थिति के आधार पर फसलों को आवश्यक पानी की प्राप्ति का समायोजन करने के लिये 'स्मार्ट सिंचाई प्रणाली अपनाना'।
- कम सिंचाई की आवश्यकता वाली फसलों को बढ़ावा दें- जैसे अरहर, चना आदि।
- किसानों को जल संरक्षण प्रथाओं पर शिक्षित करें।
- अधिक कुशल जल उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये जल मूल्य निर्धारण नीतियों को लागू करें।
- जल के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिये जल संरक्षण कानूनों को लागू करें।
- ताजे पानी की मांग को कम करने के लिये जल उपचार प्रौद्योगिकियों को अपनाकर पुन: प्रयोग को बढ़ाता है। उदाहरण- सीवेज जल उपचार

उपर्युक्त उपयोग का संयोजन भारत में जल भंडारण और सिंचाई प्रणालियों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन ने वर्षा जल संचयन के लिये नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से 'कैच द रेन' नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। जल संरक्षण न केवल सरकार की ज़िम्मेदारी है बल्कि इसमें हर किसी को अपनी भूमिका समझनी होगी।

प्रश्न: धान-गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने के लिये कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई है? (250 शब्द, 15 अंक)

What are the major factors responsible for making rice-wheat system a success? In spite of this success how has this system become bane in India?

उत्तर: स्वतंत्रता प्राप्ति के दो दशकों बाद तक देश में खाद्यान्न का गंभीर संकट था तथा भारत कृषि वस्तुओं जैसे मक्का, बाजरा तथा गेहूँ आदि का आयात करता था। देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिये गेहूँ और चावल की उच्च उपज वाली बीजों का आयात, आधुनिक उपकरणों, उर्वरकों, कीटनाशकों तथा सिंचाई के साधनों के उचित उपयोग के साथ हरित क्रांति की शुरुआत हुई और खाद्यान्न उत्पादन तेज़ी से बढ़ा।

धान-गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने के लिये प्रमुख कारक

- फसल पैटर्न आधारित तकनीकों को अपनाना।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चावल और गेहूँ की ही सर्वाधिक खरीद होना।
- सरकार द्वारा उर्वरक और बिजली पर सब्सिडी तथा मुफ्त जल की उपलब्धता होने से
- कृषि उपज की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषि मशीनरी का प्रभावी उपयोग, उदाहरण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में।
- गंगा के मैदानी प्रदेशों में बेहतर सिंचाई सुविधा और उपजाऊ मिट्टी
- जैविक-अजैविक तनाव सहनशील तथा उच्च पोषण वाली फसल किस्मों के विकास से
- मृदा स्वास्थ्य के आधार पर उचित उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया आदि के प्रयोग से अधिक उत्पादन।
- विविध संस्थागत सुधार
- सस्ते श्रम की उपलब्धता
- अनुकूलित जलवायु

चावल-गेहूँ की प्रणाली को निम्नलिखित कारणों से अभिशाप की संज्ञा दी जा रही है-

- सिंचाई में भूजल दोहन से भूजल स्तर में गिरावट
- उर्वरकों-कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से लीचिंग के कारण भौम जल प्रदूषण
- अन्य फसल की तुलना में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है।
- फसल पैदावार में स्थिरता एवं एकरूपता
- यह बीमारियों के प्रकोप और कीटों के हमले के लिये अनुकूल वातावरण देता है।
- ये फसलें भारी मात्रा में अवशेष पैदा करती है, जिसे जलाना ही सबसे आसान विकल्प परिणामत: वायु प्रदूषण में वृद्धि।
- पोषक तत्त्वों की पर्याप्तता एवं विविधता नहीं होती।
- चावल की कृषि से मीथेन गैस का अधिक उत्सर्जन

इस दिशा में कृषि प्रारूप को सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि चावल-गेहूँ के अधिक उत्पादन से एम.एस.पी के लिये आवंटित अधिकांश राशि इन दो फसलों के क्रय पर ही व्यय हो जाती है। इतना ही नहीं, इनकी खरीद पर कर्ज का बोझ अत्यधिक बढ़ गया है। इसी तरह एम.एस.पी. प्रणाली का अधिकांश लाभ एक सीमित क्षेत्र के किसान वर्ग को ही अधिक हो रहा है तथा सीमांत कृषक इसके लाभों से वंचित हैं। इसलिये सरकार की विभिन्न कृषि सब्सिडियों का तार्किकरण करना चाहिये तथा चावल-गेहूँ से इतर फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना चाहिये, इसमें पीएम किसान निधि प्रमुख भूमिका निभा सकती है।

2019

प्रश्न : उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) में सम्मिलित किये गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जी.एस.टी. के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the Goods and Services Tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.

उत्तर : वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक अप्रत्यक्ष, व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित कर है, जो प्रत्येक मूल्यवर्द्धन (value addition) पर लगाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम मार्च 2017 में संसद में पारित किया गया था। यह अधिनियम 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ।

जी.एस.टी. में शामिल

केंद्रीय स्तर पर
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
- सेवा कर
- अतिरिक्त सीमा शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी)
- सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क

राज्य स्तर पर
- राज्य मूल्यवर्द्धित कर/ बिक्री कर
- मनोरंजन कर
- केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा लागू और राज्यों द्वारा संगृहीत)
- चुंगी एवं प्रवेश शुल्क
- खरीद कर
- विलासिता कर
- लॉटरी, सट्टे और जुए पर कर

जी.एस.टी. के राजस्व निहितार्थ:
- जी.एस.टी. के कार्यान्वयन की प्रारंभिक संक्रमणकालीन समस्याओं के बाद राजस्व संग्रहण वर्ष 2017-18 में वार्षिक औसत ₹ 89.8 हजार करोड़ से बढ़कर सितंबर 2023 में ₹ 1.62 लाख करोड़ हो गया।
- हालाँकि 2018-19 में बजट अनुमानों की तुलना में जीएसटी राजस्व में गिरावट के साथ अप्रत्यक्ष करों में बजट अनुमानों से लगभग 16% की कमी आई है।
- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, यद्यपि पिछले छह वर्षों में 'कर-जीडीपी अनुपात में सुधार आया है, जैसे-वित्त वर्ष 2020 में यह 9.9% था जो 2021 में बढ़कर 10.2% हो गया।

प्रश्न : एकीकृत कृषि प्रणाली (आई.एफ.एस.) किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है? (150 शब्द, 10 अंक)

How far is the Integrated Farming System (IFS) helpful in sustaining agricultural production?

उत्तर : एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) में उत्पादकता बढ़ाने के लिये कुशल संधारणीय संशोधन प्रबंधन पर लक्षित एक संयुक्त दृष्टिकोण है। जो पशुपालन, वर्मी कंपोस्टिंग, जैविक खेती इत्यादि को संलग्न करते हुये खाद्य सुरक्षा पोषण, किसान सुरक्षा, निर्धनता में कमी लाने का उद्देश्य रखता है।

एकीकृत कृषि प्रणाली कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक

- यह छोटे एवं सीमांत किसानों के लिये कृषि और संबंद्ध उद्यमों की गहनता के रूप में प्रति इकाई क्षेत्र में आर्थिक उपज बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है।
- रासायनिक उर्वरक के उपयोग कम करना।
- यह खरपतवार नियंत्रण एवं एकीकृत कीट प्रबंधन में सहायक।
- अपशिष्ट पदार्थों का प्रभावी पुनर्चक्रण।
- किसानों के समृद्ध पारंपरिक ज्ञान का कुशलतम उपयोग।
- पशुधन उद्यमों के साथ फसल के संयोजन से श्रम आवश्यकता में काफी वृद्धि होगी और इससे बेरोज़गारी की समस्या काफी हद तक कम होना।
- फसल सह-उत्पादों और अपशिष्ट पदार्थों का मवेशियों के लिये चारे के रूप में प्रभावी उपयोग।

2018

प्रश्न : न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा? (150 शब्द, 10 अंक)

What do you mean by Minimum Support Price (MSP)? How will MSP rescue the farmers from the low income trap?

उत्तर : न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह न्यूनतम मूल्य होता है, जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाली फसलों की खरीद करती है, चाहे फसलों का मूल्य जो भी हो। एम.एस.पी. की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा फसलों की बुआई के मौसम के आरंभ में की जाती है।

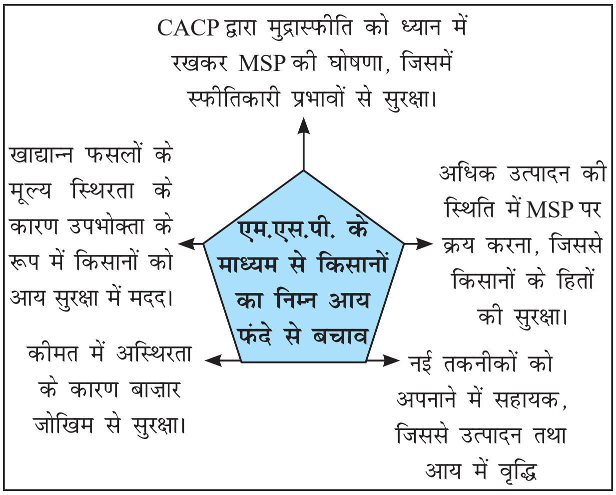

भारत में एम.एस.पी. किसानों के सशक्तीकरण और खाद्य सुरक्षा में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अत: सरकार की इस नीति में विभिन्न समितियों के सुझावों को शामिल कर इसे और प्रासंगिक बनाना चाहिये।

प्रश्न : फलों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों के आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में सुपर बाज़ारों की भूमिका की जाँच कीजिये। वे बिचौलियों की संख्या को किस प्रकार खत्म कर देते हैं?

(150 शब्द, 10 अंक)

Examine the role of supermarkets in supply chain management of fruits, vegetables and food items. How do they eliminate number of intermediaries?

उत्तर : आपूर्ति शृंखला एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को उपभोक्ताओं से जोड़ा जाता है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आपूर्ति शृंखला प्रबंधन एक बड़ी समस्या रही है। हालाँकि बीते कुछ वर्षों से फलों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति शृंखला में सुपर बाज़ारों की बढ़ती भूमिका ने इस समस्या के समाधान का विकल्प प्रस्तुत किया है।

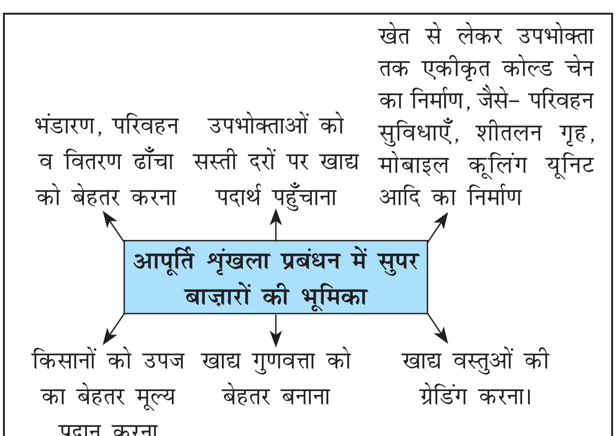

देश की पारंपरिक आपूर्ति शृंखला में उत्पादक-व्यापारी-थोक व्यापारी-रिटेलर-उपभोक्ता की एकलंबी कड़ी प्रचलन में है। इसके विपरीत सुपरबाज़ारों ने उत्पादक-व्यापारी-उपभोक्ता की कड़ी या सीधे उत्पादक-उपभोक्ता की आपूर्ति शृंखला की कड़ी विकसित की है। सुपरबाज़ारों द्वारा आपूर्ति शृंखला के इस तरह प्रबंधन करने से बिचौलियों की भूमिका समाप्तप्राय हो जाती है।

प्रश्न : सिक्किम भारत में प्रथम 'जैविक राज्य' है। जैविक राज्य की पारिस्थितिक एवं आर्थिक लाभ क्या होते हैं?

(150 शब्द, 10 अंक)

Sikkim is the first 'Organic State' in India. What are the ecological and economical benefits of Organic State?

उत्तर : जैविक कृषि, कृषि की ऐसी प्रणाली है, जिसमें रासायनिक खाद्यों एवं कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक खाद्य एवं प्राकृतिक खाद्यों का प्रयोग होता है। वर्ष 2016 में सिक्किम लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य बना। सिक्किम विधानसभा ने 12 वर्ष पूर्व सिक्किम को पूर्णरूप से जैविक राज्य बनाने की घोषणा की थी, तत्पश्चात् वहाँ रासायनिक कीटनाशकों व उर्वरकों की बिक्री तथा उपयोग पर रोक लगा दी गई, जिस कारण वह जैविक राज्य बनने की दिशा में अग्रसर हुआ।

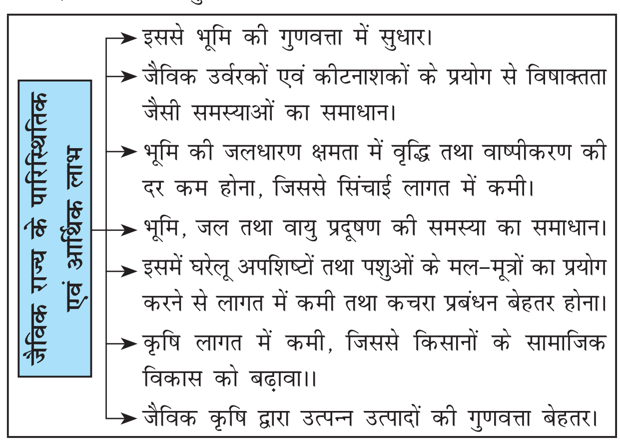

उपर्युक्त लाभों को देखने से लगता है कि जैविक कृषि दीर्घकालिक पर्यावरणीय तथा आर्थिक लाभ का सौदा है, किंतु इसके मार्ग में कुछ चुनौतियाँ, जैसे- उत्पादन में अल्पकालिक कमी, जागरूकता का अभाव, वित्तीय सहायता का अभाव इत्यादि विद्यमान हैं। यदि इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जाता है तो यह निश्चित रूप से लाभ का सौदा होगा।

प्रश्न : "वहनीय (अफोर्डेबल), विश्सनीय, धारणीय तथ आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनबल) विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

"Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is essential to achieve Sustainable Development Goals (SDGs)." Comment on the progress made in India in this regard.

उत्तर: सतत् विकास वह विकास है, जिसके अंतर्गत आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 'सतत् विकास लक्ष्य' या 'एजेंडा 30' को स्वीकार किया गया, जिसमें 17 मुख्य लक्ष्यों में से एक (7वाँ) लक्ष्य "सस्ती, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना" है।

एस.डी.जी. की प्राप्ति में वहनीय, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा की अनिवार्यता

- मानव की भलाई के लिये आवश्यक,
- आर्थिक विकास के लिये ज़रूरी,
- स्वच्छ जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल आदि के लिये ऊर्जा की आवश्यकता,
- गरीबी उन्मूलन में भूमिका।

एस.डी.जी.-2 के संबंध में भारत में हुई प्रगति

- एनर्जी नेशनल लेबलिंग प्रोग्राम
- राष्ट्रीय विद्युत नीति
- उज्ज्वला योजना
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति
- क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म
- ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबीटेट असेसमेंट (GRIHA) की शुरुआत।

भारत 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 500GW तक बढ़ाना, 50% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति नवीकरण ऊर्जा से करना आदि आते हैं।

प्रश्न: केंद्रीय बजट 2018-2019 में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कर (एलसीजीटी) तथा लाभांश वितरण कर (डीडीटी) के संबंध में प्रारंभ किये गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Comment on the important changes introduced in respect of the Long-term Capital Gains Tax (LCGT) and Dividend Distribution Tax (DDT) in the Union Budget for 2018-2019.

उत्तर: दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर (LCGT) उन शेयरों का इक्विटी फंडों की बिक्री से अर्जित लाभ पर लिया गया कर है, जिन्हें किसी निवेशक द्वारा अपने पास 1 वर्ष से अधिक समय तक रखा हुआ है। इसी प्रकार इक्विटी केंद्रित म्युचुअल फंडों की वितरित आय पर लिया जाने वाला कर, लाभांश वितरण कर (DDT) है।

केंद्रीय बजट 2018-19 में एलसीजीटी तथा डीडीटी के संबंध में किया गया परिवर्तन

- 2018-19 बजट के पूर्व एलसीजीटी पर कोई कर नहीं होता था, इस बजट में एलसीजीटी पर 10 फीसदी कर लगाने का प्रस्ताव किया गया।
- सरकार का मत है कि इक्विटी पर रिटर्न पहले ही काफी आकर्षक है और यदि एलसीजीटी पर कर लगा दिया जाए तो भी आकर्षण कम नहीं होगा।
- इस बजट में इक्विटी केंद्रित म्युचुअल फंडों की वितरित आय पर भी 10 फीसदी की दर से डीडीटी कर का प्रस्ताव
- डीडीटी कर सभी प्रकार के ग्रोथ वाले फंडों तथा लाभांश वितरण करने वाले फंडों पर लगाया गया है।

प्रश्न: भारत में नीति आयोग द्वारा अनुसरण किये जा रहे सिद्धांत इससे पूर्व के योजना आयोग द्वारा अनुसरित सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न हैं? (250 शब्द, 15 अंक)

How are the principles followed by the NITI Aayog different from those followed by the erstwhile Planning Commission in India?

उत्तर: 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक संकल्प पारित करके नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) की स्थापना की गई। यह भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है। नीति आयोग सांगठनिक संरचना की दृष्टि से योजना आयोग के समान ही है, परंतु कार्यात्मक स्तर पर दोनों में भिन्नता व्याप्त है।

नीति आयोग एवं योजना आयोग द्वारा अनुसरित सिद्धांतों के बीच अंतर

योजना आयोग	नीति आयोग
धन आवंटन का अधिकार प्राप्त	धन आवंटन में भूमिका गौण।
'टॉप-डाउन अप्रोच' के आधार पर कार्य।	'बॉटम-अप अप्रोच' के आधार पर कार्य
इसने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था।	सलाहकारी थिंक टैंक के रूप में कार्य
यह सदस्यों के सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर।	व्यापक विशेषज्ञता पर बल
इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम	सहकारी संघवाद के आधार पर कार्य, क्योंकि इसमें राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित
राज्यों के लिये नीतियों का निर्माण करना।	इसे नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं।

योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिये इसे बजटीय प्रावधानों में स्वतंत्रता होनी चाहिये और यह योजना तथा गैर-योजना के रूप में नहीं बल्कि राजस्व और पूंजीगत व्यय की स्वंतत्रता के रूप में होनी चाहिये। इस पूंजीगत व्यय की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सभी स्तरों पर बुनियादी ढाँचा सुदृढ़ हो सकता है।

प्रश्न : विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाजियों की हाल की परिघटनाएँ भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार से प्रभावित करेगी? (250 शब्द, 15 अंक)

How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?

उत्तर : संरक्षणवाद का अर्थ सरकार की उन कार्यवाहियों एवं नीतियों से है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करती है। जैसे-आयात शुल्क में वृद्धि तथा बाज़ार नियमों को सख्त बनाना। इसी प्रकार मुद्रा चालबाजियों का अर्थ विभिन्न सरकारों द्वारा अन्य विदेशी मुद्रणों या डॉलर के सापेक्ष जानबूझकर अपनी मुद्राओं का मूल्य नीचे रखना है।

हाल की परिघटनाएँ
- वर्तमान में अमेरिका चीन के बीच व्यापार युद्ध जारी।
- चीन द्वारा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना।
- फेड रिजर्व द्वारा बढ़ाई गई ब्याज दरों के कारण डॉलर के मूल्य में बढ़ोतरी
- यूएसए द्वारा भारत से आयातित स्टील और एल्यूमीनियम के आयात शुल्क में बढ़ोतरी

- संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाजियों की घटनाओं से भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव
  - निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण कंपनियाँ उत्पादन घटायेगी तथा कामगारों की छँटनी करेंगी। इससे बेरोज़गारी में वृद्धि।
  - आयात आधारित उत्पादन क्षेत्र में मंदी।
  - आयात महँगा होने से मुद्रास्फीति में वृद्धि
  - पूंजी का पलायन होना।
  - आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव।
  - चालू खाता घाटा में वृद्धि की संभावना।
  - संरक्षणवाद से कुछ ही कंपनियों, उद्यमियों और लोगों को फायदा होगा, जिससे आर्थिक विषमता में वृद्धि होगी।

भारत को उपर्युक्त प्रभावों की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी होगी तथा इनसे जुड़े जोखिमों को कम करने के लिये एक सशक्त रणनीति बनाने की भी ज़रूरत है, जिसमें निर्यात के स्तर पर विविधता लाना, घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी करना एवं विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखना इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

प्रश्न : बागवानी फार्मों के उत्पादन, उसकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि करने में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। यह किसानों की आय बढ़ाने में कहाँ तक सफल हुआ है? (250 शब्द, 15 अंक)

Assess the role of National Horticulture Mission (NHM) in boosting the production, productivity and income of horticulture farms. How far has it succeeded in increasing the income of farmers?

उत्तर : राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में 2005-06 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना एवं बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

- बागवानी फर्मों के उत्पादन, उत्पादकता एवं आय वृद्धि में भूमिका
  - सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाली पौधारोपण सामग्रियों के लिये भी वित्त पोषण।
  - खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में मदद।
  - एकीकृत बागवानी विकास मिशन जैसे उपमिशनों को भी शामिल करना।
  - फलों, सब्जियों, मशरूम, मसाले जैसी फसलों की खेती पर बल।
  - फसल के प्रबंधन पर बल। जैसे-ICT तकनीक, सुदूर संवेदन आदि का प्रयोग।
  - टिश्यू कल्चर इकाई, ग्रीन हाउस संरक्षित खेती, जालीयुक्त घर आदि का प्रयोग।
- किसानों की आय वृद्धि में सफलता
  - छोटे एवं सीमांत किसान कम भूमि में अधिक उत्पादन का लाभ, जैसे- कुल फसल क्षेत्र 8.5% पर बागवानी की खेती, जो भारत के कृषि जीडीपी का 30% है।
  - भारत में बागवानी खेती का उत्पादन 2002-03 लगभग 17.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर, जबकि वर्ष 2005-06 में बढ़कर 20 मिलियन हेक्टेयर तथा 2021-22 में 28 मिलियन हेक्टेयर हो गया।
  - बागवानी फसलों के उत्पादन में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुँच गया है।
  - फल एवं सब्जियाँ अधिकांशतः सीमांत और छोटे किसानों द्वारा उगाया जाता है, जिससे उन्हें कम संसाधन में अधिक लाभ।

सुझाव
- आवधिक ऋण तक आसान पहुँच सुनिश्चित
- अनुबंध कृषि को बढ़ावा देना
- परिवहन, विद्युत एवं संचार अवसंरचना का विकास करना।
- भंडारण सुविधाएँ
- किसान संगठनों को प्रोत्साहन

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत किये गए उपाय बागवानी क्षेत्र के विकास की अहम भूमिका निभा रहे हैं, किंतु उपर्युक्त सुझावों को अपनाने से किसानों को अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत में अधिक अंश मिलना सुनिश्चित होगा, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

2017

प्रश्न: समावेशी संवृद्धि के प्रमुख अभिलक्षण क्या हैं? क्या भारत इस प्रकार के संवृद्धि प्रक्रम का अनुभव करता रहा है? विश्लेषण कीजिये एवं समावेशी संवृद्धि हेतु उपाय सुझाइये।

(250 शब्द, 15 अंक)

What are the salient features of 'inclusive growth'? Has India been experiencing such a growth process? Analyze and suggest measures for inclusive growth.

उत्तर: जब विकास की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र (प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक), देश के सभी अंचल (भौगोलिक क्षेत्र) एवं समाज के सभी वर्ग (अमीर तथा गरीब, ग्रामीण तथा शहरी, पुरुष एवं महिला, सभी जातियाँ एवं संप्रदाय) शामिल हो तो ऐसा विकास समावेशी विकास कहलाता है।

बुनियादी सुविधाओं जैसे- पेयजल, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होना।

जीडीपी ग्रोथ को साध्य के रूप में न देखकर साधन के रूप में देखना

धारणीयता के साथ लक्षित समूह को आत्मनिर्भर बनाना

भारत में समावेशी संवृद्धि प्रक्रम का अनुभव

- प्रथम पंचवर्षीय योजना में 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' में इसकी झलक।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना पहली बार 'तीव्र एवं समावेशी विकास' को प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य बनाना।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस लक्ष्य को 'तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास' तक ले जाना।
- वर्तमान सरकार के स्लोगन 'सबका साथ, सबका विकास', में भी समावेशी विकास शामिल। जैसे- प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में इसकी झलक दिखाई देना।
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा, जैसे- मोबाइल बैंकिंग, पीएम जन-धन योजना, पीएम. मुद्रा योजना आदि।

समावेशी संवृद्धि

चुनौतियाँ	
असमानता	**गरीबी**
❑ विश्व असमानता रिपोर्ट-2022 के अनुसार भारत में महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है। ❑ बाल एवं मातृ मुत्यु दर ज़्यादा। ❑ गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी।	❑ भुखमरी-जीएचआई- 2022 में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर। ❑ ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन ❑ कोविड-19 का प्रभाव।

उपाय	
असमानता	**गरीबी**
❑ विभिन्न स्तरों पर पंचायतों की भूमिका को बढ़ावा देना। उदाहरण- 73वाँ संविधान संशोधन के अंतर्गत। ❑ कौशल विकास का क्रियान्वयन। जैसे पीएम कौशल विकास योजना। ❑ मानव विकास सूचकांक में सुधार करना। वर्ष 2021-22 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर।	❑ महिलाओं की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करना। ❑ नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना जैसे- कौशल भारत मिशन, नई शिक्षा नीति आदि। ❑ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना।

प्रश्न: सहायिकियाँ शस्यन प्रतिरूप, शस्य विविधता और कृषकों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है? लघु और सीमांत कृषकों के लिये फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्त्व है?

(250 शब्द, 15 अंक)

How do subsidies affect the cropping pattern, crop diversity and economy of farmers? What is the significance of crop insurance, minimum support price and food processing for small and marginal farmers?

उत्तर: कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिये केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किसानों को बीज, उर्वरक, नकद, ब्याज तथा तकनीकी आदि रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सहायिकी प्रदान की जाती है। सहायिकी एक आर्थिक लाभ होता है जो सरकार द्वारा लोगों को प्रदान किया जाता है।

सहायिकी का शस्यन प्रतिरूप, शस्य विविधता एवं किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

- **शस्यन प्रतिरूप:** किसानों द्वारा उन फसलों को प्राथमिकता देना, जिससे कम जोखिम एवं अधिक लाभ हो। जैसे- पंजाब एवं हरियाणा में धान की खेती करना।
- **शस्यन प्रतिरूप:** पर्यावरण अनुकूल फसलोत्पादन के स्थान पर सब्सिडाइज़ फसलों का उत्पादन जिससे शस्य विविधता पर नकारात्मक प्रभाव। जैसे- मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में दालों के स्थान पर गन्ने की खेती करना।
- **शस्यन प्रतिरूप:** 1. लागत में कमी, 2. उत्पादन में वृद्धि, 3. आपदाजन्य नुकसान से सुरक्षा, 4. उचित दर पर भंडारण एवं परिवहन सुविधा

लघु और सीमांत कृषकों के लिये महत्त्व

फसल बीमा

- न्यूनतम प्रीमियम दर प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा।
- आपदा के समय गरीबी रेखा के नीचे जाने से बचाने में भूमिका
- अगले सीजन की बुवाई में सक्षम
- साहूकारों के चंगुल से मुक्ति

न्यूनतम समर्थन मूल्य

- आय सुरक्षा।
- अधिशेष उत्पादन के समय भी खाद्य कीमतों का सामान्य बने रहना।
- उत्पाद बेचने के लिये विकल्प की उपलब्धता।

खाद्य प्रसंस्करण

- रोज़गार के नए अवसर सृजित।
- इनकी अवस्थिति फसल उत्पादक क्षेत्रों में होने के कारण किसानों को अपने घर के नज़दीक ही फसल का उचित मूल्य मिलना।
- फसल की बर्बादी कम तथा भंडारण लागत न्यूनतम।
- निर्यात को बढ़ावा, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित।

प्रश्न: 2017-18 के संघीय बजट के अभीष्ट उद्देश्यों में से एक उद्देश्य 'भारत को रूपांतरित करना, ऊर्जावान बनाना और भारत को स्वच्छ करना' है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये बजट 2017-18 में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

One of the intended objectives of Union Budget 2017–18 is to 'transform, energize and clean India'. Analyse the measures proposed in the Budget 2017-18 to achieve the objective.

उत्तर: बजट 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में से एक उद्देश्य 'टीईसी इंडिया' अर्थात् ट्रांसफार्मर, एनर्जाइज़ एंड क्लीन इंडिया अर्थात् 'भारत को रूपांतरित करना, ऊर्जावान बनाना और स्वच्छ करना' है। यह उद्देश्य अपने लोगों के लिये काफी कुछ करने की आवश्यकता की तरफ इशारा करता है, ताकि जनता की आशाओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके।

टी.ई.सी. इंडिया उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये बजट 2017-18 में प्रस्तावित उपाय

- **किसान**
  - किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य।
- **ग्रामीण आबादी**
  - रोज़गार उपलब्धता
  - बुनियादी अवसंरचना का विकास
- **युवा**
  - शिक्षा, कौशल एवं रोज़गार उपलब्ध कराकर इनमें शक्ति का संचार करना।
- **गरीब एवं विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग**
  - सामाजिक सुरक्षा
  - स्वास्थ्य सुविधा
  - वहनीय आवास को सुदृढ़ करना।
- **अवसंरचना**
  - दक्षता, उत्पादकता तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिये इसका विकास।
- **वित्तीय क्षेत्र**
  - सुदृढ़ संस्थाओं के माध्यम से विकास एवं स्थायित्व को बढ़ावा देना।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था**
  - गतिशीलता
  - उत्तरदायित्व एवं
  - पारदर्शिता के लिये।
- **विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन**
  - संसाधनों का दृष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना
- **कर प्रशासन**
  - ईमानदार व्यक्तियों को सम्मान देना।

प्रश्न: शस्यन तंत्र में धान एवं गेहूँ की गिरती हुई उपज के लिये क्या-क्या मुख्य कारण हैं? तंत्र में फसलों की उपज के स्थिरीकरण में, सस्य विविधीकरण किस प्रकार मददगार होता है? (250 शब्द, 15 अंक)

What are the major reasons for declining rice and wheat yield in the cropping system? How crop diversification is helpful to stabilize the yield of the cropp in the system?

उत्तर: भारत में धान एवं गेहूँ की खेती मुख्यत: सिंधु गंगा के मैदानी भाग में की जाती रही है। 1960 के दशक में सरकार ने हरित क्रांति को अपनाया। तात्कालिक रूप से इस क्रांति का सर्वाधिक ज़ोर इसी मैदानी भाग तथा धान एवं गेहूँ पर रहा।

परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई और देश इस मामले में न केवल आत्मनिर्भर बल्कि निर्यातक देश के रूप में पहचान बनाने में सफल रहा।

धान एवं गेहूँ की गिरती हुई उपज के प्रमुख कारण

- ❑ अनियंत्रित सिंचाई से भूजल का स्तर गिरना।
- ❑ जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की अनिश्चितता जैसे पश्चिमी विक्षोभ एवं एलनिनो का प्रभाव धान-गेहूँ अनुक्रम की गहन कृषि के कारण इन फसलों के साथ खरतपतवार का सरलीकरण।
- ❑ फसल चक्र को न अपनाना।
- ❑ उर्वरक, कीटनाशी, शाकनाशी आदि का अत्यधिक प्रयोग
- ❑ न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली फसलों को किसानों द्वारा वरीयता देना। जैसे- धान एवं गेहूँ।
- ❑ किसानों को धारणीय कृषि के संदर्भ में जागरूकता की कमी।
- ❑ अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग से इस फसलों का रोगों तथा कीटों के प्रति ज़्यादा सुभेद्य।

शस्य विविधीकरण, फसलों की उपज के स्थिरीकरण में सहायक

- यह मिट्टी तथा इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के उचित रख-रखाव तथा संग्रहण क्षमता बढ़ाने में सहायक।
- मिट्टी का क्षरण रोकने में सहायक।
- नाइट्रोजन चक्र बनाए रखने, जल प्रदूषण कम करने आदि में सहायक।
- मिट्टी के पोषक तत्त्वों के बेहतर संतुलन में सहायक।

इस प्रकार शस्यन तंत्र में सूक्ष्म विविधता को प्रभावी बनाकर फसलों की उपज में स्थिरता लाई जा सकती है। इसके साथ ही सतत् कृषि के लिये बनाये रखने के लिये हमें नेचुरल फार्मिंग एवं जीरो बजट फार्मिंग की ओर बढ़ना होगा।

प्रश्न : लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई की अल्प स्वीकार्यता के क्या कारण हैं? खाद्य प्रक्रमण इकाई गरीब किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायक होगी? (150 शब्द, 10 अंक)

What are the reasons for poor acceptance of cost-effective small processing unit? How the food processing unit will be helpful to uplift the socio-economic status of poor farmers?

उत्तर : देश में उत्पादित 15 से 20 प्रतिशत तक खाद्यान्न तथा दलहन पैदावार के उपरांत नष्ट हो जाते हैं तथा फल एवं सब्जियों में 20 से 30 प्रतिशत उत्पाद प्रक्रमण के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुये सरकार ने छोटी प्रक्रमण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने का निर्णय लिया, परंतु ऐसा पाया गया कि इन इकाइयों की स्वीकार्यता अल्प है।

लागत प्रभावी छोटी प्रक्रम इकाइयों की अल्प स्वीकार्यता के कारण

- लागत का अवहनीय होना
- पुरानी तकनीकों के प्रयोग के कारण 10 से 15% तक क्षति
- इनकी पहुँच बड़े बाज़ारों तक न होना तथा स्थानीय खपत का कम होना
- कोल्डचेन लिंकेज का अभाव

खाद्य प्रक्रमण इकाइयाँ गरीब किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार में सहायक

- रोज़गार सृजन द्वारा अतिरिक्त आय का अवसर प्रदान करना
- प्रच्छन्न बेरोज़गारी की समस्या का समाधान
- फसलों की उचित कीमत प्राप्त होने से आय में बढ़ोतरी
- आय में वृद्धि के कारण सामाजिक स्तर में सुधार
- इन इकाइयों की स्थापना के कारण खाद्यान्न फसलों की मांग में वृद्धि होने से किसानों द्वारा विविध फसलों का उत्पादन करना

चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सब्जियों का उत्पादक देश है। इसके बावजूद भारत की प्रसंस्करण क्षमता 10% से भी कम है। इसमें सुधार के लिये सरकार द्वारा खाद्य संपदा योजना, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, मेगा फूड पार्क आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रश्न : "सुधारोत्तर अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है।" कारण बताइये। औद्योगिक नीति में हाल में किये गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में कहाँ तक समक्ष हैं? (250 शब्द, 15 अंक)

"Industrial growth rate has lagged behind in the overall growth of Gross-Domestic-Product(GDP) in the post-reform period" Give reasons. How far the recent changes in Industrial Policy are capable of increasing the industrial growth rate?

उत्तर : भारत द्वारा एलपीजी के दौर में नई औद्योगिक नीति-1991 को अपनाया गया। गौरतलब है कि 1989-90 के दशक में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 16.4% थी जो 2022-23 में लगभग 15% रही, जो दर्शाती है कि सुधारोत्तर अवधि में जीडीपी की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर अपना उचित स्थान प्राप्त करने में असफल हुई है।

भारत में औद्योगिक संवृद्धि दर में पिछड़ने का कारण:

- स्टार्टअप्स के लिये पूंजी एवं तकनीक तक पहुँच व्यावहारिक स्तर पर आसान नहीं होना
- मुक्त व्यापार समझौतों के कारण एमएसएमई के समक्ष चुनौतियाँ
- पूंजी की कमी
- चिकित्सा पर कम खर्च होने के कारण मज़दूरों की दक्षता पर प्रभाव
- कुशल श्रमिकों की कमी
- प्रभावी कार्य संस्कृति का अभाव
- अनुसंधान एवं विकास पर कम खर्च
- आधारित संरचना की कमी जैसे- सड़क का पर्याप्त विकास नहीं
- आधुनिक मशीनों की कमी

औद्योगिक नीति में किये गए परिवर्तन की सक्षमता से जुड़े बिंदु

- सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाना।
- एमएसएमई को पीयर-टू-पीयर लैंडिंग और क्राउड फंडिंग के माध्यम से पूंजी तक पहुँच की स्थिति में सुधार होना।
- इससे विनिर्माण, बुनियादी ढाँचा, निवेश, व्यापार, राजकोषीय नीति, कौशल और रोज़गार इत्यादि क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रश्न: भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिये। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है? (150 शब्द, 10 अंक)

Explain various types of revolutions, took place in Agriculture after Independence in India. How these revolutions have helped in poverty alleviation and food security in India?

उत्तर: स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों की भारी कमी से जूझ रहा था। वर्ष 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसका मुख्य कारण कृषि को लेकर औपनिवेशिक शासन की कमज़ोर नीतियाँ थी।

स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ

हरित क्रांतियाँ

- उच्च उत्पादकता की किस्मों एवं तकनीकों द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि।
- खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।

श्वेत क्रांति

- शुरुआत 70 के दशक में।
- भारत न्यून दुग्ध उत्पादक में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश के रूप में परिवर्तित।

पीली क्रांति

- तिलहन के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि से संबंधित।

रजत क्रांति

- अंडा एवं पॉल्ट्री उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित।

नीली क्रांति

- मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित।

द्वितीय हरित क्रांति

- प्रथम हरित क्रांति से अप्रभावित क्षेत्रों में हरित क्रांति के लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से प्रारंभ।

कृषि क्रांतियाँ गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में सहायक

- खाद्य सुरक्षा में वृद्धि
- प्रति व्यक्ति प्रोटीन उपभोग में वृद्धि
- किसानों की आय में वृद्धि
- खाद्य महँगाई में कमी से गरीबी उन्मूलन में सहायता

कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में हुई उत्पादन वृद्धि के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों तथा अन्य संबंधित उद्योगों का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप रोज़गारों का सृजन हुआ है, जिसने गरीबी उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रश्न: सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में विमानपत्तनों के विकास का परीक्षण कीजिये। इस संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

Examine the development of Airports in India through Joint Ventures under Public-Private Partnership(PPP) model. What are the challenges faced by the authorities in this regard.

उत्तर: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में एक सरकारी एजेंसी और एक निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच सहयोग शामिल होता है। भारत में विमानपत्तनों के त्वरित आधुनिकीकरण के महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम में पीपीपी मॉडल एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जो दिल्ली, मुंबई तथा बंगलुरु जैसे विमानपत्तनों के विकास में अपनी प्रभाविता साबित कर चुका है।

विमानपत्तन क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के लाभ

- कर संग्रहण में वृद्धि
- विश्वस्तरीय तकनीकों का प्रयोग
- अवसंरचना का तीव्र व सशक्त विकास

- बंदरगाहों को विश्वस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धी बनाने में भूमिका
- नौकरियों का सृजन
- सरकार पर वित्तीय बोझ कम, जिससे राजकोषीय घाटा संतुलित।

प्राधिकरणों के समक्ष चुनौतियाँ

- विमानन कंपनियों का वित्तीय संकट से जूझना, जिसमें विमानपत्तन की क्षमता पर प्रभाव।
- कठोर विनियामक नियमों की वजह से निजी क्षेत्र की भागीदारी कम होना।
- कंपनी के प्रमोटरों में विवाद, जिससे ब्रांड वैल्यू पर प्रभाव।
- विमानन कंपनियों का कुप्रबंधन, जैसे-आवश्यकता से अधिक विमान खरीदना, जिससे ऋणों का भुगतान समय पर न होना।
- तकनीकी का बहुत कम समय में बदलना।

विमानन क्षेत्र को मज़बूत बनाने के लिये सरकार को विमानन नीति में आमूलचूल बदलाव करने की ज़रूरत है। इस परियोजना में सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016, UDAN योजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रश्न: श्रम-प्रधान निर्यातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्रक की विफलता के कारण बताइये। पूंजी-प्रधान निर्यातों की अपेक्षा अधिक श्रम-प्रधान निर्यातों के लिये उपायों को सुझाइये। (150 शब्द, 10 अंक)

Account for the failure of manufacturing sector in achieving the goal of labour-intensive exports. Suggest measures for more labour-intensive rather than capital-intensive exports.

उत्तर: भारत में सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता को देखते हुये ऐसा अनुमान लगाया गया था कि यहाँ मुख्यत: श्रम-प्रधान क्षेत्रों का विकास होगा, परंतु व्यावसायिकता में भारत श्रम प्रधान निर्यातों का लक्ष्य हासिल करने की बजाय पूंजी प्रधान निर्यातों को बढ़ावा देने लगा है।

श्रम प्रधान निर्यात

विफलता के कारण

- कठोर श्रम कानूनों के कारण निवेशकों का कम आकर्षण
- प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा प्रशुल्कों का होना।
- उद्योगों की स्थापना के लिये सरल प्रक्रिया का न होना।
- अकुशल श्रमिकों की अपेक्षा कुशल श्रमिकों की मांग अधिक होना।
- वैश्विक बाज़ार में सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों से प्रतिस्पर्द्धा
- सरकार की उदासीनता
- मनरेगा जैसी योजनाओं से अकुशल श्रमिकों को बढ़ावा।

उपाय

- उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल करना, जैसे-सिंगल विंडो सिस्टम कौशल विकास जैसे- पीएम कौशल विकास योजना।
- आधारभूत अवसंरचना का विकास करना।
- कर में छूट देना। जैसे- कॉर्पोरेट टैक्स में कमी।
- नवाचार को बढ़ावा देना।
- इजराइल के 'एंजेल लॉ' पर आधारित कानून बनाना।
- छोटे एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना।

प्रश्न: भारत की संभाव्य संवृद्धि के अनेक कारकों में बचत दर सर्वाधिक प्रभावी है। क्या आप इससे सहमत हैं? संवृद्धि संभाव्यता के अन्य कौन-से कारक उपलब्ध हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

Among several factors for India's potential growth, savings rate is the most effective one. Do you agree? What are the other factors available for growth potential?

उत्तर: किसी भी देश की संवृद्धि में अनेक कारकों के साथ ही उस देश की बचत दर का भी महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। बचत दर में वृद्धि पूंजी निर्माण में योगदान देने के साथ ही देश की स्थिरता, उपभोग पैटर्न, आर्थिक नीतियों को भी प्रदर्शित करती है।

पिछले कुछ वर्षों से घरेलू बचत का उपयोग सोना खरीदने, रियल स्टेट जैसे- क्षेत्रों में करने से बचत दर में कमी तथा देश की संवृद्धि दर में भी कमी आई है। अत: भारत में संभाव्य संवृद्धि में बचत दर तभी सर्वाधिक प्रभावी कारक होता है, जब इसका निवेश भी उत्पादक क्षेत्रों में किया जाए।

संभाव्य संवृद्धि के लिये

अन्य कारक

- जनांकिकीय लाभांश जैसे- भारत में कार्यशील आयुवर्ग, कुल जनसंख्या का 64.4% है।
- वृहद् घरेलू बाज़ार, जैसे- भारत की आबादी लगभग 130 करोड़
- भारत में बेहतर आधारभूत संरचना का विकास, जैसे- सागरमाला परियोजना, एक्सप्रेसवे का निर्माण आदि
- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार जैसे- भारत 2019-20 में 63वें स्थान पर।
- विनिर्माण क्षेत्र का योगदान

बचत दर प्रभावी कारक

- CSO के अनुसार वर्ष 1950-51 में बचत दर 9% थी, वहीं 2007-08 में बढ़कर 37.7% हो गई।
- बचत दर बढ़ने के साथ निवेश दर में वृद्धि होना
- निवेश में वृद्धि से नए रोज़गार का सृजन
- निवेश में वृद्धि से संवृद्धि दर में वृद्धि

2016

प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार कैसे कम हुये? क्या बढ़ती हुई औपचारिकता देश के विकास के लिये हानिकारक है? (200 शब्द, 12½ अंक)

How globalization has led to the reduction of employment in the formal sector of the Indian economy? Is increased informalization detrimental to the development of the country?

उत्तर : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार विश्व की लगभग 60% आबादी अनौपचारिक क्षेत्र से संबद्ध है। यद्यपि यह मुख्य रूप से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अधिक प्रचलित है, यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का भी एक महत्त्वपूर्ण अंग है। जहाँ तक वैश्वीकरण की बात है तो इसने आर्थिक विकास को तीव्र किया है, किंतु साथ ही साथ औपचारिक क्षेत्र में बेरोज़गारी में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार की कमी के कारण

- आधुनिक तकनीकों का विकास, विदेशी कंपनियों से अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धा, सस्ते आयातों आदि के कारण औपचारिक ढाँचे के विकास पर नकारात्मक प्रभाव।
- कड़े श्रम कानूनों के कारण संविदा आधारित रोज़गार को बढ़ावा।
- मशीनीकरण, स्वचालन, आउटसोर्सिंग और कंप्यूटरीकरण ने मानव संसाधन की भूमिका कम होना।
- सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों का खराब प्रदर्शन करना। जैसे- एयर इंडिया।
- सेवा क्षेत्र आधारित विकास ने कुशल श्रम की आवश्यकता पर बल दिया है किंतु भारत में कुशल श्रम की कमी।
- पूंजी गहन उद्योगों का विकास। जैसे- आईटी उद्योग।

बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिये

लाभदायक

- **आर्थिक विकास में योगदान :** वर्तमान में अनौपचारिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान औपचरिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक
- **महिला सशक्तीकरण :** यह क्षेत्र महिलाओं की काम करने लिये लचीलापन प्रदान करता है, जिससे महिलाएँ घर के प्रबंधन के साथ ही नौकरी भी कर सकती हैं।
- **रोज़गार का सृजन :** अनौपचरिक क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा, जैसे- रियल स्टेट, खुदरा व्यापार आदि।
- स्वरोज़गार को बढ़ावा।
- वैकल्पिक रोज़गार की उपलब्धता के कारण पिछड़े एवं वंचित तबकों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण।

हानिकारक

- श्रमिक संघ के रूप में संगठनों की कमी
- ज्यादातर लोग कर के दायरे से बाहर, जिससे टैक्स जीडीपी अनुपात कम, जैसे-
- इस क्षेत्र में कम एवं निश्चित आय प्राप्त होना जिससे गरीबी को बढ़ावा मिलता है।
- बीमा एवं पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा की कमी।
- प्रशिक्षण एवं कौशल विकास में कमी।
- सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर ज़्यादा खर्च, जिसका नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ना।
- वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का अभाव।

अत: सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि जैसी कल्याणकारी योजनाएँ चला रखी है, लेकिन इनके प्रभावपूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं हुये हैं, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था के पूर्ण संगठित होने तक अनौपचारिक क्षेत्र की महत्ता और आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता।

प्रश्न : भारत में महिला सशक्तीकरण के लिये जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। भारतीय संदर्भ में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकताएँ एवं स्थिति है? (200 शब्द, 12½ अंक)

Women empowerment in India needs gender budgeting. What are the requirements and status of gender budgeting in the Indian context?

उत्तर : जेंडर बजटिंग राजकोषीय नीति के माध्यम से लिंगभेद रहित समानता प्रदान करने वाली सरकार का एक साधन है। भारत में वर्ष 2005 में जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग (GRB) की शुरुआत हुई। जेंडर बजटिंग का उद्देश्य आर्थिक नीतियों और प्रशासन में महिलाओं के प्रति चल रही असमानताओं को दूर करना रहा है।

जेंडर बजटिंग

100% विनियोजन	कम-से-कम 30% विनियोजन
महिलाओं के लिये विशेष योजनाएँ	महिलाओं के पक्ष में योजनाएँ

भारत में महिला सशक्तीकरण के लिये जेंडर बजटिंग अनिवार्य

- भारत ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान होने के कारण।
- महिलाओं के ऊपर पुरुषों के नियंत्रण ने आजीविका के विकल्प को सीमित किया।
- बाल विवाह, दहेज प्रथा, सम्मान के लिये हत्या, डायन प्रथा जैसी प्रथाओं ने महिलाओं के प्रति असमानता में वृद्धि की।

भारत के जेंडर बजटिंग

स्थित

- 2005 में शुरुआत।
- इसे अपनाने वाले प्रमुख राज्य- गुजरात, असम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि।
- कुल बजट में जेंडर बजट का हिस्सा 2005 में लगभग 2.5%, 2011 में 6.2% तथा 2017-18 में 5.2% रहा। इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं।
- केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में 'जेंडर बजटिंग सेल' की स्थापना
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक ताजा अध्ययन में यह बात सामने आई कि इसे अपनाने वाले राज्यों के स्कूलों में बालिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है
- जेंडर गैप रिपोर्ट (WEF) 2022 में भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर।

आवश्यकता
❑ महिला सशक्तीकरण हेतु।
❑ महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने हेतु।
❑ जेंडर बजटिंग विशेष योजनाओं तक सीमित है, जिसे सभी जन कल्याण योजनाओं तक करने की ज़रूरत।
❑ बजट में स्त्री-पुरुष समानता को ध्यान में रखते हुये उसे विस्तृत आधार देने के लिये।
❑ नीतियों के क्रियान्वयन के लिये उचित निगरानी एवं मूल्यांकन व्यवस्था।

अत: भारतीय संदर्भ में जेंडर बजटिंग की अवधारणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, साथ ही इसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से सशक्त कर अंतत: भारत के सशक्तीकरण में योगदान देगा।

2015

प्रश्न: ग्रामीण क्षेत्रों में कृषितर रोज़गार और आय का प्रबंध करने में पशुधन पालन की बड़ी संभाव्यता है। भारत में इस क्षेत्रक की प्रोन्नति करने के उपयुक्त उपाय सुझाते हुये चर्चा कीजिये।

(200 शब्द, 12½ अंक)

Livestock rearing has a big potential for providing non-farm employment and income in rural areas. Discuss suggesting suitable measures to promote this sector in India.

उत्तर: पशुधन भारत में कृषि का अभिन्न अंग है और भारत हमेशा से पशुधन जैवविविधता समृद्ध है। भारत का पशुधन क्षेत्र वर्ष 2014–15 से 2020–21 के दौरान 7.9% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा और कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में इसका योगदान वर्ष 2014–15 में 24.3% से बढ़कर 2020–21 में 30.8% हो गया।

- **डेरी उत्पाद:** डेयरी उत्पाद-पनीर, दूध मक्खन इत्यादि द्वारा दूध का मूल्यवर्द्धन कर ग्रामीणों की आय में वृद्धि
  - भारत में दुग्ध का सबसे बड़ा एकल कृषि उत्पाद है। अत: निर्यात बढ़ाना
- **मांस उत्पाद:** मांस को प्रसंस्कृत कर, मूल्यवर्द्धन कर, रोज़गार को बढ़ाना एवं आय में वृद्धि
  - मछली पालन, मुर्गी पालन विस्तार
  - स्वदेशी प्रजाति मांस निर्यात को बढ़ाना यथा- मणिपुरी काला सुअर, कड़कनाथ मुर्गा इत्यादि
- **ऊन उत्पाद:** भेड़पालन से ऊन को तकनीकों की सहायता से प्रसंस्कृत कर आय वृद्धि एवं रोज़गार विस्तार।

इन संभावनाओं के बावजूद इस क्षेत्र में चुनौतियाँ

- जागरूकता का अभाव एवं तकनीकों का कम प्रयोग
- भेड़ पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन पर कम ध्यान
- सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़ी चुनौतियाँ, उदा. अवसंरचना, वातानुकूलित कंटेनर का अभाव इत्यादि
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी चुनौतियाँ
- बेहतर एवं गुणवत्ता युक्त चारे का अभाव

इन चुनौतियों के निपटान एवं संभावनाओं को साकार करने के लिये निम्न उपाय किये जाने चाहिये।

- बुनियादी ढांचा निर्माण, उदा. परिवहन, भंडारण
- सहकारी डेरी निर्माण को बढ़ावा
- सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सुदृढ़ीकरण
- पशुधन नस्ल सुधार
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार
- पशुधन में संक्रामक रोगों का नियंत्रण एवं उन्मूलन, उदा. गाँठदार त्वचा रोग नियंत्रण
- उचित, गुणवत्ता युक्त चारा व्यवस्था एवं चराई के लिये भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति निर्माण

निष्कर्षत: ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त छिपी एवं मौसमी बेरोज़गारी एवं अकुशल मानव संसाधनों का बेहतर प्रबंधन इस क्षेत्र द्वारा संभव है। अत: पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHID) राष्ट्रीय पशुधन मिशन इत्यादि कार्यक्रमों पर ज़ोर दिया जाना एक प्रभावी कदम है।

प्रश्न: भारत में कृषि भूमि धारणों के पतनोन्मुखी औसत आकार को देखते हुये, जिसके कारण अधिकांश किसानों के लिये कृषि अलाभकारी बन गई है? क्या संविदा कृषि को और भूमि को पट्टे पर देने को बढ़ावा दिया जाना चाहिये? इसके पक्ष-विपक्ष का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये?

(200 शब्द, 12½ अंक)

In view of the declining average size of land holdings in India which has made agriculture non-viable for a majority of farmers, should contract farming and land leasing be promoted in agriculture? Critically evaluate the pros and cons.

उत्तर: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार औसत जोत आकार वर्ष 1970–71 में 2.3 हेक्टेयर था, जो 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर रह गया। अत: कृषि भूमि धारणों का छोटा आकार चिंता का विषय बना हुआ है। जो 2023–24 तक और कम हो जाएगा।

कृषि भूमि धारणों को छोटे आकार से कुछ परेशानियों में वृद्धि हुई है।

परेशानियाँ
- → कृषि भूमि का छोटा आकार मशीनों एवं तकनीक उपयोग में रुकावट पैदा करता है
- → कृषि भूमि का छोटा आकार उत्पादन को प्रभावित करता है एवं छिपी बेरोज़गारी को बढ़ावा देता है
- → छोटी जोत फसल विविधीकरण को प्रभावित करती है एवं एक फसल को बढ़ावा देती है

अत: इन परेशानियों के समाधान के रूप में एवं किसानों के लिये कृषि को लाभकारी बनाने हेतु संविदा कृषि एवं पट्टे पर भूमि आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, जिससे निम्न लाभ होंगे।

- संविदा कृषि खरीददार एवं कृषि उत्पादक के मध्य अनुबद्ध आधारित होती है, जो दोनों पक्षों को बेहतर लाभ उपलब्ध कराती है।
- इससे किसानों को बेहतर तकनीक एवं आय का अवसर प्राप्त होता है, उदा. कंपनी द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, मशीन, तकनीक प्रदान करना।
- संविदा कृषि से भूमि धारण आकार में वृद्धि होती है जो उत्पादन को बढ़ावा, फसल विविधीकरण में वृद्धि करती है।
- इस कृषि से कंपनी कम जोखिम में गुणवत्ता युक्त सामग्री उपलब्ध होती है।

उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त कुछ कारणों से संविदा कृषि या पट्टे पर आधारित कृषि की आलोचना भी की जाती है।

- प्रायोजक कंपनियाँ एकाधिकार स्थिति का फायदा उठा सकती है।
- लंबी अवधि तक कंपनी एवं किसानों के बीच अनुबद्ध जारी रखना एक बड़ी चुनौती है।
- अनौपचारिक अनुबंध एवं अनुबंध स्पष्टता अभाव के कारण कंपनियों द्वारा तय कीमत, तय मात्रा पर उत्पादन की खरीद से मना कर देना, उदा. पैप्सिको द्वारा आलू खरीद से मनाही।
- संविदा कृषि बड़े फर्मों एवं बड़े किसानों के पक्ष में अधिक होती है और छोटे किसानों की क्षमता को नजरअंदाज करती है।
- महिलाओं को संविदा कृषि में भागीदारी कम हो, जो समावेशी विकास के अनुकूल नहीं है।

निष्कर्षत: संविदा कृषि जो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। किंतु किसानों को उनकी पैदावार का न्याय संगत मूल्य दिलाने एवं कृषि को लाभकारी बनाने के लिये सरकार को संविदा कृषि, भूमि को पट्टे पर देने जैसे तरीकों के सधे हुये कदमों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है साथ ही किसानों के शोषण को रोकने हेतु ज़मीनी स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन कर मौजूदा कानूनों की खामियों में सुधार करना चाहिये।

प्रश्न: डिजिटल भारत कार्यक्रम खेत उत्पादकता और आय बढ़ाने में किसानों को किस प्रकार सहायता कर सकता है? सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं? (200 शब्द, 12½ अंक)

How can the 'Digital India' programme help farmers to improve farm productivity and income? What steps has the Government taken in this regard?

उत्तर: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी की विभाग द्वारा परिकल्पित एक फ्लैगशिप कार्यक्रम डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 में की गई। जिसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना है।

डिजिटल इंडिया के तीन घटक एवं 9 स्तंभ है

3-घटक	9-स्तंभ
1. डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण 2. डिजिटल सेवा 3. डिजिटल सशक्तीकरण एवं डिजिटल साक्षरता	1. ब्रॉडबैंड हाइवे 2. मोबाइल कनेक्टिविटी के लिये सार्वभौमिक पहुँच 3. पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम 4. ई. Governnance 5. ई. क्रांति 6. सभी के लिये सूचना 7. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण 8. नौकरियों के आईटी 9. अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम

भारत की 70% आबादी ग्रामीण है और 50% आबादी के लिये कृषि आजीविका का स्रोत है। अत: डिजिटल इंडिया कृषि को उत्पादकता एवं आय को बढ़ाने में सहायता करेगा।

- बेहतर जानकारियाँ उपलब्ध कराना।
- एम एग्रीकल्चर
- एम बाज़ार
- मोबाइल आधारित सेवाओं द्वारा किसानों को आधुनिक तकनीकों के तरीकों से उत्पादकता एवं आय को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से कृषि उपज के मूल्यों की जानकारी एवं आर्थिक सुरक्षा में मदद मिलेगी।
- बेहतर सटीक जानकारी से अत्यधिक सिंचाई उर्वरकों के उपयोग इत्यादि समस्याओं का समाधान कर, किसानों के बोझ को कम एवं नुकसान को भी सीमित किया जा सकता है।
- DBT की सहायता से किसानों तक सीधे सब्सिडी उपलब्ध करना।

सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में विकास के लिये निम्न कदम उठाये गए हैं–

- **एग्रीकल्चर एप**– इसकी सहायता से किसान अपने आस-पास 50 km के दायरे में फसलों की कीमतों से संबंधित जानकारी प्राप्त करना।
- **फसल बीमा एप**– इसका प्रयोग कर किसान अधिसूचना क्षेत्र में फसल की सामान्य बीमा राशि सब्सिडी, बीमा विस्तारित राशि इत्यादि की जानकारी प्राप्त करेगा।
- **ई. नाम (E. NAM)**– यह एक इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कृषि वस्तुओं के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाने के लिये मौजूदा APMC मंडियों का नेटवर्क है।
- **किसान सुविधा एप**– मौसम संबंधित जानकारियाँ, बाज़ार मूल्य, बीज इत्यादि की जानकारियाँ प्रदान करता है।
- **पूसा कृषि एप**– यह (IARC) द्वारा विकसित किया गया, जो फसलों से संबंधित जानकारियाँ प्रदान करता है।

इनके साथ-साथ अन्य प्रयास

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड
- भारत नेट
- मोबाइल किसान पोर्टल इत्यादि

निष्कर्षत: खेत उत्पादकता एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिये डिजिटल इंडिया में काफी संभावनाएँ हैं, फिर भी मौजूदा नीतियों में सुधार के माध्यम से कृषि को अधिक बाजारोन्मुखी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार द्वारा डिजिटल नवाचार बनाने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार द्वारा डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ कम लागत वाला डेटा, ग्रामीण कनेक्टिविटी इत्यादि को भी मज़बूत किये जाने की जरूरत है।

प्रश्न : भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास करने की राह में विपणन और पूर्ति शृंखला प्रबंधन में क्या बाधाएँ है क्या इन बाधाओं पर काबू पाने में ई-वाणिज्य सहायक हो सकता है? (200 शब्द, 12½ अंक)

What are the impediments in marketing and supply chain management in developing the food processing industry in India? Can e-commerce help in overcoming theses bottlenecks?

उत्तर : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में खाद्य पदार्थों को तैयार करना। खाद्य उत्पादों का परिवर्तन, संरक्षण, पैकेजिंग, तकनीक इत्यादि शामिल है और इनकी पूर्ति शृंखला में मुख्यत: चार घटकों से मिलकर बनती है, जिसमें उत्पादक, उत्पादों का प्रसंस्करण, वितरक एवं विक्रेता शामिल है। इस उद्योग के विकास में बाधाएँ भी इन्हीं घटकों में विद्यमान है जो भारत के संदर्भ में विपणन और पूर्ति शृंखला के विकास को प्रभावित करती है जो निम्न है।

बाधाएँ

प्रसंस्करण स्तर पर
- उच्च खाद्य प्रसंस्करण तकनीक अभाव
- बुनियादी ढाँचा अभाव
- कच्चे माल की उपलब्धता अभाव

उत्पादन के स्तर पर
- निम्न गुणवत्ता
- निम्न उत्पादकता
- डिमांड आधारित उत्पादन की कमी

विपणन के स्तर पर
- खंडित बाज़ार एवं खराब मंडी अवसंरचना
- उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी ग्रेडिंग का अभाव
- मूल्यों के स्तर पर पारदर्शिता का अभाव

पूर्ति शृंखला के स्तर पर
- उत्पादों की बर्बादी, उदाहरण प्रशीत कंटेनर अभाव के कारण
- भंडारण क्षमता अभाव, उदाहरण कोल्ड स्टोर
- बढ़ते मध्यस्थों की भूमिका
- परिवहन अवसंरचना अभाव, उदाहरण गाँव से बाज़ार कनेक्टिविटी अभाव

इन बाधाओं का समाधान करने में ई-वाणिज्य एक महत्त्वपूर्ण उपकरण हो सकता है।

ई. वाणिज्य द्वारा समाधान
- आने वाले बाहर जाने वाले स्टाफ के लिये गोदामों की निगरानी पहल को मज़बूत करेगी, ई-वाणिज्य किसानों को एक राष्ट्रव्यापी बाज़ार उपलब्ध कराएगी।
- यह उत्पादों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर उपभोक्ताओं को जागरूक बनाएगी।
- उत्पादों के मूल्यों की विसंगतियाँ कम।
- ऑनलाइन खरीदारी से परिवहन लागत कम।
- विक्रेता, खरीदारी को अवसर लाभ प्रस्तुत करेगी।
- चयन के अधिक विकल्प उपलब्ध।
- यह किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली फसल पैदा न करने, विनिमय मानकों को पूरा करने के लिये प्रोत्साहित करेगी।
- ई-वाणिज्य कंपनियाँ-वॉलमार्ट इत्यादि सीधे उत्पादों को जनता तक पहुँच सुलभ करेंगी तथा मध्यस्थों की कमी करेंगी।

निष्कर्षत: ई. कॉमर्स के साथ-साथ किसान संगठनों (Fo's) की भागीदारी भी आवश्यक है। कृषि विपणन B 2 B (बी 2 बी) और C 2 C दोनों बाज़ारों में लाभ ले सकता है। साथ ही सरकार ई. नेम (E.Nam), प्रत्यक्ष विपणन ई-ट्रेडिंग इत्यादि कार्यक्रमों द्वारा बी 2 सी (Business to Consumer) बाज़ार के अंतरों को पाटने के लिये नए खिलाड़ियों, जैसे-ग्रोफर्स, बिग बास्केट, OTP इत्यादि को बढ़ावा दे रही है।

प्रश्न : प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के द्वारा कीमत सहायिकी का प्रतिस्थापन भारत में सहायिकी के परिदृश्य का किस प्रकार परिवर्तन कर सकता है? चर्चा कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

In what way could replacement of price subsidy with Direct Benefit Transfer (DBT) change the scenario of subsidies in India? Discuss.

उत्तर : जनवरी 2013 में सरकार द्वार शुरू की गई एक सुधारात्मक पहल है। जिसके द्वारा लाभ को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों एवं पोस्टल खातों में हस्तांतरित करना है-

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की आवश्यकता क्यों?

आवश्यकता
- वितरण प्रणाली में बढ़ते मध्यस्थ
- अवैध लाभार्थी समस्या निपटान के लिये
- धन के दुरुपयोग तथा रिसाव समस्या के निदान के लिये
  - लाभार्थियों के चयन में सरकारी मानदंड का पालन न करना।
  - बढ़ता भ्रष्टाचार इत्यादि समस्याओं के कारण DBT आवश्यक

DBT के द्वारा मध्यस्थों की भूमिका समाप्त यथा सीधे DBT द्वारा खाते में लाभ हस्तांतरण

भुगतान में देरी, समस्या निदान कर त्वरित लाभ प्रदान करना

यह कार्यक्रम निम्न प्रकार से मौजूदा सहायिकी वितरण प्रणाली के दोषों को कम करने में सहायक होगा-

वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँच यथा बोगस लाभार्थी समस्या का निदान करना

हिसाब समस्या का निदान कर सरकार पर राजकोषीय दबाव को कम करना

इनके साथ-साथ DBT के मध्य चुनौतियाँ/बाधाएँ निम्न हैं-

DBT के मध्य चुनौतियाँ/बाधाएँ

- हस्तांतरित नकद का अन्य मदों में प्रयोग यथा-शराब, जुआ इत्यादि।
- DBT से संबंधित बैंकिंग इंफ्रा का अभाव उदाहरण ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ब्रांच, ATM इत्यादि की कमी।
- अपर्याप्त ग्रामीण बैंकिंग उदाहरण स्वरूप भारत में प्राप्ति 1 लाख वयस्कों पर मात्र 14.6 बैंक शाखाएँ।
- DBT के बारे में जागरूकता अभाव।
- DBT में सेवाओं का कम कवरेज।
- DBT में बढ़ता भ्रष्टाचार-उदाहरण झारखंड में छात्रवृत्ति घोटाला

इन सब चुनौतियों/बाधाओं के निपटान के लिये कुछ उपाय आवश्यक हैं?

उपाय

- नवोन्मेष को अपनाना
- अवसंरचना विकास उदाहरण ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग ATM इत्यादि
- DBT में लाभार्थी डेटावेस का पूर्ण डिजिटलीकरण और डी-डुप्लिकेशन का निदान

निष्कर्षत: DBT के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों PDS, मनरेगा पहल, इत्यादि में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही यह भारत की आबादी की विविध जरूरतों को पूरा करने और संतुलित, न्यायसंगत तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर रहा है।

प्रश्न: सोने के लिये भारतीयों के उम्मीद ने हाल के वर्षों में सोने के आयात में प्रोत्कर्ष उत्पन्न कर दिया है और भुगतान संतुलन और रुपए के बाह्य मूल्यों पर दबाव डाला है। इसको देखते हुये, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के गुणों का परीक्षण कीजिये? (200 शब्द, 12½ अंक)

Craze for gold in Indians has led to a surge in import of gold in recent years and put pressure on balance of payments and external value of rupee. In view of this, examine the merits of the Gold Monetization Scheme.

उत्तर: सोना एक बहुमूल्य धातु है जिसका उपयोग विभिन्न-उत्पादों, आभूषणों, मूर्तियों, सिक्कों इत्यादि के साथ-साथ भविष्य में आर्थिक सुरक्षा के लिये किया जाता है। सोने के बढ़ते मूल्य एवं प्रतिबंधों के बावजूद भारत सालाना इस्तेमाल होने वाले 774 टन सोने की तुलना में केवल 1.6 टन सोना उत्पादन करता है और अन्य के लिये आयात पर निर्भर है। अत: भारत में सोने के आयात के कारण निम्न है-

कारण

- भारत में स्वर्ण स्रोत कम उदाहरण केवल तीन खानें कार्यरत कर्नाटक-हुट्टी, उटी, झारखंड-हीरावुद्नी
- सामाजिक हैसियत का प्रतीक एवं भारतीय संस्कृति का हिस्सा होने के कारण मांग
- सोने को एक निवेश के साधन रूप में देखा जाना
- निवेश के अन्य साधन की तुलना में सुरक्षित प्रतिफल देता है

इन कारणों के परिप्रेक्ष्य में सोने के लगातार आयात में वृद्धि, जो भुगतान संतुलन पर दबाव डालने के साथ-साथ रुपए की स्थिति को डॉलर ($) की तुलना में कमज़ोर करता है, इसी पृष्ठभूमि में स्वर्ण मौद्रीकरण योजना-2015 में प्रारंभ की।

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना

- उद्देश्य-स्वर्ण आयात में कमी एवं घरों, मंदिरों ट्रस्टों में रखे स्वर्ण का कुशलतम उपयोग
- 2.25% से 2.50% तक ब्याज दर प्राप्त
- छोटी, मध्यम, दीर्घ अवधि के लिये स्वर्ण को स्वर्ण बचत खाते में जमा करना
- कम से कम 30 ग्राम सोना जमा

इस योजना के निम्न लाभ हैं-

लाभ

- इस योजना द्वारा विभिन्न प्रकार के करों में छूट प्राप्त होगी, उदाहरण- इस योजना के लाभ को पूंजीगत लाभ कर से छूट प्राप्त है।
- निष्क्रिय पड़े सोने का इस्तेमाल उत्पादक कार्यों के लिये हो सकेगा।
- सोने के आयात में कमी होगी। अत: मुद्रा भंडारण के खर्च में कमी एवं डॉलर के मुकाबले मज़बूत होगा।
- बाज़ार में सोने की आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा, यथा-स्वर्ण मौद्रीकरण योजना संचालित करने वाली संस्थाएँ अन्य बैंकों को सोना बेच सकेंगी।

इन सब लाभों के साथ-साथ इस योजना के मध्य कुछ चुनौतियाँ भी हैं।

योजना चुनौतियाँ

- प्रभावी ब्याज दर अभाव।
- योजना में आभूषण के बदले में आभूषण प्राप्त नहीं बल्कि उसकी समतुल्यता की स्वर्ण प्राप्ति।
- योजना जानकारी अभाव एवं वित्तीय समावेशन की कमी यथा लोगों तक बैंकिंग पहुँच कम।
- स्वर्ण को लोन की जमानत रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः सावधि जमा खाते में रखने पर ऐसा उपयोग संभव नहीं।
- अनाधिकृत एवं काले धन से खरीदे गए सोने को जमा करना मुश्किल।

आगे की राह

- योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर जागरूकता को बढ़ावा।
- योजना को बाज़ार अनुकूल बनाना, उदाहरण हर जिले में ज्वैलर्स नियुक्ति।
- ब्याज दर एवं लोक-इन-अवधि की समीक्षा करना।

प्रश्नः इसकी स्पष्ट स्वीकृति है कि विशेष आर्थिक जोन औद्योगिक विकास विनिर्माण और निर्यातों के एक साधन है। इस संभाव्यता को मान्यता देते हुये, एस.ई.जेड के संपूर्ण करणत्व में वृद्धि करने की आवश्यकता है। कराधान नियंत्रण कानूनों और प्रशासन के संबंध में एस.ई. जेडों की सफलता को परेशान करने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

There is a clear acknowledgement that Special Economic Zones (SEZs) are a tool of industrial development, manufacturing and exports. Recognizing this potential, the whole instrumentality of SEZs requires augmentation. Discuss the issues plaguing the success of SEZs with respect to taxation, governing laws and administration.

उत्तरः SEZ किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र हैं, जो प्रायः शुल्क मुक्त होते हैं और निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोज़गार पैदा करने के लिये अलग-अलग व्यापारिक, वाणिज्यिक कानून होते है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ) को 1965 में कांडला, गुजरात में स्थापित किया इसकी संरचना SEZ के समान थी। अतः सरकार द्वारा EPZ की चुनौतियों (ढाँचागत, नौकरशाही, कानूनी) के निवारण हेतु 2000 में SEZ की स्थापना की।

अतः इन्हें औद्योगिक विकास, निर्यातों के साधन रूप में देखा–

साधन

- रोज़गार बढ़ावा
- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा
- वस्तुओं, सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा
- निर्यात के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं बाधारहित वातावरण का निर्माण

इन उद्देश्यों के बावजूद इसके द्वारा आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए जिसके कराधान, नियंत्रक कानून एवं प्रशासन से संबंधित कारण निम्न है-

कारण

- SEZ को MAT एवं DDT Tax से छूट प्राप्त थी लेकिन IT कंपनियों एवं रियल स्टेट कंपनियों द्वारा इसका अनुचित इस्तेमाल के कारण यह छूट 2011-12 में समाप्त
- SEZ अधिनियम के अनुरूप राज्य स्तर पर कानूनों का अभाव
- भूमि अधिग्रहण, अवसंरचना निर्माण जैसे मुद्दों पर परंपरागत सरकारी रवैया SEZ के लिये हानिकारक
- SEZ को विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने वाली परिवहन संरचना का अभाव
- आसियान देशों से प्रतिस्पर्द्धा भी एक कारण।
- फोकस मार्केट, फोकस उत्पाद जैसी निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजनाएँ SEZ तक विस्तारित नहीं।

अतः उपर्युक्त कारणों से भारत में SEZ सफल नहीं हो पाया।

आगे की राह

- बाबा कल्याणी समिति सिफारिशों को लागू किया जाना।
- प्रारंभिक केंद्र से अंतिम केंद्र तक कनेक्टिविटी अवसंरचना विकास
- प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के शोध अनुसार SEZ का चयन रियल स्टेट स्पेक्यूलेशन आधार पर।
- साथ ही सक्षम एवं प्रक्रियात्मक छूट के साथ-साथ दीर्घकालिक ऋण एवं वित्त की व्यवस्था।

प्रश्नः हाल के समय भारत में आर्थिक संवृद्धि की प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरी हीन संवृद्धि के तौर पर किया जाता है? क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिये? (200 शब्द, 12½ अंक)

The nature of economic growth in India in recent times is often described as jobless growth. Do you agree with this view? Give arguments in favour of your answer.

उत्तरः नौकरीहीन संवृद्धि/वह होती है, जब अर्थव्यवस्था के बढ़ने के बावजूद भी रोज़गार में वृद्धि न हो या बेरोज़गारी अधिक बनी रहे।

भारत में रोज़गार विहीन संवृद्धि की स्थिति

नौकरीहीन संवृद्धि की स्थिति

- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार भारत में बेरोज़गारी पर लगभग 7%-8%, जो 5 वर्ष पहले 5% के करीब
- CMIE द्वारा महिला श्रम बल भागीदारी 9% तक गिर गई।
- रोज़गार लोच 90 के दशक में 0.4 से गिरकर अब 0.1 से भी कम हो गई।

भारत में रोज़गार हीन संवृद्धि के कारण

कारण
- अवसंरचना अभाव
- कौशल विकास अभाव
- नवाचार तकनीक अभाव
- MSME उदाहरण, फूड प्रोसेसिंग इत्यादि पर ध्यान नहीं
- सीधे तृतीय क्षेत्र (सेवा क्षेत्र पर ध्यान उदाहरण- सेवा क्षेत्र GDP में 60% योगदान एवं रोज़गार में सिर्फ 25%)
- कृषि पर ध्यान नहीं देना

अतः आर्थिक विकास के साथ-साथ रोज़गार के लिये निम्न उपाय प्रभावी :–

उपाय
- कौशल विकास बढ़ावा उदाहरण PM कौशल विकास कार्यक्रम इत्यादि पर कार्य
- तकनीक शिक्षा, औपचारिक ट्रेनिंग पर ध्यान, उदाहरण स्किल इंडिया प्रोग्राम इत्यादि
- MSME पर विशेष ज़ोर उदाहरण स्टैंड अप इंडिया, उद्यम शीलता पर ज़ोर-स्टार्ट अप इंडिया
- अवसंरचना का तीव्र विकास एवं सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा विस्तार
- नवोदित स्टार्ट अप को वित्तीय सहायता, उदाहरण मुद्रा योजना इत्यादि का प्रभावी क्रियान्वयन
- नए जमाने के कौशल सीखने के लिये प्रोत्साहन उदाहरण 5G, AI, बिग डेटा एनालिसिस, ब्लॉक चेन इत्यादि
- कानून उदारीकरण एवं लचीलेपन के साथ-साथ भ्रष्टाचार, लालफीताशाही समाप्ति पर ज़ोर

निष्कर्षत: अत: यह कहा जा सकता है कि आर्थिक संवृद्धि ने पर्याप्त रोज़गार सृजन नहीं किया, लेकिन सरकार द्वारा उठाये गए कदम यथा- निवेश बढ़ावा, अवसंरचना विकास PLI स्कीम, नई शिक्षा नीति, वोकेशनल ट्रेनिंग (स्किल के लिये) इत्यादि के द्वारा एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रश्न : सौर ऊर्जा की उपकरण लागतों और टैरिफ में हाल में नाटकीय पतन के क्या कारण बताए जा सकते हैं? इस प्रवृत्ति के तापीय विद्युत उत्पादकों और संबंधित उद्योग के लिये क्या निहितार्थ है? (200 शब्द, 12½ अंक)

To what factors can the recent dramatic fall in equipment costs and tariff of solar energy be attributed? What implication does the trend have for the thermal power producers and the related industry?

उत्तर : सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाले विकिरण और विभिन्न उपलब्ध तकनीकों जैसी फोटो बोल्टिक सौर पैनल सौर हीटर आदि के उपयोग विद्युत एवं थर्मल ऊर्जा के रूप में किया जाता है। अत: अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा 2016 रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में लगभग 50% नवीकरणीय स्रोतों की भूमिका हैं जो वैश्विक रूप से सहयोगी नीतियाँ, तकनीकी विकास, लागत में कटौती द्वारा संभव हुआ।

अत: हाल में उपकरण लागतों एवं टैरिफ में कमी के नाटकीय पतन के कारण निम्न हैं-

कारण
- सोलर सेल उत्पादन एशिया की ओर स्थानांतरित, जहाँ सस्ता श्रम, सस्ती सामग्री उपलब्ध।
- तकनीक नवाचार एवं अनुसंधान द्वारा सोलर सेल कार्यकुशलता को बढ़ावा
- सरकार द्वारा रेगुलेटरी परिवर्तन, उदाहरण नेशनल टैरिफ पॉलिसी में बदलाव
- वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल करना। अत: वित्त की उपलब्धता
- वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड एवं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा

सौर ऊर्जा के लाभ
- सौर ऊर्जा उपलब्धता पूरे दिन
- सौर ऊर्जा से संबंधित उपकरणों की अवधि अधिक
- सौर ऊर्जा से स्वच्छ विद्युत ऊर्जा प्राप्ति
- दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में भी आसान पहुँच

अत: तापीय विद्युत उत्पादकों एवं संबंधित उद्योगों पर प्रभाव

नकारात्मक	सकारात्मक
❑ तापीय विद्युत संयत्रों के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव, उदाहरण सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों पर अधिक ज़ोर ❑ खनन उद्योग (कोयला इत्यादि) के उत्पादन में कमी। ❑ खनन उद्योग में रोज़गार प्रभावित ❑ तापीय विद्युत संयत्रों से उत्पादित बिजली (महँगी होने के कारण खरीद में गिरावट)	❑ गैर-नवीकरणीय स्रोतों (कोयला गैस, तेल) के कम उपयोग से दीर्घकाल तक उपयोग ❑ आयात पर निर्भरता में कमी एवं राजकोषीय घाटे में कमी ❑ वैश्विक तापन में कमी एवं पर्यावरण संरक्षण ❑ सभी तक सस्ती एवं वहनीय ऊर्जा पहुँच, उदाहरण सौर पार्क (मध्य प्रदेश) द्वारा 2.97 रूपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत विक्रय की बोली लगी। ❑ संसाधनों का समावेशीय उपयोग

निष्कर्षत: वर्ष 2035 तक वैश्विक सौर क्षमता में भारत की हिस्सेदारी 8% होने की उम्मीद है। भारत वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है।

प्रश्न : मेक इन इंडिया (Make in India) कार्यक्रम की सफलता कौशल भारत, कार्यक्रम और आमूल श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है। तर्क सम्मत दलीलों के साथ चर्चा कीजिये? (200 शब्द, 12½ अंक)

Success of (Make in India) Programme depends on the success of 'Skill India' programme and radical labour reforms. Discuss with logical arguments.

उत्तर: मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जो देश को एक अग्रणी विनिर्माण एवं निवेश गतंव्य में बदलेगा, साथ ही संभावित निवेश को और भागीदारों को 'न्यू इंडिया' की विकास गाथा में भाग लेने हेतु खुला आमंत्रण प्रदान करेगा।

मेक इन इंडिया महत्त्व/उद्देश्य

कारण
- सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण अवसरंचना विकास
- इनोवेशन को बढ़ावा
- व्यवसाय के लिये बाधाएँ कम
- कौशल विकास बढ़ावा
- बौद्धिक संपदा की रक्षा

मेक इन इंडिया के चार स्तंभ

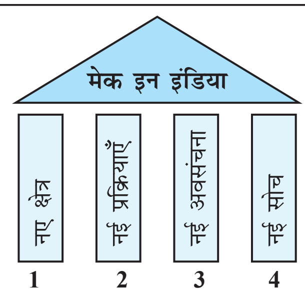

महत्त्व के साथ-साथ प्रोग्राम की समस्याएँ भी हैं–

समस्याएँ
- अकुलशल श्रम उदाहरण, भारतीय जनसंख्या में कार्यबल का 5% से कम औपचारिक रूप में कौशल प्राप्त
- ITI, इत्यादि जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का खराब प्रदर्शन
- उद्योगों के बीच परस्पर क्रिया का अभाव
- कमज़ोर अवसंरचना

साथ ही कुछ चुनौतियाँ श्रम क्षेत्र से भी जुड़ी हैं।

- अधिकतर श्रम कानून पुराने हैं, जो वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।
- श्रम कानूनों की बहुलता के कारण इन्हें लागू करने की समस्या।
- कानूनों में लोचशीलता अभाव, उदाहरण किसी फैक्ट्री में 100 या अधिक मज़दूर है तो छँटनी से पूर्व सरकार की अनुमति अनिवार्य
- अदृश्य श्रम की समस्या।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर मेक इन इंडिया की सफलता कौशल विकास श्रम सुधारों पर निर्भर है। अत: सरकार द्वारा निम्न कार्य किये जा रहे हैं–

श्रम सुधारों पर कार्य	कौशल विकास पर कार्य
❑ श्रम सुविधा पोर्टल निर्माण ❑ पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना ■ वेतन संहिता 2019 ■ औद्योगिक संबंध संहिता ■ सामाजिक सुरक्षा संहिता ■ व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020	❑ प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम ❑ स्किल इंडिया कार्यक्रम ❑ औद्योगिक प्रशिक्षण संसाधानों का निर्माण ❑ कौशल सर्वेक्षण किया जाना ❑ प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन, उदाहरण राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा मूल्यांकन एवं बेहतर प्रदर्शन के लिये प्रोत्साहन

इस सबके अलावा मेक इन इंडिया के लिये अन्य प्रयासों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

अन्य प्रयास
- लालफीताशाही, भ्रष्टाचार की समाप्ति
- अवसंरचना का तीव्र विकास
- प्रक्रियात्मक जटिलताओं की समाप्ति
- स्कूली शिक्षा से ही स्किल विकास
- MSME पर विशेष बल
- तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा
- आर्थिक सहायता, उदाहरण मुद्रा लोन इत्यादि
- PLI, NSWS, जैसी योजनाएँ विस्तार

निष्कर्षत: मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के लिये कौशल विकास कार्यक्रम को प्रभावी बनाते हुये श्रम सुधारों को क्रियान्वित करने के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा, नवाचार इत्यादि पर भी ध्यान दिया जाना।

2014

प्रश्न: "गाँवों में सहकारी समिति को छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी अन्य ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।" अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन की चर्चा कीजिये। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को किन बाध्यताओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है? (200 शब्द, 12½ अंक)

"In the villages itself no form of credit organization will be suitable except the cooperative society." Discuss this statement in the background of agricultural finance in India. What constraints and challenges do financial institutions supplying agricultural finance face? How can technology be used to better reach and serve rural clients?

उत्तर : कृषि वित्त एक व्यापक शब्द है, जिसमें गाँव के ऋणदाता, बैंकिंग संस्थाएँ और सहकारी समितियाँ इत्यादि शामिल हैं।

कृषि वित्त स्रोत

निजी स्रोत	**संस्थागत स्रोत**
❑ महाजन, साहूकार	❑ सहकारी समितियाँ
❑ भूस्वामी एवं व्यापारी, जो अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं।	❑ व्यापारिक बैंक
	❑ ग्रामीण बैंक
❑ रिश्तेदार इत्यादि।	❑ वाणिज्यिक बैंक

महत्त्व– वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

- वित्तीय समावेशन (वित्तीय संस्थाओं का ग्रामीण स्तर पर विकास)
- बचत आदत बढ़ावा (उदा. जनधन खातों द्वारा)
- उचित ब्याज दर पर ऋण

वित्तीय संस्थाओं के मध्य बाध्यताएँ एवं चुनौतियाँ

- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, कोर (CORE) बैंकिंग अभाव
- ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना अभाव यथा–ATM इंटरनेट इत्यादि
- कृषि वित्त के संदर्भ में बढ़ती गैर –निष्पादनकारी संपत्ति (NPA) उदाहरण 2020 आँकड़ों के अनुसार 25.48%
- सरकारी हस्तक्षेप द्वारा बैंकों की ब्याज दर एवं ऋण सीमा बदलाव

ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच/सेवा के लिये प्रौद्योगिकी उपयोग–

प्रौद्योगिकी इस्तेमाल

- बैंक मित्रों के माध्यम से बैंक आपके द्वार जैसे कार्यक्रम, कंप्यूटरीकरण/मोबाइल बैंकिंग बढ़ावा देना।
- CORE बैंकिंग ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाई जाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँच उदाहरण भारतनेट परियोजना, इंटरनेट साथी प्रोग्राम
- आधार/बायोमैट्रिक उपयोग द्वारा वित्तीय समावेशन बढ़ावा उदाहरण जनधन योजना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना बढ़ावा यथा– ATM कियोस्क इत्यादि बनाया जाना।

निष्कर्षत : उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग से बैंकिंग तीव्र एवं व्यवहार्य बनाने के साथ-साथ बैंकिंग ट्रांजेक्शन को लागत प्रभावी और लाभकारी बनाया जा सकता है।

प्रश्न : भूमि अर्जन, पुनरुद्धार और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधि. 2013 पहली जनवरी 2014 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से कौन से महत्त्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकलेगा? भारत में औद्योगिकरण और कृषि पर इसके क्या परिणाम होंगे?

(200 शब्द, 12½ अंक)

The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 has come into effect from Ist January, 2014. What are the key issues which would get addressed with the Act in place? What implications would it have on industrialization and agriculture in India?

उत्तर : भारत में उद्योग, कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा समावेशी विकास आदि को सुनिश्चित करने के लिये भूमि अधिग्रहण से जुड़ा 1894 का औपनिवेशिक कानून समाप्त कर 2014 में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 लागू किया गया।

महत्त्वपूर्ण मुद्दे

- भूमि अधिग्रहण से विस्थापन समस्या
- कृषि योग्य भूमि अधिग्रहण पर विवाद
- जनजातीय क्षेत्रों में हिंसात्मक विवाद
- जनजातीय क्षेत्रों में हिंसात्मक विवाद

2014 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के महत्त्वपूर्ण प्रावधान–

- मुआवजा अधिनियम के तहत विस्थापित एवं भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पुनर्स्थापना का प्रावधान।
- अधिग्रहण पर सीमाएँ तय।
- भूमि मालिक की परिभाषा में परिवर्तन।
- सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा अधिनियम धारा 2(1) के तहत शामिल।

2014 अधिनियम के द्वारा समाधान

2014 अधिनियम द्वारा विवाद समाधान

- कृषि योग्य भूमि अधिग्रहण पर रोक
- विस्थापन समस्या के लिये पुनरुद्धार एवं पुनर्वास व्यवस्था
- भूमि अधिग्रहण की मनमानी व्यवस्था पर रोक यथा (निजी अधिग्रहण के संदर्भ में 80% तथा PPP भागीदारी संदर्भ में 70%) मालिकाना हक रखने वालों से सहमति प्राप्त करना जरूरी।
- मुआवजा वृद्धि यथा एक संतोषप्रद राशि ग्रामीण क्षेत्र में बाज़ार मूल्य का 4 गुना, शहरी क्षेत्र में 2 गुना
- जनजातियों के लिये विशेष प्रावधान

कृषि एवं औद्योगिकरण पर परिणाम

सकारात्मक	नकारात्मक
❑ भूमि अधिग्रहण विवादों में कमी, उदाहरण सिंगुर परियोजना ❑ योजनाएँ जल्दी प्रारंभ ❑ लागत प्रभावी एवं परियोजना का त्वरित निर्माण	❑ उद्योगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा ❑ भूमि मालिकों की अनिवार्य सहमति से अधिग्रहण में देरी। ❑ कृषि योग्य भूमि में कमी ❑ कृषि भूमि अधिग्रहण करने पर नवीन कृषि योग्य भूमि विकास करने का दबाव

निष्कर्षत: 2014 अधिक कृषकों एवं औद्योगिक दोनों समूहों के मध्य संतुलन बनाता है। वर्तमान समय में अधिग्रहण संबंधित मुद्दों को हटा कर भारत के आर्थिक विकास के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में गति प्रदान करता है।

प्रश्न : सामान्यत: देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अंतरित होते हैं, पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को अंतरित हो गया है। देश में उद्योग के मुकाबले सेवाओं की विशाल संवृद्धि के क्या कारण हैं? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकता है? (200 शब्द, 12½ अंक)

Normally countries shift from agriculture to industry and then later to services, but India shifted directly from agriculture to services. What are the reasons for the huge growth-services vis-a-vis industry in the country? Can India become a developed country without a strong industrial base?

उत्तर : स्वतंत्रता के 50 वर्षों की छोटी अवधि में भारतीय GDP में सेवा क्षेत्र योगदान 60% है, लेकिन यह केवल 25% श्रम शक्ति को रोज़गार प्रदान करता हैं। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें तो भारत क्रमिक अवधारणा का पालन नहीं करता। अत: यह कृषि क्षेत्र (प्राथमिक) से सेवा क्षेत्र (तृतीय) पर स्थानांतरित हो गया–

अत: भारत के सेवा क्षेत्र में अंतरण के कारण निम्न हैं

- भारत की औपनिवेशिक स्थिति
- उद्योगों में निवेश हेतु पूंजी अभाव
- शिक्षा, तकनीक शिक्षा, नवाचार का अभाव
- मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान यथा-सेवा क्षेत्र घटक स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा पर ध्यान
- नई आर्थिक नीति अपनाना
- समाजवाद से पूंजीवाद की ओर आकर्षण

उद्योगों के मुकाबले सेवाओं की संवृद्धि के कारण

- 1990 के दशक में सूचना क्रांति विकास अर्थात् (ICT प्रयोग)
- LPG का बढ़ता प्रभाव
- शैक्षिणिक संस्थाओं में सेवा क्षेत्र पाठ्यक्रमों पर ज़ोर
- वित्तीय सेवाएँ, व्यापार एवं परिवहन का बढ़ता प्रभाव

लेकिन भारत की बढ़ती विशाल जनसंख्या, आय असमानता, खाद्य सुरक्षा, इत्यादि के स्तर को देखते हुये उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र के विकास के बिना भारत के विकसित देश बनने में रोड़ा रहेगा। अत: निम्न प्रयास सराहनीय है–

- कौशल विकास पर ध्यान (उदा. स्किल इंडिया, स्ट्राइव योजना)
- विनिर्माण क्षेत्र का विकास। अत: आयात पर निर्भरता कम, निर्यात को बढ़ावा।
- MSME पर विशेष ज़ोर दिया जाना।
- आर्थिक वृद्धि बढ़ावा (Niti उद्योग उपाध्यक्ष द्वारा 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिये 8% सालाना आर्थिक वृद्धि की बात कही)

निष्कर्ष :

76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस संकल्प की प्राप्ति के लिये PM द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को 20 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की बात कही। जो उद्योगों के तीव्र विकास को पूर्ण कर प्राप्त की जा सकती है। अत: सशक्त औद्योगिक आधार प्रदान कर भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है।

प्रश्न : एक दृष्टिकोण यह भी है कि राज्य अधिनियमों के अधीन स्थापित कृषि उत्पादन बाज़ार समितियों ने भारत में न केवल कृषि के विकास को बाधित किया है बल्कि वे खाद्य वस्तु महंगाई का कारण भी रही है। समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

There is also a point of view that Agricultural Produce Market Committees set up under the State Acts have not only impeded the development of agriculture but also have been the cause of food inflation in India. Critically examine.

उत्तर : कृषि राज्यों का विषय है कृषि विपणन सुधार एवं कृषकों के लाभ को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1950 के दशक से ही कृषि उत्पादन बाज़ार समितियाँ (APMC) लागू हैं। इस व्यवस्था में 2001 में अंतर मंत्रालयी कार्य बल की सिफारिशों के आधार पर 2003 में मॉडल APMC Act तैयार किया गया। हालाँकि, AMPC ने घोषित लक्ष्यों के विपरीत कार्य किया है–

APMC द्वारा कृषि विकास को प्रभावित करने के कारण

- AMPC का एकाधिकार
- कार्टेलाइजेशन व्यवस्था
- प्रवेश संबंधित बाधाएँ
- APMC नियामक एवं बाज़ार की दोहरी भूमिका
- उत्पादन कीमत वृद्धि यथा कर, गरदा इत्यादि के कारण कीमत वृद्धि

कृषि विकास को प्रभावित करने के साथ-साथ AMPC द्वारा खाद्य वस्तुएँ भी निम्न प्रकार से महँगी की गईं

- फॉर्म टू फोर्क यथा-परिवहन, माल के उतार-चढ़ाव के कारण खाद्य वस्तुएँ महँगी
- जमाखोरी भी खाद्य वस्तुओं को महँगा करती है।
- अवसंरचना का अभाव भी एक कारण है
- भंडारण की उचित व्यवस्था के अभाव में कृषि उत्पादों की बर्बादी
- सप्लाई चेन का विखंडित होना, जो कृषि उत्पाद को महंगा करता है

अत: इस समस्या का निदान निम्न हैं

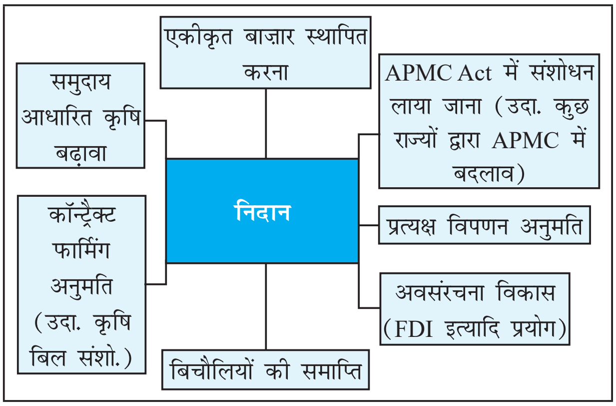

निष्कर्ष :

भारत में कृषि विकास को बढ़ावा एवं किसानों के लाभों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से APMC Act में सुधार आवश्यक है। अत: सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक, नवाचार, निवेश PPP मॉडल इत्यादि के द्वारा APMC का कायापलट किया जा सकता है।

प्रश्न : जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोज़गार-योग्यता की पतनशील दरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन जॉबों की बेसब्री से दरकार है। वे जॉब कहाँ से आएगी? स्पष्ट करे?

(200 शब्द, 12½ अंक)

"While we flaunt India's demographic dividend, we ignore the dropping rates of employability." What are we missing while doing so? Where will the jobs that India desperately needs come from? Explain.

उत्तर : जनसंख्या ढाँचे में बढ़ती युवा एवं कार्यशील जनसंख्या (15 से 64 वर्ष) तथा घटते आश्रितता अनुपात के परिणामस्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन में योगदान करना जनसांख्यिकी लाभांश कहलाता है। भारत 2005-06 में इस अवसर की खिड़की में प्रवेश कर गया था जिसमें भारत वर्ष 2055-56 तक बना रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत 2041 के आस-पास अपने चरम पर होगा।

अतः जनसांख्यिकी लाभांश महत्त्व

- विश्व जनसंख्या परिप्रेक्ष्य 2022 के अनुसार भारत के पास सबसे बड़ा कार्यबल है।
- अगले 25 वर्षों में पाँच कामकाजी आयुवर्ग के व्यक्तियों में से एक भारत में निवास कर रहा होगा।
- निर्भरता अनुपात में गिरावट आएगी।
- अधिक मानवपूंजी (जनसांख्यिकी लाभांश), जो अधिक आर्थिक विकास को बढ़ावा एवं बेहतर जीवन स्तर में वृद्धि करेगी।

जनसांख्यिकी लाभांश के मध्य चुनौतियाँ

- महिला श्रमबल भागीदारी का निम्न स्तर, उदा. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार महिलाओं में LFPR की स्थिति- शहरी क्षेत्र-26.4%, ग्रामीण क्षेत्र-20.4%
- शिक्षा में वृद्धि लेकिन कौशल में वृद्धि नहीं अर्थात्-शैक्षिक मानक सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित है।
- कार्यबल का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत, जो सामाजिक सुरक्षा से जूझ रहा है।
- रोज़गार, विहीन, वृद्धि (जॉब लैस ग्रोथ)
- विश्व बैंक के अनुसार जनसांख्यिकी लाभांश खिड़की में असमानता का पाया जाना

इन चुनौतियों के निवारण के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास

- स्किल इंडिया प्रोग्राम द्वारा कौशल विकास
- PLI स्कीम द्वारा उद्योगों का विस्तार
- वोकल टू लोकल को बढ़ावा
- MSME पर विशेष ध्यान
- वित्तीय सहायता

अन्य प्रयास

- औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र में तीव्रता से वृद्धि
- जेंडर बजटिंग पर विशेष ध्यान, महिला श्रमबल भागीदारी को बढ़ावा
- शिक्षा स्तर पर बढ़ावा यथा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOCS) के क्रियान्वयन के साथ-साथ स्कूल पाठ्यक्रम बदलाव
- भविष्य की प्रौद्योगिकी में निवेश यथा–
  - ❑ AI
  - ❑ क्वांटम
  - ❑ ब्लॉक चेन इत्यादि
- परंपरागत हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं को स्वरोज़गार के लिये प्रेरित यथा स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा योजना इत्यादि

अत: उपर्युक्त प्रयासों से भारत नए रोज़गार सृजन करने के साथ-साथ जनसांख्यिकी लाभांश प्रयोग कर 2047 तक प्रधानमंत्री के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकता है।

प्रश्न : रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को अब उदारीकृत करने की तैयारी है? भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अल्पकाल और दीर्घकाल में इसके क्या प्रभाव अपेक्षित हैं।

(200 शब्द, 12½ अंक)

Foreign Direct Investment (FDI) in the defence sector is now set to be liberalized. What influence this is expected to have on Indian defence and economy in the short and long run?

उत्तर : विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थिति व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। 2001 में सरकार द्वारा अपनी पूर्ववर्ती नीति में बदलाव कर रक्षा क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति प्रदान की। पुन: इसमें संशोधन करते हुये केंद्र सरकार ने 2020 में स्वचालित मार्ग से 74% एवं सरकारी मार्ग से 100% FDI की अनुमति प्रदान की।

इससे रक्षा एवं अर्थव्यवस्था पर अल्पकाल और दीर्घकाल में निम्न प्रभाव अपेक्षित है–

अल्पकालिक प्रभाव	दीर्घकालिक प्रभाव
❑ FDI से भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। ❑ राजकोषीय घाटा कम एवं अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ❑ विदेशी निवेश से औद्योगिक संकुल निर्माण, जिससे स्वदेशीकरण (वोकल फॉर लोकल) को बढ़ावा। ❑ विदेशी निवेश आगमन से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं नवाचार को बढ़ावा।	❑ भारत दीर्घकाल में हथियार आयातक की जगह निर्यातक बनेगा। ❑ बेहतर सीमा एवं सुरक्षा प्रबंधन। ❑ आयातक की जगह निर्यातक बनने से राजकोषीय वृद्धि। ❑ अन्य देशों पर से निर्भरता (हथियारों) घटने से भारत पर वैश्विक दबाव नहीं आएगा। ❑ आयात कम करने पर भारत द्वारा अन्य क्षेत्रों पर ज़्यादा निवेश।

चुनौतियाँ

- विदेशी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा सामना
- तकनीक स्तर पर विदेशी रक्षा ब्रांडों से पिछड़ाव
- तकनीक को विदेशी कंपनियों से साझा करने पर दुरुपयोग संभावना
- विदेशी कंपनियों द्वारा तकनीक को रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण मानने पर तकनीक निर्यात पर रोक
- रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सीमित विशेषज्ञता, अनुभव अभाव एक बड़ी चुनौती बना हुआ है

सरकार द्वारा इन सबसे निपटते हुये निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा हेतु निम्न कदम उठाये गए हैं-

- नई रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्द्धन नीति 2020
- रक्षा आयात प्रतिस्थापन उद्योगों के विकास के लिये एक पोर्टल-2020 में "सृजन" पोर्टल
- रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 तक एयरोस्पेस, रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 5 मिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है
- 2018 में रक्षा उत्कृष्ट के लिये नवाचार शीर्षक से (IDEX) रक्षा में नवाचार बढ़ाने के लिये तंत्र विकसित
- निवेश को बढ़ाने के लिये 2018 में रक्षा मंत्रा. में निवेशक सेल (DIC) का गठन
- उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में एक-एक रक्षा गलियारा

आगे की राह: रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविदों के लिये निर्धारित करना एक दूरदर्शी उपाय है, साथ ही आयुध प्रणालियों, सैन्य प्लेटफार्मों इत्यादि विकास के लिये एस.पी.वी. (SPV) मोड के द्वारा DRDO के नेतृत्व में भारतीय रक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव होगा। जो भारत को रक्षा उपकरण/प्रणालियों/हथियारों का निर्यातक बनाने में सहायक होगा।

प्रश्न : समझाइये कि दीर्घकालिक पक्वनावधि (जस्टेशन) आधारित संरचना परियोजना में निजी लोक भागीदारी (PPP) किस प्रकार आधारणीय (अनसस्टनेवल) देयताओं को भविष्य पर अंतरित कर सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सक्षमताओं के साथ कोई समझौता न हो, क्या व्यवस्याएँ स्थापित की जानी चाहिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

Explain how Private Public Partnership arrangements, in long gestation infrastructure projects, can transfer unsustainable liabilities to the future. What arrangements need to be put in place to ensure that successive generations' capacities are not compromised?

उत्तर : PPP परियोजना जिसमें सरकार या उसकी किसी वैधानिक संस्था और निजी क्षेत्र के बीच हुआ लंबी अवधि का समझौता है, जिससे दोनों पक्ष मिलकर एक SPV स्पेशल परपज व्हीकल गठित कर परियोजना पर अमल करते हैं।

निजी लोक भागीदारी आवश्यकता

- सार्वजनिक क्षेत्र के पास बड़ी आधारभूत परियोजनाओं के लिये वित्त, संसाधन अभाव
- कुशल श्रम अभाव एवं तकनीक अनुपलब्धता
- सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पारदर्शिता की कमी
- परियोजनाओं में होती देरी

PPP के लाभ

PPP के लाभ

- पारदर्शिता, उत्तरदायित्व को बढ़ावा
- नवाचार एवं तकनीक हस्तांतरण
- वित्त उपलब्धता को बढ़ावा
- परियोजना को लागत प्रभावी एवं जल्दी निर्माण
- पूंजी संसाधन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर अर्थव्यवस्था क्षमता विस्तार

पी.पी.पी. की चुनौतियाँ

- परियोजना में आपसी विवाद देरी का कारण बनता है जो परियोजना की लागत में वृद्धि
- परियोजना पूर्ण होने पर अनावश्यक रूप से उपयोगकर्ता शुल्क में वृद्धि दीर्घकाल में निजी क्षेत्र द्वारा परियोजना को बीच में छोड़ने से
- अनावश्यक विलंब, उदाहरण- दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन रिलाइंस द्वारा छोड़ना।

अतः PPP परियोजनाओं में सुधार के लिये **केलकर समिति** द्वारा दिये गए सुझाव को लागू किया जाना चाहिये।

- एक त्वरित न्यायसंगत, कुशल, लागू करने योग्य, विवाद निपटान तंत्र का गठन किया जाना चाहिये
- समय समय पर परियोजना समीक्षा।
- दीर्घकालिक पूंजी प्राप्त करने के लिये डीप डिस्काउंट बॉण्ड, जीरो कूपन इत्यादि जारी करना।
- PPP हितधारकों में जोखिमों का इष्टतम आवंटन यथा वन साइज़ फिट ऑल (One Size Fits All) एप्रोच (दृष्टिकोण) अपनाया।
- फंड के लिये आंशिक गारंटी, कैश फ्लो सपोर्ट मैकेनिज्म का प्रयोग।

अतः उपर्युक्त दृष्टिकोण अपना कर PPP में जवाबदेहिता तय कर विवाद निपटान कर, समावेशी विकास की संकल्पना को बढ़ावा दिया जा सकता है।

2013

प्रश्न: समावेशी विकास की रणनीति को ध्यान में रखते हुये, नए कंपनी बिल 2013 ने 'सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व' को अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य कर्त्तव्य बना दिया है। इसका गंभीरता से पालन कराने में अपेक्षित चुनौतियों की विवेचना कीजिये। इस बिल की अन्य व्यवस्थाओं और उलझनों की भी चर्चा करें। (200 शब्द, 10 अंक)

With a consideration towards the strategy of inclusive growth, the new Companies Bill, 2013 has indirectly made CSR a mandatory obligation. Discuss the challenges expected in its implementation in right earnest. Also discuss other provisions in the Bill and their implications.

उत्तर: समावेशी विकास से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों का विकास है। समाज के समावेशी विकास के लिये नया कंपनी बिल, 2013 लाया गया, जिसमें कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को अनिवार्य बना दिया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत होने वाली कंपनियाँ, जिनकी कुल पूंजी ₹ 500 करोड़ या अधिक या वित्तीय वर्ष में ₹ 1000 करोड़ या इससे ज्यादा का कारोबार या शुद्ध लाभ ₹ 5 करोड़ या इससे ज़्यादा हो, को अपने शुद्ध वार्षिक बचत अथवा लाभ का 2 प्रतिशत भाग सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के लिये अनिवार्य रूप में देना होगा।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रावधान को लागू करने में प्रमुख चुनौतियाँ

- 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अधिनियम' के तहत निर्धारित राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करना कठिन कार्य होगा।
- खर्च करने के माध्यम का निर्धारण नहीं करना भी समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है।
- कॉर्पोरेट सेक्टर के निर्धारित राशि का उपयोग सही एवं उचित ढंग से किया है अथवा नहीं, इसकी जाँच करना श्रम साध्य एवं कठिन हो सकता है।
- कंपनियों के इस अनिवार्य प्रावधान के चलते उनके कार्य संचालन में कठिनाई आ सकती है।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर इसे लागू करने से विदेशी निवेश में नकारात्मक संदेश जा सकता है।

बिल की अन्य व्यवस्थाएँ एवं चुनौतियाँ

- अल्पसंख्यक शेयर होल्डरों के हितों की रक्षा।
- निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य।
- कंपनी के विलय एवं अधिग्रहण के बारे में रिज़र्व बैंक को पूर्व में सूचित करना अनिवार्य।
- छोटी कंपनियों को मंजूरी, जिसमें एक व्यक्ति आधारित कंपनी को मंजूरी।
- बहुत सी कंपनियाँ स्थानीय राजनेताओं के हाथ में है।
- इस अधिनियम का अनुपालन न करने पर किसी प्रकार का दंड विधान नहीं दिया गया।
- कॉर्पोरेट सोशल दायित्व को बड़ी कंपनियों पर कैसे लागू किया जाएगा, क्योंकि उनमें पहले से ही अपने सोशल दायित्व नियम हैं, जैसे– टाटा, विप्रो एवं अन्य।

प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित कीजिये। भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों के रूपांकन व अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना करें। (200 शब्द, 10 अंक)

Establish relationship between land reforms, agricultural productivity and elimination of poverty in the Indian economy. Discuss the difficulties in designing and implementation of agriculture – friendly land reforms in India.

उत्तर: ग्रामीण भारत के लिये कृषि भूमि सबसे महत्त्वपूर्ण उत्पादक संसाधन है। भारत में भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथाा गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया में गहरे अंतर्संबंध है। कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के लिये भूमि सुधार की अनिवार्यता को स्वतंत्रता पश्चात् से ही समझा जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भू-सुधार की प्रक्रिया लाई गई।

भूमि सुधारों के अंतर्गत भूमि के पुनर्वितरण, लगान के नियमन, काश्तकारी की स्थितियों में सुधार, सहकारी संगठन, कृषि शिक्षा आदि से संबंधित उपाय और नीतियाँ शामिल हैं।

भूमि सुधार के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, लोगों की आय बढ़ती है तथा गरीबी कम होती है। इसको निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं–

- भूमि सुधारों से खाद्यान्न एवं कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि होती है। औद्योगिक विकास की नींव मजबूत होती है। गरीबी में कमी आती है।

- भूमि के पुनर्वितरण द्वारा गरीब भूमिहीन लोगों के लिये भूमि तक पहुँच में वृद्धि, उन्हें आय की गारंटी सुनिश्चित करती है।
- यदि जोतदार भूमि का स्वामी है तो जमीन के प्रति लगाव उत्पन्न होगा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- भू-धारण प्रणाली में सुधारों से कृषि भूमि को जोतने वालो का शोषण कम होगा। कृषकों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की प्रेरणा मिलेगी।
- स्वतंत्रता के बाद के भारत में कृषि में इक्विटी भूमि सुधारों की मांग करती है, लेकिन निम्न कारणों से भूमि सुधार, उसका रूपांकन एवं कानूनों का अनुपालन कठिन है।
- भारत में भूमि राज्य सूची का विषय होने के कारण सभी राज्यों को इसके लिये सहमत करना कठिन है।
- पूर्व में भूमि सुधार कानूनों में कृषक, भू-मालिक, जोतदार आदि की परिभाषा को लेकर अस्पष्टता है।
- बेनामी के कारण भूमि के मालिक की सही जानकारी नहीं है।
- भूमि लेखा के उचित रख-रखाव व प्रबंधन का अभाव है।
- भारत में भूमि की गुणवत्ता में अंतर के कारण चकबंदी करने में समस्या है।
- भूमि पर जिनका नियंत्रण है, उनकी राजनीति एवं प्रशासन में मज़बूत पैठ होने के कारण हदबंदी में समस्या आती है।
- संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, इसे लेकर संविधान संशोधन हुआ और न्यायिक प्रक्रिया से भी ज़मींदारों व भू-स्वामियों को काफी समय प्राप्त हुआ, जिसका प्रयोग उन्होंने भू-सुधारों की प्रभाविता में कमी लाने में किया।

प्रश्न : खाद्य सुरक्षा बिल से भारत में भूख एवं कुपोषण के विलोपन की आशा है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न आंशकाओं की समालोचनात्मक विवेचना कीजिये। साथ ही यह भी बताएँ कि विश्व व्यापार संगठन में इससे कौन-सी चिंताएँ उत्पन्न हो गई है? (200 शब्द, 10 अंक)

Food Security Bill is expected to eliminate hunger and malnutrition in India. Critically discuss various apprehensions in its effective implementation along with the concerns it has generated in WTO.

उत्तर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराते हुये खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा प्रदान करना है।

खाद्य सुरक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न आशंकाएँ

खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये अधिनियम में प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख है, परंतु यह देखा गया कि क्रियान्वयन के स्तर पर अधिनियम को लागू करना एक बड़ी चुनौती है, जैसे:-

- राज्यों द्वारा लाभार्थियों की पहचान में भारी मात्रा में विसंगतियाँ है, कुछ राज्यों ने नए सिरे से पहचान करने की बजाय पुराने राशन कार्डों को ही नवीनीकृत कर दिया।
- खाद्याान्न के भंडारण एवं परिवहन क्षमता का अभाव।
- खाद्य सुरक्षा कानून का क्रियान्वयन सार्वजनिक वितरण तंत्र प्रणाली के माध्यम से हो रहा है, जिसमें लीकेज एवं भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है।
- शिकायत निवारण एवं निगरानी तंत्र के मौजूद होने के बावजूद इसका उपयोग नहीं होना या अप्रभावी होना।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की चिंताएँ

भारत सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिये दृढ़ संकल्प है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने वाली संस्था WTO में इसके विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं।

विश्व व्यापार संगठन की चिंताएँ निम्न प्रकार की है:-

- विश्व व्यापार संगठन ने इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिगामी माना है। संस्था का मानना है कि सब्सिडी आधारित खाद्यान्न वितरण, MSP पर अनाज की खरीद, कृषकों (उत्पादकों) को अनुचित लाभ देता है।
- विकसित देशों का तर्क है कि भारत इसके माध्यम से अपने कृषकों एवं उपभोक्ताओं को अनुचित तरीके से लाभ दे रहा है। इसके कारण WTO के कृषि पर समझौते (AOA) का उल्लंघन हो रहा है, जो सिर्फ 10 प्रतिशत सब्सिडी देने की बात करता है।

WTO के बाली शहर में मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के दौरान कृषि सब्सिडी का मुद्दा उठाया गया था। इसकी प्रतिक्रिया में भारत सरकार ने कहा कि विकासशील देशों में कृषि आजीविका का मुद्दा है, न कि व्यापार का। यहाँ भूख एवं कुपोषण से ग्रस्त जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना उसका नैतिक कर्त्तव्य है और WTO ने भारत को 'पीस क्लॉज' के कारण अस्थायी राहत प्रदान की है।

प्रश्न : देश में आधारभूत संरचना के विकास में गैर-सरकारी भागीदारी योजना (PPP) मॉडल का अंगीकरण-आलोचना मुक्त नही है। इस मॉडल के पक्ष-विपक्ष की समालोचनात्मक विवेचना कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)

Adoption of PPP model for infrastructure development of the country has not been free of criticism. Critically discuss the pros and cons of the model.

उत्तर : वित्त मंत्रालय के अनुसार, प्रयोक्ता शुल्कों (User Charges) की वसूली के आधार पर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा एक अनुबंध के माध्यम से आपस में मिलकर किसी परियोजना के माध्यम से इंफ्रा सेवाएँ उपलब्ध करवाना ही गैर-सरकारी भागीदारी (PPP) मॉडल है।

आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के दौरान गैर-सरकारी भागीदारी योजना मॉडल देश के ढाँचागत क्षेत्र में बदलाव के लिये काफी लोकप्रिय बनकर उभरा। आज अवसरंचना के कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे-सड़क, रेल नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी ढाँचागत क्षेत्र आदि में निवेश के लिये इस मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा हैं।

गैर सरकारी भागीदारी योजना (PPP) मॉडल के सकारात्मक पक्ष

- आधारभूत संरचना निर्माण में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप अवसंरचनात्मक क्षेत्र में नवीन गुणवत्तापूर्ण पद्धतियों का समावेश हुआ है।

- कार्यात्मक क्षमता अच्छी होती है और निर्माण कार्य समय से पूरा होता है।
- गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के कारण विश्वस्तरीय निर्माण संभव हुआ है।
- निजी क्षेत्रों की प्रतिस्पर्द्धा के कारण निर्माण लागत में कमी आई है।
- पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है और भ्रष्टाचार की संभावना कम रहती है। भारत में गैर-सरकारी भागीदारी योजना का प्रमुख उदाहरण दिल्ली मेट्रो, यमुना एक्सप्रेस-वे, वर्ली सी लिंक इत्यादि है।

गैर-सरकारी भागीदारी योजना (PPP) मॉडल के नकारामक पक्ष

- गैर-सरकारी भागीदारी योजना मॉडल में निजी कंपनियाँ लाभ को ज्यादा महत्त्व देती है और लोक कल्याणकारी प्रक्रिया से दूर रहने का प्रयास करती है।
- नागरिकों को लंबे समय तक शुल्क का भुगतान करना होता है यह उनके निर्धारित लाभ से कई गुना अधिक होता है।
- योजनाओं को संचालित करने के प्रयास में पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य मानकों का बहुधा ध्यान नहीं दिया जाता है।
- भूमि अधिग्रहण के दौरान हिंसक घटनाएँ भी घटित होती है, जिससे कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है।

निष्कषर्त: गैर-सरकारी भगीदारी योजना (PPP) मॉडल की विवेचना से यह परिलक्षित होता है, इसकी कुछ प्रवृत्तियाँ सकारात्मक हैं तो कुछ नकारात्मक भी हैं, लेकिन यह योजना वर्तमान समय की आवश्यकता बन चुकी है। बस इसकी कुछ खामियों को दूर कर संतुलन साधनों की आवश्यकता है, जिससे कि सतत् समावेशी एवं सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया संचालित हो सके।

प्रश्न : भारत में बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिये खाद्य उद्योग में गुलाबी क्रांति प्रोन्नति हेतु उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस कथन पर आलोचनात्मक प्रकाश डालिये। (200 शब्द , 10 अंक)

India needs to strengthen measures to promote the pink revolution in food industry for ensuring better nutrition and health. Critically elucidate the statement.

उत्तर : विश्व बैंक के एक आँकड़े के अनुसार पाँच वर्ष से कम उम्र के कुपोषित बच्चों की सबसे ज़्यादा संख्या भारत में है। इसी संदर्भ में भारत में बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिये खाद्य उद्योग में गुलाबी क्रांति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

गुलाबी क्रांति का संबंध मांस प्रसंस्करण तथा पोल्ट्री उद्योग से है। फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (FSO) ने भारत में मांस प्रसंस्करण को मान्यता देते हुये गुलाबी क्रांति की संज्ञा दी है।

बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य में गुलाबी क्रांति का योगदान

- भारत में कुपोषण का प्रमुख कारण खाद्य पदार्थों में संपूर्ण पोषक तत्त्वों की कमी है। सामान्य शाकाहारी भोजन की अपेक्षा मांस में प्रोटीन की उपलब्धता ज़्यादा होती है।
- मांस में लोहा, जस्ता, अमीनो एसिड तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है।
- भारत में इस उद्योग के विकसित होने की अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं, जिससे रोज़गार के साथ-साथ पोषण की समस्याएँ भी दूर होंगी।

भारत गुलाबी क्रांति को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियाँ

- मांस प्रसंस्करण क्षेत्र को 100% FDI की अनुमति दी जाएगी।
- सभी उत्पादकों और निर्यातकों को कर तथा उत्पाद शुल्क में छूट दी जाएगी।
- अन्य देशों को मांस के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- नाबार्ड के माध्यम से मांस व्यापार से जुड़े व्यवसायियों को आर्थिक सहायता।
- बूचडखानों का आधुनिकीकरण और संबंधित संदर्भ में सब्सिडी के लिये आवेदन किया जा सकता है।
- हैदराबाद में 'नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट' की स्थापना की गई है।
- लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत कुक्कुट पालन को बढ़ावा।

गुलाबी क्रांति के समक्ष चुनौतियाँ

- विशाल पशुधन आबादी के बावजूद वैश्विक बाज़ार का लगभग 2% हिस्सा है।
- मांस और पोल्ट्री की गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओ के मानकीकरण का अभाव।
- मांस उत्पादन और निर्यात के लिये मानक नीतियों का अभाव।
- कृषिकृत कार्यों की तुलना में अत्यधिक जल की आवश्यकता।
- पशुओं और पक्षियों में फैलने वाले रोग एक आपदा, जैसे- बर्ड ब्लू और मैडकाऊ।
- भारत की एक बड़ी जनसंख्या धार्मिक रीति-रिवाज़ों के कारण शाकाहारी है।

आगे की राह

- मांस उद्योग को आर्थिक दृष्टि से लाभकारी देखने के प्रयास पर बल देना होगा।
- इसमें व्याप्त पूर्व भ्रांतियों को मिटाने हेतु जन जागरूकता को बढ़ाना होगा।
- सरकार को गुलाबी क्रांति में आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिये, ताकि मांस संबंधित उद्योगों के लिये लाइसेंसिंग प्रक्रिया ऑनलाइन व पारदर्शी हो।

प्रश्न : राष्ट्रीय व राजकीय स्तर पर कृषकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएँ कौन-कौन सी हैं? कृषि आर्थिक सहायता व्यवस्था का उसके द्वारा उत्पन्न विकृतियों के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द , 10 अंक)

What are the different types of agriculture subsidies given to farmers at the national and at state levels? Critically analyse the agricultural subsidy regime with reference to the distortions created by it.

उत्तर : भारत में कृषि कार्यों में अनिश्चितता, मौसमी दुश्चिंताओं के साथ-साथ वित्त की अनुपलब्धता एवं फसलों के उचित मूल्य न मिल पाने के कारण कृषकों को राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

राष्ट्रीय व राजकीय स्तर पर कृषकों को निम्नलिखित प्रकार की सब्सिडी दी जाती है

- **उर्वरक सब्सिडी:** कृषकों को सस्ते मूल्य पर वांछित मात्रा में हर समय उर्वरक उपलबध कराने के उद्देश्य से यह सब्सिडी उर्वरक उत्पादकों को दी जाती है।
- **विद्युत सब्सिडी:** भारत के कई राज्यों में सिंचाई की सुविधा देने के लिये किसानों को बिजली बिल में सब्सिडी दी जाती है।
- **बीज सब्सिडी:** कम कीमतों पर किसानों को सरकार द्वारा उच्च उपज वाले बीज प्रदान किये जाते हैं।
- **ऋण सब्सिडी:** राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कृषि गतिविधियों के लिये किसानों को ऋण की सुविधा दी जाती है।
- **कृषि उपकरण सब्सिडी:** नवीन प्रकार के कृषि उपकरणों के लिये भी सरकार सब्सिडी प्रदान करती है।
- **कृषि अवसंरचना सब्सिडी:** शीतगृह भंडार जैसी सुविधाओं को सस्ते मूल्य पर प्रदान करना। इस प्रकार की सब्सिडी का उदाहरण है।

कृषि सब्सिडियों के कारण उत्पन्न चुनौतियाँ

- भारत में उच्च राजकोषीय घाटे का मुख्य कारण कृषि सब्सिडी है।
- पर्यावरणीय असंतुलन को जन्म दिया।
- विभिन्न क्षेत्रों में भू-जल भंडारों पर विपरीत प्रभाव।
- कृषि सब्सिडी से अधिकांश लाभ बड़े किसानों को मिला।
- उर्वरक, कीटनाशक और जल के अतिशय उपयोग से मिट्टी की उर्वरता ह्रास हो गई है।
- क्रापिंग पैटर्न में भारी बदलाव आया है।

कृषि सब्सिडी की भारतीय परिदृश्य में आवश्कता

- ग्रामीण विकास और जीविकोपार्जन सुरक्षा के लिये।
- किसान गरीबी के कारण बाज़ार मूल्यों पर आधुनिक कृषि आगतों को खरीदने में समर्थ नहीं।
- खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये।
- खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या से बचाव के लिये।

आगे की राह

- सब्सिडी लक्षित तथा युक्तिसंगत होनी चाहिये।
- सब्सिडी राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिये।
- सब्सिडी की राशनिंग की जानी चाहिये तथा रिसाव को रोकने की बेहतर कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिये।
- सब्सिडी के प्रभावों का नियमित मूल्यांकन होना चाहिये।

प्रश्न : परंपरागत ऊर्जा की कठिनाइयों को कम करने के लिये भारत की 'हरित ऊर्जा पट्टी' पर एक लेख लिखिये।

(200 शब्द, 10 अंक)

Write a note on India's green energy corridor to alleviate the problem of conventional energy.

उत्तर : भारत में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग एवं परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की कम होती मात्रा ने नवीकरणीय ऊर्जा को विकल्प के रूप में जन्म दिया है। हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना का उद्देश्य सौर और पवन जैसे अक्षय स्रोतों से उत्पादित बिजली को ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ सिंक्रोनाइज़ करना है।

इस संपूर्ण परियोजना को दो भाग में विभाजित किया है–

अंतर्राज्यीय: इसका विकास पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा।

राज्यीय: इसका विकास राज्य की संस्थाओं द्वारा होगा।

भारत में हरित ऊर्जा कॉरिडोर की आवश्यकता

- परियोजना का उद्देश्य मुख्य ग्रिड के साथ बड़े पैमाने पर नवीकरणीय उत्पादन क्षमता वृद्धि को एकीकृत करना है।
- भारत का लक्ष्य 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन करना।
- वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना।
- देश को नवीकरणीय ऊर्जा की अधिक पहुँच के लिये खुद को तैयार करने की ज़रूरत है।

हरित ऊर्जा कॉरिडोर के लाभ

- यह योजना 2030 तक 450 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।
- यह देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में भी योगदान देगा।
- यह कार्बन फुटप्रिंट को कम करके पारिस्थितिक रूप से सतत् विकास को बढ़ावा देगा।
- यह 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने की भारत की प्रतिज्ञा में मदद करेगा।
- इस परियोजना से भारत को COP-26, ग्लासगो शिखर सम्मेलन में की गई जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

हरित ऊर्जा पट्टी के तहत भारत ने परंपरागत ऊर्जा की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया है, जिससे सभी को सहज एवं सर्वसुलभ ऊर्जा की प्राप्ति हो सके तथा सर्वांगीण विकास की संकल्पना साकार हो सके।

प्रश्न : भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों पर उदारीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिये। क्या वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संतोषजनक ढंग से प्रतिस्पर्द्धा कर रही है? विवेचना कीजिये।

(200 शब्द, 10 अंक)

Examine the impact of liberalization on companies owned by Indians. Are they competing with the MNCs satisfactorily? Discuss.

उत्तर : 1990 के दशक में उत्पन्न हुये भुगतान संतुलन संकट की समस्या से निपटने के लिये भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। इसके अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य के नियमों को सरल किया गया, परिणामस्वरूप विदेशी कंपनियों का भारत में प्रसार हुआ। जैसे-जैसे उदारीकरण की प्रक्रिया बढ़ी, बाह्य कंपनियों का आगमन बढ़ा एवं घरेलू कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि हुई।

उदारीकरण के कारण भातरीय स्वामित्व वाली कंपनियाँ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्राप्त हुये, जो कि निम्न प्रकार से है–

- विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों को बेहतर तकनीक उपलब्ध कराने में मदद की है।
- भारतीय कंपनियों को अनुसंधान एवं विकास में निवेश हेतु प्रोत्साहन मिला।
- भारतीय कंपनियों की कार्यात्मक एवं पूंजीगत क्षमता में वृद्धि हुई।
- रक्षा एवं अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी।

उदारीकरण ने भारतीय कंपनियाँ को बेहतर अवसर उपलब्ध कराए हैं, परंतु ये अवसर सिर्फ संभावनाओं से परिपूर्ण न होकर चुनौतियों से भी भरे हुये हैं।

वर्तमान परिदृश में भारतीय कंपनियाँ निम्नलिखित चुनौतियाँ का सामना कर रही है–

- बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पूंजी तथा क्षमता भारतीय कंपनियों से कई गुना अधिक है।
- ये कंपनियाँ भारतीय कंपनियों से तकनीकी रूप से श्रेष्ठ, अधिक कार्यकुशल एवं दक्ष है।
- उदारीकरण ने बाज़ार एवं उपभोक्ता आधारित प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिया है।

वर्ष 1991 में भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किये गए आर्थिक सुधारों ने भारतीय कंपनियों के लिये बेहतर अवसर और एक प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण का निर्माण किया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पर्यावरणीय मुद्दों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार को सीमित किया है। इसके बावजूद भारत में निवेश करने वाली कंपनियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय कंपनियों को लाभ पहुँचाया है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में घरेलू तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ एक–दूसरे से स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा करते हुये अपनी गुणवत्ता के आधार पर अस्तित्व बनाए हुये है।

प्रश्न : भारत में माल एवं सेवा कर (GST) प्रारंभ करने के मूलाधार की विवेचना कीजिये। इस व्यवस्था को लागू करने में विलंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिये।

(200 शब्द, 10 अंक)

Discuss the rationale for introducing the Goods and Services Tax (GST) in India. Bring out critically the reasons for the delay in roll out for its regime.

उत्तर : माल एवं सेवा कर, भारत की सबसे महत्त्वाकांक्षी अप्रत्यक्ष कर सुधार योजना में शामिल है। यह कर वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर है। इस प्रणाली में केंद्र द्वारा लगाए कर को 'केंद्रीय जी एस टी' तथा राज्यों द्वारा लगाए गए कर को 'राज्य जी एस टी' कहा जाता है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय बिक्री के लिये एकीकृत 'जी एस टी' लगाने का प्रावधान है।

माल व सेवा कर प्रारंभ करने के मूलाधार

- केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय बाधाओं को कम करना।
- दोहरे कराधान, करों के व्यापक प्रभाव, करों की बहुलता आदि जैसे मुद्दों को कम करना
- अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाना।
- व्यापारिक गतिविधियाँ को आसान बनाना।
- एक साझा राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण करना।

विलंब के कारण

- कई राज्यों द्वारा इस कर प्रणाली को लागू करने से इंकार किया गया, क्योंकि उन्हें अपने राजस्व में कमी होने की चिंता थी।
- संसद द्वारा केंद्रीय जीएसटी, एकीकृत जीएसटी कानून तथा राज्यों द्वारा राज्य जीएसटी कानून को पारित करना आसान नहीं था।
- राज्य तंबाकू और अल्कोहल को इसके दायरे से बाहर रखना चाहते थे।
- कुशल कर्मचारियों की कमी और तकनीकी पिछड़ेपन की इसके क्रियान्वयन में चुनौती सिद्ध हुआ।
- इसके कार्यान्वयन के लिये एक संवैधानिक संशोधन की जरूरत भी इसके विलंब का कारण रही।

प्रश्न : अर्थव्यवस्था के माल व्यापार पद्धति में बहुव्यापार खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश के प्रभाव की विवेचना कीजिये।

(100 शब्द, 5 अंक)

Discuss the impact of FDI entry into Multi-trade retail sector on supply chain management in commodity trade pattern of the economy.

उत्तर : भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने तथा विकास की गति देने के लिये वर्ष 2012 में बहुव्यापार खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई। इस निवेशात्मक गतिविधि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कई व्यावहारिक बदलाव आये हैं।

माल व्यापार पद्धति में बहुव्यापार खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के सकारात्मक प्रभाव–

- आधारभूत संरचना का विकास
- कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने से आय में वृद्धि।
- अंतर्राष्ट्रीय खुदरा विक्रेताओं द्वारा स्थापित कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला से फलों व सब्जियों की बर्बादी में कमी।
- रोज़गार के नए अवसरों का सृजन।
- उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं के साथ बेहतर सुविधा की प्राप्ति।

नकारात्मक प्रभाव

- उन्नत वितरण प्रणाली और बेहतर आपूर्ति श्रृंखला का विकास बहुव्यापार खुदरा प्रभाव क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नकारात्मक प्रभावों का भी बड़े पैमाने पर रेखांकन किया जा रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से स्थानीय खुदरा व्यापारियों को नुकसान।
- एक ही जगह हर वस्तु मिलने को कर्मचारियों की आवश्यकता में कमी के कारण रोज़गार अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव।

उपरोक्त सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की विवेचना करे तो सरकार को इस संदर्भ ने संतुलन साधनों की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में अंतर्राष्ट्रीय निवेश की आवश्यकता अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में जरूरी है।

प्रश्न : 'कर खर्च' (Tax Expenditure) का क्या अर्थ है? गृह क्षेत्र का उदाहरण लेते हुये विवेचना कीजिये कि यह शासन की बजट-संबंधी नीतियों को कैसे प्रभावित करता है?

(200 शब्द, 10 अंक)

What is the meaning of the term 'tax expenditure'? Taking housing sector as an example, discuss how it influences the budgetary policies of the government.

उत्तर : सरकार अपने नीतिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिये 'विशेष कर दर' छूट, कटौती, रियायत, आस्थगन आदि जैसे उपायों का सहारा लेती है। इन उपायों के अंतर्गत सरकार द्वारा छोड़ी गई राशि 'कर खर्च' कहलाती है। कर खर्च करदाताओं को प्रदान की गई अप्रत्यक्ष सब्सिडी है। चूँकि करों में यह कमी सामाजिक या अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाती है, इसलिये इसे 'कर खर्च' कहा जाता है। गृह क्षेत्र में 'कर खर्च' के कुछ उदाहरण–

- यदि किसी नए घर में निवेश किया जाता है तो 'कैपिटल गेन टैक्स' में छूट दी जाती है।
- रेडीमिक्स कंक्रीट (जो घर बनाने में उपयोग होता है), के संदर्भ में प्राय: उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है।
- यदि किसी ने हाउसिंग लोन लिया है तो उस लोन के पुनर्भुगतान के लिये 'आयकर' में कमी सुविधा दी जाती है।

कर खर्च के कारण सरकार की बजट संबंधी नीतियाँ प्रभावित होती है :

- सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। विभिन्न स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है।
- बैंकों के ऊपर दबाव डालकर उनके ऋण देने संबंधी प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है तथा उनको कई प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती है। जब लोगों को आसानी से नि:शुल्क लाभ प्राप्त होते हैं तो वे इसका दुरुप्रयोग करते हैं।

प्रश्न : वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 2003 प्रारंभ करने के क्या कारण थे? उसके प्रमुख प्रावधान और उसकी प्रभाविता का समालोचनात्मक विवेचन करें।

(200 शब्द, 10 अंक)

What were the reasons for the introduction of Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003? Discuss critically its salient features and their effectiveness.

उत्तर : वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 में अधिनियमित किया गया। अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन में अंतर पीढ़ीगत इक्विटी, दीर्घकालिक व्यापक अधिक स्थिरता, राजकोषीय संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है–

FRBM अधिनियम के प्रारंभ करने के कारण

- 1980 के दशक से बढ़ता संयुक्त राजकोषीय घाटा, उदाहरण–1980 में GDP का 8.5% से अधिक
- बढ़ता विदेशी ऋण और सरकार की देनदारियाँ एवं ब्याज
- वित्तीय अनुशासन बढ़ावा एवं वित्तीय घाटे को कम करने के लिये
- एक उचित संतुलित बजट प्राप्त करने के लिये
- राजकोषीय प्रबंधन को एक पारदर्शी प्रणाली शुरुआत करने के लिये

FRBM अधिनियम 2003 प्रावधान

प्रावधान

- राजस्व घाटा, GDP के 0.5% के अनुपात में प्रत्येक वर्ष कम करते हुये वर्ष 2007-08 तक समाप्त
- राजकोषीय घाटा GDP के 0.3% के अनुपात में प्रत्येक वर्ष कम करते हुये वर्ष 2007-08 तक 3% तक
- सरकार द्वारा अपने खर्चों की पूर्ति के लिये RBI से कुछ विशेष परिस्थितियों यथा–प्राकृतिक आपदा इत्यादि छोड़कर ऋण नहीं ले सकती है।

FRBM अधिनियम के क्रियान्वयन के दौरान यह अनिवार्य किया कि इन तीन को प्रतिवर्ष बजट दस्तावेज़ों के साथ रखना होगा–

1. मैक्रोइकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट
2. मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य
3. राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य

2016 में सरकार ने FRBM अधिनियम मूल्यांकन हेतु एक समिति **एन. के सिंह** की अध्यक्षता में गठित की गई, इसकी निम्न सिफारिश है–

- समिति द्वारा सिफारिश की कि सरकार ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3% के बजट घाटे का लक्ष्य है। इसे 2020-21 में 2.8% तथा 2023 तक 2.5% तक कम करें।
- ऋण राजकोषीय नीति पर प्रमुख फोकस होना चाहिये।
- समिति द्वारा ऋण के लिये GDP के 60% की सीमा तय की, यानी केंद्र का कर्ज GDP का 40% और राज्य सरकारों का सामूहिक कर्ज 20% तक।
- समिति ने FRBM अधिनियम 2003, FRBM नियम 2004 समाप्त कर इसकी जगह नया कर्ज और राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाने की सिफारिश भी की है।

आलोचना

यह कानून 2003 में बना था, उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार काफी छोटा था। अत: 2003 के अधिनियम में बदलाव आवश्यक है	2008-09 के वैश्विक संकट के बाद दुनिया की राजकोषीय नीति में व्यापक बदलाव आए हैं।	2008-09 के अधिनियम द्वारा निर्धारित 3% लक्ष्य के मुकाबले 2008-09 में राजकोषीय घाटा बढ़कर GDP का 6.2% हो गया। अत: बदलाव आवश्यक।

किसी भी अर्थव्यवस्था में बड़ा एवं निरंतर बरकरार राजकोषीय घाटा बेहतर आर्थिक प्रदर्शन में आड़े आता है और इसकी वजह से निजी निवेश प्रभावित होता है और मुद्रास्फीति का दबाव बनता है। अत: राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में लेना आवश्यक हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में एन.के. सिंह समिति की सिफारिशें राजकोषीय लक्ष्यों एवं आर्थिक विकास के घटकों के मध्य संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।